(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5 पंचम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 27वां दिवस संख्या 21

1

2

बृहस्पतिवार

28 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री राम किशोर व्यास अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्न

[गृह, चिकित्सा, सिंचाई, उद्योग, शिक्षा, यातायात, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, यातायात, विद्युत्, अकाल सहायता, सहायता]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

श्री रामानन्द अग्रवाल !

मण्डावर के अध्यापक द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री जगदीश चन्द्र कौशिक, अध्यापक सैकण्ड ग्रेड, राजकीय हायर सैकेण्डरी स्कूल, मण्डावर तहसील महुवा ने एक रिपोर्ट थाना महुवा में 11-1-73 को उन्हें महेन्द्र, रिखब, किशन, कजोड़ीलाल, मोतीलाल, विमलचन्द आदि द्वारा पीटने के बारे में दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो रिपोर्ट की नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक ने आई. जी. पुलिस को शिकायत की कि स्थानीय पुलिस इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है तब इन्सपेक्टर जनरल पुलिस ने इस मामले की तफतीश के लिए थाना महुवा को लिखा ? यदि हां, तो आई. जी. पुलिस के आर्डर की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक को दिनांक 20-6-73 को थाना महुवा में अपने गवाह लेकर उक्त केस में तफतीश के लिए बुलाया गया और उन्हें उनके गवाह व एक अन्य अध्यापक श्री घनश्याम शर्मा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया ? क्या यह सही है कि उन्हें हथकड़ी

Page No 2

(2)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
लगा कर मन्डावर से वापिस महुवा लाया गया ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक को 5 महीने पहिले एक व्यापारी द्वारा दर्ज कराई छात्रों की हड़ताल की रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक की जमानत लेते हुए मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हिण्डौन ने स्थानीय पुलिस के विरुद्ध रिमार्क्स दिए हैं ?

(6) उक्त अध्यापक की मारपीट करने का 11-1-73 की रिपोर्ट के बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां, रिपोर्ट मुकदमा नं. 6173 धारा 147।323 आई. पी.सी पुलिस स्टेशन महुवा की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। इस अध्यापक को थाना महुवा में अपने गवाह लेकर तफतीश को नहीं बुलवाया था। तथ्य यह है कि श्री जगदीश चन्द्र व घनश्याम वर्मा को दिनांक 20-6-73 को मु. नं. 7173 धारा 280 427।452।147।149।323 आई.पी.सी. थाना महुवा के अन्तर्गत पुलिस चौकी मण्डावर पर बुलवाया जाकर गिरफ्तार किया गया था। उपरोक्त दोनों मुलजिम को बाद गिरफ्तारी नियमानुसार हथकड़ी लगा कर पुलिस चौकी मण्डावर से महुवा थाने पर लाया गया था।

(4) जी हां, रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी नहीं।

(6) मुकदमा नं. 6173 थाना महुवा में बाद तफतीश दिनांक 30-4-73 को एफ. आर. अदम बकुवा दी जा चुकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह नम्बर 3 में बताया गया कि 20-6-73 को उनको गिरफ्तार किया, तो इसकी एफ. आई. आर. कौनसी तारीख को दर्ज कराई गई थी ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसकी एफ. आई. आर. 12-1-73 को।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस एफ.आई.आर. में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं था, न इन दोनों टीचर्स का नाम है, न किसी व्यक्ति का नाम दर्ज है ? कम्प्लेनेन्ट ने यह नहीं कहा, कौन व्यक्ति था कौन नहीं–क्या यह सही है ?

श्री केदार नाथ (गंगानगर) : दोनों को नामजद नहीं किया गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : यदि जानकारी नहीं हो तो डेफर कर दीजिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं जानकारी दे रहा हूं।

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : मैं एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछ लूं ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे प्रश्न का उत्तर आने दीजिये।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : यह एफ. आई. आर....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एक रपट थाना मण्डावर में दर्ज हुई है, उसको मैं पढ़कर सुना रहा हूं....

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : नाम है कि नहीं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : नाम है कि नहीं ! महत्वपूर्ण चीज यह है।

श्री चेतराम (टोडाभीम) : एफ. आई. आर. में नाम दर्ज होना जरूरी नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसमें अध्यापक का नाम दर्ज नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने फर्माया कि इत्तला 12-1-73 को हुई और 20-6-73 को गिरफ्तारी हुई और उसके साथ साथ हथकड़ी लगाई गई, करीब पांच महीने के बाद। इतने आफेन्सेज आपने बतलाये, उसमें 302 नहीं है। अच्छी किस्मत रही है अध्यापक की कि 302 नहीं है। आफेन्स काग्नीजेबल लेकिन अरैस्ट विदाउट वारन्ट है। पांच महीने के बाद अध्यापक को गिरफ्तार किया गया, एफ. आई. आर. पड़ी रही, उसके बाद हथकड़ी लगाई गई। पुलिस पांच महीने तक एफ. आई. आर. को पटके रही, और ऐसे आफेन्स में पटके रही। पांच महीने के बाद गिरफ्तार करके, आपने नियमानुसार कहा, हथकड़ी लगाई गई। यह तथ्य क्या यह आभास नहीं देते कि मामला फर्जी है। पांच महीने के बाद अध्यापक को पकड़ कर हथकड़ी लगाई गई–यह सीरिअसनेस आफ द आफेन्स नहीं है। पांच महीने बाद पकड़ा और हथकड़ी लगा कर फौरन उसका चालान करना, क्या इन्साफ की दृष्टि से ज्यादती नहीं है अध्यापक के साथ ? पांच महीने के बाद कार्यवाही की पुलिस ने इस मसले पर क्या आप एक्स्प्लेनेशन पूछने और एस. एच. ओ. को सस्पेन्ड करने की स्थिति में नहीं हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एक बात और बता दें....

श्री गुलाबसिंह सक्तावत : इसे कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है और आफेन्स की सीरिअसनैस को देखते हुए हथकड़ी लगाना मैं गलत काम नहीं मानता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एक बात बतादें।

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल । मैं एक जानकारी चाहता हूं ...

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय..

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने यह कहा....

श्री अध्यक्ष : एक एक माननीय सदस्य।

Page No 4

(ম)

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने यह कहा। तो पांच महीने तक सीरिअसनेस आफेन्स में पुलिस ने तवज्जह नहीं दी, और डेन्जरस आदमी, खतरनाक आदमी जिसको मान लें, उसके अफेन्सेज पर पांच महीने तक निगाह नहीं गई, पांच महीने का विलम्ब यह बतलाता है कि आफेन्सेज सीरिअस उनकी निगाह में नहीं थे। यकायक उनको पकड़ा जाकर हथकड़ी लगा कर चालान किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पुलिस की लाएतवाली और अकर्मण्यता नहीं है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या वह अध्यापक....

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजा खेड़ा) : मुझे यह सवाल पूछना था, क्या एक अध्यापक को हथकड़ी लगाने की पाबन्दी है ?

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य। माननीय सदस्य एक एक करके बोलते जायं। सबको मौका दे दूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं पूछना चाहता हूं..

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक प्रश्न का उत्तर आने दीजिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जिन नियमों का हवाला दिया है, उनके तहत अध्यापक को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है–यह जानकारी चाहता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या रोजनामचे में लिखा है ?

श्री गुमानमल लोढा : मैं एक प्रश्न पूछता हूं...

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल : अध्यापक कौशिक और उसके साथी हैं, इनके द्वारा मण्डावर की मंडी में आग लगाई गई। इस अध्यापक और इसके साथियों ने रसीदपुर के सरपंच का हाथ तोड़ा था ? इन जगहों के वातावरण में, महुआ, मण्डावर और रसीदपुर में भयंकर आतंक छाया हुआ था, वहां का वातावरण अशुद्ध हो रहा था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पांच महीने की डिले है। आपके रोजनामचे में क्या है ? वह अध्यापक काम करता था या नहीं ? डिले का क्या है रोजनामचे में ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : डिले का प्रश्न है....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : पांच महीने में ड्यूटी पर था या नहीं यह बता दें।

श्री गुमानमल लोढा : मैं दो प्रश्न पूछ लेता हूं। एक तो यह जानना चाहता हूं..

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर), दो नहीं, एक पूछें।

श्री गुमानमल लोढा : क्या केस रजिस्टर होने के बाद, जो आफेन्सेज थे, उनके कारण केस नान-बेलेबल था ? क्या पांच महीने तक इस अध्यापक को एब्सकोंडिंग शुमार किया गया या इसके खिलाफ एब्सकोड होने की कार्यवाही की गई ? नहीं की तो पांच महीने तक इसको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया ? एक बात। दूसरी बात जानना चाहूंगा कि आपने अपने उत्तर में कहा है, प्रश्न संख्या 532 के भाग पांच में आपने कहा है। उसमें पूछा था, क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक की जमानत लेते हुए मुन्सिफ मजिस्ट्रेट

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
हिण्डौन ने स्थानीय पुलिस के विरुद्ध रिमार्क्स दिए हैं ? इसके उत्तर में आपने जो उत्तर दिया है, इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि 21-6-73 को जिस समय मजिस्ट्रेट के सामने इस अध्यापक को प्रस्तुत किया गया तो क्या एस. डी. एम. श्री ओम प्रकाश अग्रवाल ने राज्य सरकार और पुलिस के खिलाफ यह शब्द लिखे :

"Perused the diary which does not show the time at which it was closed. The diary is also silent whether any investigation was made today. The S. H. O. Mahuwa should explain the reason why both accused were produced at my residence at 12.50 P. M. without giving reasons for late production and why criminal proceedings should not be started against him. The S.H.O. has not completed the diary for 21-6-73 at the time when the accused were sent from the police station."

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं इस संदर्भ में कि क्या यह सही है कि यह सारी कार्यवाही वहां पर इस अध्यापक से कुछ अन्य लोगों द्वारा एक व्यापारी के यहां पर रेड करवाने से क्रुद्ध होकर, होर्डिंग आर्डीनेन्स या गेहूं के बारे में जो रेड करवाया, उससे नाराज होकर और क्रुद्ध होकर पुलिस ने जालसाजी करके व्यापारी से मिलकर इस अध्यापक को विक्टीमाइज करने का केस बनाया ? क्या यह सही है कि एस.डी. एम. के रिमार्क्स होने के बावजूद भी आज तक आपने उस पुलिस अधिकारी और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और क्या यह सही है कि आपके नियमों के अनुसार हथकड़ी केवल उस समय डाली जाती है जबकि मुल्जिमान के भागने या फरार होने का अंदेशा हो ? आपके नियमों में मुकदमें की गंभीरता के अनुसार हथकड़ी डालने का प्रावधान नहीं है, पर जहां पुलिस का खयाल है कि यह एब्सकांड हो जाएगा या फरार हो जाएगा तो क्या इस अध्यापक या अन्य किसी अध्यापक के फरार होने का अंदेशा था या केवल उन व्यापारियों से सांठगांठ करके अध्यापक को जलील करने के लिए इसको हथकड़ी डालकर जनता में घुमाया गया ताकि कभी कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के होर्डिंग के केसेज को आपके सामने न रख सके ?

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आपको समय दे दूंगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक अध्यापक को हथकड़ी लगाने का प्रश्न है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार का अधिकारी हो व कोई जुर्म करे तो उसको हथकड़ी न लगायें...

श्री गुमानमल लोढा : लेकिन कब लगाई जाए ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक इन्वेस्टीगेशन को उस समय लेने का प्रश्न है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
इसमें 5 महीने का समय लगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, इन्वेस्टीगेशन में विलंब हुआ है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिना कारण समय लगा है। विलंब का कारण क्या है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कारण तो मेरे पास इस समय मौजूद नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उत्तर नहीं है आपके पास।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्योंकि पुलिस की व्यापारियों के साथ सांठगांठ थी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक केस में समय लगने का प्रश्न है, पुलिस स्टेशन पर और भी मुकदमें थे और बातें थीं, समय पर उनका न मिलना सारी बातें हैं इस वजह से देरी हुई है।

(व्यवधान शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढा : उत्तर दे रहे हैं, हृदय साथ नहीं दे रहा है, रेकार्ड साथ नहीं दे रहा है।

श्री गुलाबसिह शक्तावत : मेरे पास सारा रेकार्ड है, मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, आप सुनने की कोशिश करें। जैसा मैंने कहा एफ.आई.आर. में मुल्जिमान के नाम लिखे हुए नहीं थे तो निश्चित रूप से केस को इन्वेस्टीगेट करने के लिए कौन व्यक्ति सम्बन्धित था, इसका पता लगाने में रास्ते चलते आदमी को तो गिरफ्तार नहीं कर सकते।

श्री गुमानमल लोढा : तो आपकी साईंटीफिक बात कौनसी थी ? पांच महीने तक पुलिस सोती रही ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एफ. आई. आर. में किसी मुल्जिमान के नाम लिखे हुए नहीं थे इसलिए रास्ते चलते किसी को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए सम्भव नहीं है क्योंकि यह महत्वपूर्ण घटना होने की वजह से जब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाता, पुलिस किसी आदमी को नहीं फंसाना चाहती इस कारण इस केस में टाइम लगा जिसको मैं स्वीकार करता हूं।

जहां तक मुंसिफ मजिस्ट्रेट हिंडौन के रिमार्क्स की बात आपने कही, उन्होंने स्थानीय पुलिस के विरुद्ध कोई रिमार्क्स नहीं दिए हैं यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। एस.डी.ओ. के यहां कोई चालान पेश नहीं हुआ, आपने एस. डी. ओ. का रैफरेन्स दिया। प्रश्न में पूछा है कि क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक की जमानत लेते हुए मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हिण्डौन ने स्थानीय पुलिस के विरुद्ध रिमार्क्स दिए हैं ? मैं कैटेगोरीकली डिनाई करता हूं, इस प्रकार के रिमार्क्स नहीं हैं। माननीय सदस्यों को मैं उस अध्यापक के आचरण के बारे में भी जिलाधीश की रिपोर्ट सदन में पेश करने के लिए तैयार हूं और आप चाहें तो पढ़कर सुनाता हूं कि उनके विरुद्ध किस प्रकार का वातावरण पैदा हो

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
गया था, किस तरह से बात उन्होंने कही थी, जिस कारण पुलिस और दूसरे लोगों ने सारी चीजें की हैं और जिलाधीश ने लिखा है। कोई एक घटना नहीं है, कई घटनायें इन्वाल्ड होती रहती हैं, वह अशांति पैदा करता रहता है...

(शोरगुल)

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के लेटर की कापी है, उनके रिमार्क्स हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं उसी पैराग्राफ को पढ़ कर सुनाता हूं जो अध्यापक के सम्बन्ध में जिलाधीश सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट है।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : कलक्टर इस केस में गवाह है क्या ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को बोलने दीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह मेरे पास अटेस्टेड कापी है रिमार्क्स की।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री प्रद्युम्न सिंह : Have you got certified copy from court.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : "During our visit to Mandawar, both myself and the Superintendent Police found that Shri Jagdish Chandra Kaushik is not a desirable person and his activities are constant source of tension in the area. We have finally come to the conclusion that the situation in the area can worsen at any time unless Shri Kaushik is removed from this district immediately."

श्री अध्यक्ष : You can ask ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट जो आपने पढ़ कर सुनाई, क्या इस रिपोर्ट का इस गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर पुलिस के नोटिस में इन व्यक्तियों के नाम कौनसी तारीख को पहली बार आये जिसके आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया और किस आधार पर इनके नाम आये ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : पुलिस के इन्वेस्टीगेशन का कौनसा सोर्स है, यह पूछा नहीं जा सकता।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एफ.आई.आर. में स्पष्ट तौर पर लिखा था कि "आज सुबह 11 बजे हायर सेकेन्डरी स्कूल के लड़कों ने मेरी दुकान पर आकर हुल्लड़ मचाना शुरू किया"।

(श्री गुमानमल लोढा)

एफ.आई.आर. में किसी अध्यापक का संकेत मात्र भी नहीं था फिर भी आपने 5 महीने बाद में पहली बार जगदीश प्रसाद नामक अध्यापक और इसके साथियों को इस कारण से इन्वाल्व किया क्योंकि उन्होंने इस व्यापारी के खिलाफ होर्डिंग आर्डीनेन्स और अन्य कानूनों के तहत गेहूं और अन्य खाद्यान्नों को रिकवर करवाने के लिए कार्यवाही की थी। अध्यक्ष महोदय एक और बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह बयान दिया कि एस. डी. ओ. के पास केस पेश किया गया है। और एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने पुलिस के खिलाफ में कोई रिमार्क्स पास नहीं किये हैं। इसके बारे में तो मैं आपके खिलाफ में हाउस में गलत सूचना देने के बारे में प्रिविलेज का मोशन लाऊंगा लेकिन इसके पहले कि मैं आपके खिलाफ प्रिविलेज का मोशन लाऊं माननीय राज्य मन्त्री गृह को एक मौका और देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमें स्पेसिफिक भी लिखा है कि एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट डिन्होन ने जो लिखा है तारीख 21-6-73 को ...

"Perused the diary which does not show the time at which it was closed."

श्री अध्यक्ष : Is it a certified copy?

श्री गुमानमल लोढा : मेरे पास प्रमाणित प्रतिलिपि है। "The diary is also silent whether any investigation was made today."

(1) एक तो स्ट्रिक्चर पुलिस के खिलाफ यह पास किया है।

"The S. H. O. Mahuwa should explain the reason why both accused were produced at my residence at 12.50 P. M. without giving reasons for late production and why criminal proceedings should not be started against him."

(2) यह दूसरा स्ट्रिक्चर पुलिस के खिलाफ में पास किया है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह कोई स्ट्रिक्चर नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप खुद एडवोकेट हैं। आप यह क्या पढ़ रहे हैं? यह कोई स्ट्रिक्चर है क्या?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हिन्डौन, महुआ और उसके आसपास के सभी व्यक्ति घबराते हैं। इसने गांव में आग लगवादी ..

(कई सदस्य एक साथ उठकर बोलने खड़े होने पर अव्यवस्था, शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढ़ा : These are strictures against the the police.

(व्यवधान)

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज एक मिनट रुक जाइये। क्या आप इसको डिनाई करते हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (राज्य मन्त्री गृह) : This is no stricture.

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय इस केस में पुलिस में एफ.आई.आर. महुआ थाना में पेश हुई फिर उसके बाद में हिन्डौन एस.डी.ओ. के कोर्ट में केस पुट अप किया गया बाद में टीचर के बारे में आई.ओ.एस. ने कलेक्टर से कहा कि इस मास्टर को यहां से हटाया जाय यह कहा गया है कि इसने यहां आग लगवायी और उसमें यह भी कहा गया कि जब तक इस मास्टर को नहीं हटाया जायेगा तब तक यहां पर शान्ति नहीं हो सकती। इसलिये इस केस में डिले हुआ था। इसके अलावा मैं माननीय सदस्य से यह भी निवेदन कर दूं कि अग्रवाल नाम का एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट और एस.डी.ओ. इन पिछले पांच सालों में कोई आफिस नहीं आया...

(कई सदस्य के बीच में बोलने से अश्रव्य)

जब कलेक्टर द्वारा उस मास्टर को वहां से हटाया गया तब जाकर बाद में वह अध्यापक अरेस्ट हुआ इसलिये डिले हुई।

(कई सदस्य बोलने पर अश्रव्य शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि उस व्यक्ति ने आग लगवायी तो उसके लिये मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जब एफ.आई.आर. पुलिस में लिखवायी गयी, उस अध्यापक का नाम उसमें था क्या ? जब केस रजिस्टर किया गया कि आग लगी है, इस अध्यापक का नाम है क्या ? उन्हें कैसे पता लगा उक्त व्यक्ति ने आग लगाई ?

एक माननीय सदस्य : एफ. आई. आर. में हर एक में मुलजिमान का नाम होना जरूरी नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे तो कोई जानकारी नहीं है लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इस अध्यापक को आग लगाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इसलिये कह रहा हूं कि अगर उसने आग लगवाई तो केस जब रजिस्टर हुआ तो उसमें उसका नाम होना चाहिये था। यह बतावें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है इसलिये पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय मन्त्री जी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (राज्य मंत्री) : जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि मैंने सदन में गलत सूचना दी है उसके लिये वह प्रिविलेज मोशन लायेंगे उसके लिये मुझे आपत्ति नहीं है वह चाहें तो ला सकते हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत) ने कहीं भी अपनी डायरी में किसी प्रकार का कोई रिमार्क पुलिस के खिलाफ पोइन्ट आउट नहीं किया है। इसके अलावा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा और उसके बारे में सूचना चाही उसके लिये मेरा इतना ही निवेदन है कि यह अलग से प्रश्न है और इसकी सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिये उसका जवाब देने में अभी असमर्थ हूं।

(कई सदस्य एक साथ बोलने पर-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रश्न संख्या 533

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय मेरा क्वेश्चन नम्बर 532 के संबंध में यह निवेदन है कि पुलिस की डायरी उस केस से संबंधित है वह हाउस की टेबल पर रखवा दी जाय।

श्री अध्यक्ष: Order please, I have allowed 25 minutes over this question, Next question has been taken up now.

नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

परिवार नियोजन के अन्तर्गत जालौर जिले के निर्धारित लक्ष्य

533. **श्री रघुनाथ विश्नोई :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत इस साल के निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सके हैं? अगर हां, तो इस साल जिले के क्या क्या निर्धारित लक्ष्य थे एवं उसके तहत अब तक क्या क्या कार्य होने शेष हैं? तथा लक्ष्यों की पूर्ति में क्या कठिनाई है? क्या विभाग द्वारा 31-3-74 तक निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकेगी।

(2) जिला जालौर में परिवार नियोजन विभाग में अब तक कितने स्टाफ की कमी है? उसकी पूर्ति सरकार द्वारा कब तक कर दी जावेगी?

राज्य मंत्री (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां, जिला जालौर में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष में नसबन्दी एवं परम्परागत निरोधक उपकरणों के लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सके हैं। परन्तु लूप प्रविष्टि के मामले में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर जनवरी, 1974 के अन्त तक निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धियां हुई हैं। जिले के लक्ष्य व उपलब्धियों का ब्योरा परिशिष्ट 'क' में है।

(कृपया परिशिष्ट 'क' देखिये)

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

लक्ष्यों के अनुसार अब 541 नसबन्दियों एवं 1125 गर्भ निरोधक उपकरण उपयोग-कर्ताओं को प्राप्त करनी है तथा इन लक्ष्यों की पूर्ति की 31-3-74 तक सम्भावना नहीं है। लक्ष्यों की उपलब्धियों में कठिनाइयां परिशिष्ट 'ख' में हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति विशेष परिवार नियोजन अभियान का आयोजन जारी है। स्थान स्थान पर शिविर लगाकर ज्यादा से ज्यादा नसबन्दी आपरेशन करने का प्रावधान है। जिला परिवार नियोजन संस्थान द्वारा अभियान को सफल बनाने में परम्परागत निरोधक उपकरणों के लिये अधिकाधिक उपयोग-कर्ताओं के पंजियन का भी प्रयत्न जारी है।

(2) जिला जालौर में 38 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने पर केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है। उसके उठाने के पश्चात् ही रिक्त स्थानों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि उनका लक्ष्य 15 परसेंट पूरा हुआ है और दूसरे में इन्होंने बताया कि हमने 25 परसेन्ट लक्ष्य पूरा किया है। तो अध्यक्ष महोदय इसका मतलब यह हुआ कि इनका जो प्रोग्राम था वह फेल हुआ क्यों यह अपना टारगेट पूरा नहीं कर सके। मेरा इसके लिये निवेदन है कि जिन कर्मचारियों की वजह से यह फेल हुआ उसके लिये इन्होंने क्या कार्यवाही की। इन्होंने जो सूची में दिया है कि कर्मचारियों ने रुची नहीं ली या और भी कारण बताये हैं इसमें जनता का क्या दोष है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय जहां तक विभागीय कर्मचारियों की नेग्लीजेन्स या रुचि नहीं लेने के कारण इसके लिये जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ उनकी सर्विस बुक में एन्ट्री की गयी है उनकी सी. आर. में एन्ट्री की गयी है। इसके अलावा जो पैरा-मेडिकल स्टाफ है उनमें से 18 को सर्विस से टरमीनेट किया गया। इसके अलावा 15 के ग्रेड इन्क्रीमेन्ट्स रोके गये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके अलावा उनकी जो गाड़ियां हैं। वह दूसरे विभाग द्वारा ले ली जाती हैं। इसके लिये भी तो टारगेट पूरा होने में दिक्कत आ सकती है। यह दूसरे विभाग वाले परिवार नियोजन की गाड़ियां क्यों ले लेते हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, आठ नौ कारण हैं जो बता दिये गये हैं उनमें से यह अकेला ही कारण नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, उनको मना करना चाहिये। यह क्यों ऐसा होता है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को दूसरे अन्य जरूरी कार्यों के लिये समय समय पर लेना पड़ता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं आपकी जानकारी के लिये बताऊं कि यह पिछले बारह महीनों में दो माह गाड़ी सिर्फ अपने काम के लिये चली है बाकी दूसरे विभागों के लिये दस माह तक चली है।

श्री मोहनलाल छंगाणी (स्वास्थ्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय यह तो सभी माननीय सदस्यों को पता ही है कि पिछले कई सालों से राजस्थान में कभी अकाल पड़ा है तो उसमें चूंकि अकाल का काम ज्यादा जरूरी होता है इसलिये उस काम में गाड़ियां ली जाती हैं। सरकार अपने प्रोग्राम को इन्ट्रीग्रेटेड वे में करना चाहती है लेकिन जब अकाल आजाये या बाढ़ आ जाये तो आप जानते हैं कि उन कामों को प्रायोरिटी दी जानी जरूरी है। जैसा कि जालौर में पिछले साल बाढ़ आगयी तो यहां कई सदस्यों को उसको प्रायोरिटी के लिये कहा तो हमें स्टाफ उसमें लगाना पड़ता है। साथ में गाड़ियां भी जाती हैं। इसलिये टारगेट पूरा नहीं हो सका है। फिर भी मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि लूपबन्दी के टारगेट तो हमने पूरे कर ही लिये थे। इस साल अब हम इस काम को तेजी से शुरू कर रहे हैं और मैं माननीय सदस्यों से उम्मीद करता हूं कि वह भी हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर हमारे प्रोग्राम को फुलफिल करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल।

अकलेरा तहसील की लिफ्ट इरिगेशन योजना

534· **श्री भैरूंलाल** (अकलेरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अकलेरा तहसील लिफ्ट इरिगेशन की योजनायें राज्य की सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कौन कौनसी तथा इनका कार्य कब प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): जी नहीं।

श्री भैरूंलाल : क्या यह सही है कि वहां पर दो योजनायें चालू की गयी थीं और पम्पिग सेट भी लगाये थे? उन योजनाओं को बन्द कर देने से जनता में बड़ा भारी असंतोष है।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य का यह प्रश्न था कि अकलेरा क्षेत्र में लिफ्ट इरिगेशन योजना विचाराधीन है। मैंने जवाब दिया कि 'जी नहीं'। माननीय सदस्य ने फिर पूछा कि दो योजनायें चालू की गई थीं और पंपिग सेट भी लगाये थे। उनको बन्द कर दिया गया। इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि जब ये योजनायें शुरू की गयी थीं तो यह तय किया गया था कि इनको 'नो लोस नो प्रोफिट' पर चलाया जायगा। काश्तकारों ने इसको स्वीकार नहीं किया। ज्यादा भार पड़ता है इसलिये नहीं चला सकते। राज्य सरकार ने कहा कि जब 'नो लोस नो प्रोफिट' पर नहीं चला सकते हैं तो हम योजनाओं को अपनी ओर से नहीं चला सकते हैं। फरदर योजना कोई बन सकती हो इस पर भी विचार नहीं किया गया?

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): जो पहले चालू थीं उनमें नुकसान हो रहा था क्या?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हां।

श्री रामप्रसाद मोहरा : जिला झालावाड़ में जो स्कीम्स अधूरी पड़ी हैं उनको तो हाथ में लें ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अकलेरा क्षेत्र के लिये पूछा है। सारे जिले में कितनी योजना पड़ी है इसकी जानकारी अभी नहीं है। अलग से प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीनिवास शारदा।

निम्बाहेड़ा अस्पताल में स्वीकृत बैड्स

535. **श्री श्रीनिवास शारदा** (निम्बाहेड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निम्बाहेड़ा के अस्पताल में कितने बैड्स स्वीकृत हैं और उपरोक्त बैड्स कब से चले आ रहे हैं ?

(2) उपरोक्त अस्पताल में दैनिक आउटडोर व इनडोर मरीजों की संख्या क्या है ?

(3) निम्बाहेड़ा अस्पताल की दवाइयों का बजट कितना है? दवाइयों का बजट किस किस वर्ष किस मात्रा में रिवाइज किया गया है। मरीजों की संख्या एवं दवाइयों के अपर्याप्त प्रावधान को देखते हुए क्या सरकार बजट में वृद्धि करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक इसकी व्यवस्था हो जावेगी ?

राज्य मंत्री चिकित्सा (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) 12 शैयायें वर्ष 1953 से स्वीकृत हैं।

(2) 12 इण्डोर व 293 आउट डोर दैनिक औसत संख्या है।

(3) उक्त चिकित्सालय का वार्षिक बजट 5,900) रु. का है। दवाइयों का बजट वहां के दैनिक रोगियों के औसत एवं रेशनेलाइज्ड पैटर्न के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। अगले वर्ष से दवाइयों के लिये प्रावधान में वृद्धि का प्रस्ताव है।

श्री श्रीनिवास शारदा : अगले वर्ष में कितने बैड्स बढ़ा रहे हैं और कितनी दवाइयों का बजट बढ़ा रहे हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : 40 पर्सेन्ट। रेशनेलाइज्ड पेटर्न के आधार पर वहां दवाइयों का कोटा बढ़ाया जा रहा है।

श्री श्रीनिवास शारदा : बैड्स ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : बैड्स बढ़ाने का विचार नहीं है।

श्री श्रीनिवास शारदा : इसको आप ठीक समझती है कि 25–30 वर्ष पूर्व से निरन्तर उस अस्पताल में 12 ही बैड्स चलते रहें ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इतना ही कह सकती हूं कि अभी इस बारे में विचार नहीं किया जा रहा है। 12 इण्डोर हैं और 293 आउट डोर की दैनिक संख्या आती है।

श्री श्रीनिवास शारदा : हिसाब लगायें तो आधा नया पैसा भी प्रति मरीज उपलब्ध नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामप्रसाद बोहरा।

भीमसागर एवं हरिश्चन्द्र सागर बांधों का कार्य।

536. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में भीमसागर व हरिश्चन्द्र सागर बांधों के कार्य बन्द पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो कार्य कब चालू होंगे ?

(2) भीमसागर व हरिश्चन्द्र सागर बांध का रिवाइज्ड एस्टीमेट कितना है और वर्ष 74—75 में इसके लिए कितना बजट रखा गया है ?

(3) दोनों बांधोंका कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

सिंचाई मंत्री (हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां, भीमसागर एवं हरिश्चन्द्र सागर बान्धों के निर्माण कार्य बन्द पड़े है। इन कार्यों को पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में करने का विचार है।

(2) भीमसागर एवं हरिश्चन्द्र सागर बांध सिंचाई योजनाओं के लिए पंचम पंचवर्षीय योजना में क्रमशः 356 लाख एवं 156 लाख रु. का प्रावधान है। वर्ष 1974—75 में इनके लिए प्रावधान नहीं है।

(3) दोनों बान्धों का कार्य पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में पूरा होने की सम्भावना है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : भीमसागर बांध के लिए कितना रुपया योजना में रखा गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 356 लाख रुपयों।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि इस साल में इसके लिए पैसा नहीं दे रहे हैं ? और क्या चार साल में 4 करोड़ रुपया आप लगा सकेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो योजना का कार्यक्रम बनाया है और उसके ऊपर कहा है तो निश्चित रूप से समझना चाहिये कि पैसा देता है।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि बांध का काम कब प्रारम्भ हुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, काम प्रारम्भ हुआ था सन् 1960—61 में इसके पहले सन् 1954 मे भी हुआ था। कई कारण रहे हैं कि समय समय पर कार्य को बन्द करना पड़ा।

श्री लक्ष्मणसिंह : 20 वर्ष से काम चल रहा है या बन्द हो रहा है। यह तो योजनाबद्ध तरीका नहीं है काम करने का मंत्री महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : जैसा मैंने कहा कि कई कारण रहे हैं। कुछ तो लोगों की जमीन डूब में आने वाली थी जिस पर एतराज किया गया जिसके कारण काम बन्द करना पड़ा। यह दो तीन बार बना और टूटा। वहां की मिट्टी और पत्थर को एक्जामिन कराने का प्रश्न था। किस प्रकार इसको बनाया जाय और इसका क्या डिजाइन हो, इसमें थोड़ा लम्बा समय लगा कार्यवाही में। बीच में अकाल का समय आ गया फिर पाकिस्तान से युद्ध हो गया। ये सब चीजें आखिर फाइनेन्स को इफेक्ट करती हैं और इसी कारण से इसको किया जा सका।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

जयभारत इन्जीनियरिंग वर्क्स एवं मेवल आटो रिपेयर्स को लोहे का कोटा

537. **श्री गुरुदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि कोटा शहर में स्थानीय रजिस्टर्ड लघु उद्योग संस्थान द्वारा पिछले पांच वर्षों में जय भारत इन्जीनियरिंग वर्क्स एवं मेवल आटो रिपेयर्स के मालिक मेवल राम हंसराज आदि के नाम से बहुत से लोहे आदि का जाली हस्ताक्षरों से कोटा दिया गया जिसका उन व्यक्तियों द्वारा बिक्री कर भी अदा नहीं किया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले की शिकायत राज्य सरकार के पास की हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(ग) उक्त फर्मों के नाम जो नाजायज कोटा दिया गया वह कितना कितना और किस किस के नाम पर कब कब दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।?

राज्य मंत्री, उद्योग विभाग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (क) जी नहीं। स्थानीय रजिस्टर्ड उद्योग, संस्थान द्वारा आवंटन नहीं किया जाता। जिला वितरण समिति द्वारा वितरित किया जाता है। जिला वितरण समिति ने मैसर्स जय भारत इंजीनियरिंग वर्क्स व मेवल आटो रिपेयर्स कोटा को 11 जून, 1973 को 1.1 टन डिफेक्टिव प्लेट्स का आवंटन किया था। ये दोनों क्रियाशील इकाइयां है। मैसर्स मेवल आटो कोटा का परमिट किसी अन्य व्यक्ति ने लेकर माल प्राप्त कर लिया था। यह माल राजस्थान लघु उद्योग निगम के कोटा डिपो से उठाया गया है, तथा नियमानुसार बिक्री कर निगम द्वारा वसूल किया गया है।

(ख) जी हां। मैसर्स मेवल आटो रिपेयर्स का परमिट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उठा लेने की शिकायत प्राप्त हुई थी, तथा मामला पुलिस में दे दिया गया है। परमिट वितरण करने वाले चतुर्थ कर्मचारी को प्रारंभिक जांच के पश्चात् निलम्बित कर दिया गया है तथा विभागीय जांच जारी है।

Page No 16

(16)

(राज्य मंत्री उद्योग)

(ग) कोई भी नाजायज कोटा नहीं दिया गया है। इन पार्टियों को दिये गये कोटे की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट- 2 देखिये ।)

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : यह मामला कब से पुलिस में विचाराधीन है ? क्या मौके पर जांच कर रहे हैं या नहीं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 28-6-73 को पुलिस में एन्टर कराया गया, आई. पी.सी. 419/420 के अन्तर्गत। पुलिस ने अब तक श्री मदनलाल वल्द पन्ना अहीर एवं बजरंगलाल रावतभाटा को गिरफ्तार कर लिया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : किस अपराध में मामला पुलिस को दिया गया फोर्थ क्लास सर्वेन्ट का ?

श्री गुलाबसिंह : फोर्थ क्लास सर्वेन्ट को परमिट हैंड ओवर किया गया। असली डीलर को तो इस चपरासी ने परमिट हैंड ओवर नहीं किया यह इन्क्वायरी से साबित हो गया है इसलिए उसको सस्पेन्ड कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री श्रीराम गोटे वाला।

रेट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत सब स्टेन्डर्ड दवाओं की खरीद

538. श्री श्रीराम गोटे वाला (किशनपोल जयपुर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रेट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत सब स्टेन्डर्ड दवाई सप्लाई करने वालों को ब्लेक लिस्ट करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में कितनी कम्पनियों ने सब स्टेन्डर्ड दवा सप्लाई की और कितनों को ब्लेक लिस्ट किया गया। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कितनी ही दवाओं की खरीद से पहले ही विभाग को यह ज्ञात हो गया था कि अमुक कम्पनी सब स्टेन्डर्ड दवा सप्लाई कर रही है परन्तु किन्हीं कारणों से विभिन्न इन्डेन्टिग आफिसरों को इस सम्बन्धी सूचना नहीं भेजी गयी ? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में किस-किस कम्पनी को विभाग ने कब कब ब्लेक लिस्ट कर विभिन्न इन्डेन्टिग ओफिसरों को सूचित किया ?

(3) क्या यह भी सही है कि बम्बई को मैसर्स नैफा, समर्थ केयर डील आदि कम्पनियों ने गत 5 वर्षों में कितनी ही बार सब स्टेन्डर्ड दवाओं की सप्लाई की परन्तु विभाग को यह जानकारी होते हुए भी ये कम्पनियां सब स्टेन्डर्ड दवा सप्लाई कर रही है फिर भी इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की गई ? यदि हां, तो क्यों, तथा इनके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(4) उक्त खरीदों में राज्य सरकार को कितनी धनराशि की हानि हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री, चिकित्सा : (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता

(4) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उपस्थित हो गया हूँ। प्रश्न तो उपस्थित नहीं होता। बहुत साफ प्रश्न है। सब स्टेन्डर्ड दवाई सप्लाई करने वालों को ब्लेक लिस्ट करने का प्रावधान है। जब इन दुकानदारों पर छापे मारने का काम हम करते हैं तो किसी प्रकार से उनको पनिशमेन्ट का प्रावधान नहीं हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्लेक लिस्ट करने का प्रावधान नहीं है। स्टेन्डर्डडाइज कोड के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है किन्तु रेट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत वह नहीं होता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी मैं चाहता था कि सब-स्टेण्डर्ड दवाईयां जिसने सप्लाई की आपने कहा कि यह रैट कन्ट्राक्ट में हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, दूसरे में ले सकते हैं तो क्या किन्हीं कम्पनियों के खिलाफ इस के लिये दूसरे नियमों में एक्शन लिया सरकार ने कभी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैसर्स फार्मास्युटिकल्स के ताल्लुक उसे ब्लेक लिस्ट में लिये जाने के लिये मामला सरकार के पास आया हुआ है। अब उसमें स्टेण्डर्डाइज्ड कोट के नियमों के तहत कार्यवाही करके फिर यह कार्यवाही की जावेगी।

श्री श्रीराम गोटेलाला : नेम्फा, फेयर-डील की एस्पीरिन को भी सीज किया गया था क्या ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं। ऐसा कोई केस हमारे पास नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं निवेदन करू कि चार हजार रुपया सब-स्टेण्डर्ड की दवाईयां, सप्लाई करने के लिये डिटेक्ट किया गया था केस में।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अब आपने यह जो सूचना दी है इस की मैं जानकारी करूंगी और जस अधिकारी ने गलत सूचना दी है उस बाबत भी कार्यवाही करूंगी।

जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र में स्कूलों के भवन बनाने हेतु अनुदान

539. **श्री केशरीमल (ब्यावर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र के गांवों में शाला बनाने हेतु कितनी कितन

(श्री केशरीमल)
सहायता राज्य सरकार की ओर से किस किस गांव को दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि गांवों की जनता द्वारा शाला भवन हेतु राशि की मांग की जा रही है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार सहायता की राशि बढ़ाकर देगी जिससे गांवों में शाला भवन बनवाये जा सकें।

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह): (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(2) शिक्षा के बजट में उचित प्रावधान होने पर इस पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट - 3 देखिये)

श्री केसरीमल: यह सूची रखी है। इसमें 11 विद्यालयों को 36 हजार देना बताया गया है। कितने विद्यालय ऐसे हैं जो एक ही जगह के गांव के हैं ? इसमें एक एक गांव के कितने कितने विद्यालय हैं तो क्या यह राशि ठीक से वितरित की गई मानते हैं आप ?

श्री खेतसिंह: आप हिन्दी पढ़े लिखे हैं। सूची आपको दे दी गई है। एक एक गांव के कौने कौने से विद्यालय हैं। इसमें देख लीजिये। आपकी सुविधा के लिये मैं पढ़ दूं।

श्री केशरीमल: जवाजा में 14 हजार दिये हैं, राजियावास में 8 हजार, और देलवाड़ा में 8 हजार इन तीन जगहों पर तीस हजार दे दिया, बाकी सारे गांवों को साफ कर दिया। तो क्या यह न्यायोचित बात है ?

श्री खेतसिंह: यह शिक्षा मन्त्री ने नहीं दिया है, इसके लिये एक कमेटी बनाई गई थी जिला कमेटी; जिसके माननीय सदस्य भी मेम्बर थे। कलक्टर अध्यक्ष। जिले के सारे विधायकों ने और इस कमेटी ने मिलकर, यह वितरण किया है। सम्भव है उस रोज आप अनुपस्थित हों और आप की गैर हाजरी में यह वितरण कर दिया गया हो ?

श्री केशरीमल: क्या अलग से और दूसरे गांवों को भी रकम दी गई है ?

श्री खेतसिंह: सूची यही है। और मुझे जानकारी नहीं है। कमेटी में जो डिसाइड हुआ उसके उपरान्त अगर कहीं कुछ दिया गया है और उसमें हेराफेरी हुई है तो इसकी निश्चित तौर पर मैं जांच कराने को तैयार हूं बशर्ते कि आप लिखित में स्पेसिफिक उदाहरण देकर मुझे बतावें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपने क्या यह पता लगाया कि कमेटी का क्या निर्णय था ?

श्री खेतसिंह: सारे निर्णयों की सूची मेरे पास नहीं है। आपने जवाजा के लिये ही पूछा था। अगर कमेटी निर्णय से भिन्न यह सूची है तो आप लिखित में दे दीजिये। मैं इसकी जांच करवा लूंगा। इसके लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या 36

6–3–74 एवं 20–3–74

श्री मीठालाल (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री प्रतापसिंह ।

स्थगित प्रश्न

(20-3-74)

मजदूरों को बकाया का चुकरा

315. श्री प्रतापसिंह (किशनगढ) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। क्या यह सही है कि गत अकाल में श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान अजमेर जिले में अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो मजदूरी का भुगतान अब कब तक कर दिया जावेगा ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (अकाल राहत मन्त्री): शीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा।

श्री प्रतापसिंह : साल भर से आप शीघ्र शीघ्र करते आ रहे हैं। भुगतान की एक निश्चित तिथि आप बता दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : "शीघ्र" यह एक संसदीय शब्द है।

श्री लक्ष्मणसिंह : आखिर पेमेन्ट करने में दिक्कत क्या है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कितनी रकम की आवश्यकता है इसकी जानकारी करने पर ही चुकारा कर सकेंगे। यह जानकारी की जा रही है। काफी कर चुके हैं। कुछ बाकी है।

श्री केशरीमल : जानकारी पूरी की पूरी आपके पास है।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : यह पंचायत समिति के मार्फत क्यों नहीं करा देते हैं पेमेन्ट ?

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 20-3-74)

आहोर तहसील में बाढ से क्षति

343. श्रीमती समुद्र कंवर (आहोर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) आहोर तहसील में गत बाढ़ से कितने मकान गिरे और प्रत्येक मकान मालिक को राज्य सरकार की तरफ से क्या सहायता दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आहोर तहसील में गत बाढ़ से कितने कुए नष्ट हुए और कितने बीघे जमीन रेत आने से अथवा खड्डे पड़ जाने से खराब हुई और राज्य सरकार की ओर से काश्तकारों को क्या सहायता दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। यदि कोई सहायता नहीं दी गई तो क्यों ?

(श्रीमती समुद्र कंवर)

(3) उक्त क्षेत्र के जिन काश्तकारों की समूची फसल नष्ट हो गई उनको क्या राहत दी गई यदि नहीं दी गई, तो क्यों ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) आहोर तहसील में गत वर्ष आई बाढ के कारण 2357 मकान पूर्ण रूप से एवं 2176 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। पीड़ित व्यक्तियों को 487880) की सहायता के रूप में वितरित की गई। सहायता की यह राशि पूर्णतः मकान ध्वस्त होने की दशा में 150) प्रति परिवार एवं आंशिक रूप से मकान क्षतिग्रस्त होने की दशा में 10) से 100) रुपये प्रति परिवार की दर से देय होती है साधारणतया पूर्ण रूप से मकान ध्वस्त होने की दशा में 150) रु. प्रति परिवार एवं आंशिक रूप से क्षति ग्रस्त होने की दशा में 75) रु. प्रति परिवार की दर से सहायता दी गई है। सहायता की राशि निर्धारित करते समय मकान मालिक की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखा गया है।

(2) आहोर तहसील से गत वर्ष आई बाढ़ से कुल 89 कुए नष्ट हुए एवं बाढ़ के कारण रेत आ जाने तथा खड्डे आदि पड़ जाने से कुल 4985 बीघा भूमि खराब हुई। इस वर्ष कुओं के नष्ट होने अथवा जमीन के बिगड़ जाने पर कोई सहायता कृषकों को उपलब्ध नहीं की गई। सहायता उपलब्ध नहीं करा सकने का कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कोई धनराशि उपलब्ध कराना स्वीकार नहीं किया। जो केन्द्रीय दल बाढ़ की स्थिति का अध्ययन करने आया था उसने यह मत व्यक्त किया था कि इस प्रयोजन के लिये ऋण की राशि सहकारी संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

(3) जहां तक फसलों की खराबी का सम्बन्ध है जालौर जिले से फसल खरीफ सम्वत् 2030 बाबत अभी तक अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। काश्तकारों को फसल के खराब के बाबत राहत अन्तिम प्रतिवेदन आने के बाद ही साधारणतया दी जाती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर), सैंकड़ों कुए इससे समाप्त हो गये। हजारों बीघा जमीन वाश आउट हो गई। असेसमेन्ट राज्य सरकार ने कराया नहीं ?

श्री सज्जन सिंह (सुमेरपुर) : साथ ही यह भी जोड़ दीजिये ऐसे क्षतिग्रस्त कुओं के सहायतार्थ धनराशि सरकार ने प्रोवाइड की है या नहीं या आप सैन्टर के ही भरोसे चुप होकर बैठे रहेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सीमेन्ट ही स्पेशल तौर पर आप उनको तुरन्त दिलाकर यह सहायता कर सकते हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस तरह के नुकसान पर हम किसी तरह की सहायता नहीं देते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : परटीकूलर जगह तो खेतों में सफेद रेत के टीले बन गये हैं यह भी आपने असेस करवाया ?

श्री गुलाबसिंह : जी नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : फिर आप क्या करेंगे ? कुए नष्ट हो गये । उनको पुनः ठीक करने के लिये आप आर्थिक सहायता नहीं देना चाहते । तो सीमेन्ट तो उचित दरों पर शीघ्रता से उनको उपलब्ध करा सकते हैं ?

फिर आपने 150 रुपया की सहायता का आधार बनाया । यह किस आधार पर बनाया ? अनुसूचित जाति और जन जाति के गरीब लोगों के तो सभी के घर नष्ट हो गये । घर बार सभी नष्ट हो गये तो वे आपके इन 150 रुपये से क्या करेंगे ? आपका आखिर आधार क्या है ?

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सहकारिता के मार्फत सहायता की बात आपने कही । तो मैं कहता हूं जिन काश्तकारों के व्यक्तिगत कुए साफ हो गये खेत सफा हो गये तो उनको व्यक्तिगत सहायता देना भी आवश्यक है ।

श्रीमती उषा गोयल (वैर) : मैं पूछना चाहूंगी पिछले वर्ष भरतपुर में बाढ़ आई थी तब भी सदन में घोषणा की गई थी कि या तो उनको दूसरी जमीन दी जावेगी या कृषि विभाग की तरफ से मार्ग दर्शन दिया जावेगा कि जमीन किस तरह से सुधारी जावे । इसकी यहां भी आवश्यकता है । जमीन जो नष्ट हो गई है उनको सुधारने और उसका विकास करने तथा कुओं को भी ठीक करने के लिये किसानों की मदद की जानी चाहिए भरतपुर में भी यह बड़ा एक्यूट मामला बना पड़ा है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय एक निवेदन मैं भी करना चाहता हूं...

श्री पूनम चन्द विश्नोई (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय हजारों बीघा जमीन उजड़ गई । लैन्ड रिक्लेमेशन की योजना बनाई जाय । मोरसिंह गांव है उसकी सारी जमीन धुल गई और धुली हुई रेत आकर जम गई । मैं समझता हूं, कोई एक व्यक्ति यह सुधारने का काम नहीं कर सकता है । सरकार को ऐसी कोई योजना बनानी चाहिये ।

श्री गुमान मल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया वह . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया ।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय क्या आज सदन में घोषणा करेंगे कि नेचुरल केलेमिटीज के द्वारा मास स्केल पर काश्तकारों को नुकसान होता है, उसके बारे में राज्य सरकार, मुख्य मंत्री महोदय का जो फन्ड होता है उससे उसको मीट आऊट करेगी । उनको कोई मदद न कर क्या राज्य सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रहेगी ? और हजारों काश्तकारों की जमीन बरबाद हो जायेगी और राज्य सरकार यह कह दे हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है तो क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी ? और भविष्य में इस प्रकार मास स्केल पर जो नुकसान होता है उसको कम्पनसेट करने के लिये योजना बनायेगी ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले तो असेसमेंट कराया जाय उसके बाद सहायता का मामला आयेगा ।

श्री उम्मेदी लाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय पिछले साल खेत और कुए खराब

(श्री उम्मेदीलाल)
हुये उसके लिये अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया और कहा गया था जिन लोगों की जमीन और कुये बह गये हैं जहां कहीं जमीन होगी, देंगे तो क्या राज्य सरकार घोषणा करेगी ?

श्री भानु कुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय उदयपुर एक जिले से नहीं सारे जिलों से मिला हुआ है। उदयपुर में कई कुए जड़ से उखड़ कर बह गये राज्य सरकार ने घोषणा की 150) रु. घाव में नमक छिड़कने का काम है और वह भी आज तक नहीं दिए गए। जितनी झोंपड़ी वाले थे वे बेचारे जड़ से उखड कर बह गए, उनकी सारी प्रापर्टी बह गई। अकेले रह गए। सरकार ने घोषणा करने के बाद भी सहायता नहीं दी। क्या राज्य सरकार पुनः विचार करके उनको कोई मदद देगी ?

श्री जय किशन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री जय किशन लाल : अध्यक्ष महोदय मेरा एक प्रश्न है, इसके अन्दर...

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय मेरा यह निवेदन है ऐसी घटनाओं को कवर करने के लिये बजट में साधारणतया प्रावधान होना चाहिए। अन्य राज्यों में भी यही व्यवस्था है। यह सामान्य बुद्धि की बात है। अगर ऐसा नहीं है तो मंत्री महोदय हाइली डिफेक्टिव बजेटिंग है। अगर कोई एक्स्ट्रा आर्डिनरी केलेमिटि को मीट करने के लिये फन्ड ही नहीं है तो यह एक असाधारण पोजीशन है। मंत्री महोदय का यह कह देना कोई प्रावधान ही नहीं है, मेरे खयाल से इससे बढ़कर क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है। क्या मंत्री महोदय भविष्य में इस प्रकार का प्रावधान रखना उचित समझेंगे ?

श्री जय किशन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। मेरे क्षेत्र फागी में मासी और बाण्डी नदी है। पिछले वर्ष इन दोनों में फ्लड आ गया था। कुये जो नदी के किनारे किनारे थे, नष्ट हो गये। मेरे इलाके में फ्लड से ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां का सर्वेक्षण करा कर राहत दिलाने की क्या मंत्री महोदय कोई योजना रखते हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक व्यक्तिगत सहायता देने का प्रश्न है, मैंने आपसे निवेदन किया कि राज्य सरकार जमीन के नुकसान होने पर, कुये के नुकसान होने पर कुछ नहीं देती है...

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्यों ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नहीं देती है।

श्री सज्जनसिंह : क्यों ? This is no reply.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक.....

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : यह तो लोक कल्याणकारी राज्य की एक नीति है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक जमीन के रिक्लेमेशन का सवाल है और कुओं के लिये राहत कार्य करने का सवाल है, उसके लिये राज्य सरकार आवश्यकतानुसार उनको मुहैय्या करने की कोशिश करेगी। यदि कुआ सुधारने के लिये सीमेन्ट की आवश्यकता है तो वहां की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार विशेष कोटा आवंटित करने की कोशिश करेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर) : प्री-सिक्स रह गया है साहब? स्थगित हुआ था...

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्री-सिक्स रह गया दो बार स्थगित हुआ था...

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

शहरों में चलने वाले टैम्पों

प्र. सं. 540 श्री अमृत लाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर एवं राजस्थान के अन्य बड़े नगरों में चलने वाले बजाज टैम्पों जो नागरिकों को नगर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक किराये पर ले जाते हैं, किस परमिट के अन्तर्गत चलाये जाते हैं? यदि हां, तो कौन से अधिनियम एवं नियम के अनुसार ये परमिट जारी किये जाते हैं?

(2) क्या उक्त परमिट पूर्ण नगर के लिये दिये जाते हैं या किसी विशेष रूट के लिये?

(3) क्या उपरोक्त वाहनों में ड्राइवर के पास और पीछे वाले केबिन में सवारियों के बैठने के लिये स्थानों की संख्या निश्चित की गई है? यदि हां, तो नागरिकों को जानवरों की तरह कैसे भरते हैं?

(4) क्या उपरोक्त वाहनों पर कार्य करने वाले कन्डक्टर लाइसेन्सदार हैं? यदि हां, तो दस वर्ष के बच्चे कैसे कन्डक्टर का काम करते हैं? यदि नहीं, तो यह श्रम अधिनियम का उल्लंघन नहीं है?

(5) क्या सवारियों से लिये जाने वाले किराये का मूल्य यातायात विभाग निश्चित करता है?

यातायात मंत्री (श्री मोहन लाल छंगाणी) : (1) जी हां। बजाज टैम्पो को कान्ट्रेक्ट केरेज परमिट मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 50 व 51 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 71 के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं।

(2) इस प्रकार के कान्ट्रेक्ट केरेज परमिट पूरे नगर के लिये अथवा रूट अथवा निश्चित एरिया के लिये दिये जा सकते हैं।

(3) इस प्रकार के वाहनों में बैठने की संख्या निश्चित की हुई होती है। अगर कोई मालिक उसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(4) कान्ट्रेक्ट केरेज में कन्डक्टर रखने का कोई प्रावधान नहीं है।

Page No 24

(२५)

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(5) राजकीय निर्देशानुसार आर.टी.ए. । एस. टी. ए. सवारियों से लिये जाने वाले किराये का मूल्य धारा 43 एवं 51 के अन्तर्गत निश्चित करती है।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा कान्ट्रैक्ट कैरेज में यह परमिट इसलिए दिए जाते हैं और उस परमिट पर लिख दिया जाता है कि इतने पैसेन्जर बैठाये जायं और दूसरा किराया 20 पैसे से 30 पैसे कर दिया तो क्या इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन ली गई ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : कान्ट्रैक्ट केरेज के अन्तर्गत 12 सवारियां एक टेम्पों में ली जाती हैं। कान्ट्रैक्टर जब अधिक सवारियां ले जाता है तो हम कैसे ऐतराज करें, कई माननीय सदस्यों का इस प्रकार का दबाव भी रहता है। दूसरे जब रैगुलेट करने का सवाल आया, हम निश्चित नीति बना रहे हैं, कहां खड़ा किया जाय, वहां से सवारियां बिठाई जायं युनिफाइड ट्रान्सपोर्ट द्वारा यह सब किया जा रहा है लेकिन जब हम अमल करना चाहते हैं तो बहुत सारे सम्मानीनय सदस्य कहते हैं इस बात से तकलीफ हो जायगी इसलिए हम रुक जाते हैं। अगर कोई सम्मानीनय सदस्य सजेशन देना चाहे तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे।

श्री अमृतलाल गहलोत : 30 पैसे कैसे बढ़ा दिये बिना परमीशन के ?

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर में इन टैम्पों के अलावा सिटी बस सर्विस चालू की गई थी। वह काफी दिनों से बन्द है तो क्या नये मंत्री महोदय वापिस जोधपुर शहर में सिटी बस सर्विस चालू करने का विचार करेंगे ?

श्री दीपंकर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं लाडनूं–सुजानगढ़ के बीच टैम्पो चलाने के कुछ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं क्या उस पर...

श्री मोहनलाल छंगाणी : सिटी बस सर्विस का अलग से प्रश्न है। यह घाटे का प्रश्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कल्याणकारी राज्य सरकार को घाटे में रह कर भी जनता की सुविधा के लिए कार्य करना पड़ता है। यह कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है, अध्यक्ष महोदय। जनता को सस्ते वाहन की व्यवस्था करके देना होगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह कोई व्यवस्था नहीं है, घाटा खाकर व्यवस्था चलायें ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : सरकार चलाने में तो घाटा खाकर भी व्यवस्था करनी पड़ती है। सरकार के हर काम नफे के नहीं हुआ करते हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत : क्या 25 से 30 पैसे किये, उसकी अनुमति ली आपसे ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, दो-तीन महीने से यह प्रश्न विचाराधीन है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। वैसे आज शहर में टैम्पो नहीं हो तो बड़ी स्थिति खराब हो जाय और सारा आवागमन अवरुद्ध हो

(श्री मोहन लाल छंगाणी)

जाय। जब उन्होंने पैसे बढ़ाये तो हमने ऐतराज नहीं उठाया। अब हम रेशनालाईज करने का विचार कर रहे हैं। पैट्रोल के अलावा कहां तक निश्चित करना चाहिए, पैट्रोल की कीमत बहुत बढ़ रही है इसलिए यह तो फ्लेक्सेबिल रहेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नत्तरों के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)।

(अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-1974 व 20-3-1974)

सीमेंट का कोटा

36. (1381मु.मं.)
श्री मीठालाल (लालसोट)
श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य को जनवरी, 1973 से अब तक केन्द्रीय कोटे से अलग अलग माह में कितनी सीमेंट आवंटित हुआ ?

(2) उक्त सीमेंट के कोटे में कितना राज्य सरकार ने प्राप्त किया और कितना नहीं उठाने तथा अन्य कारणों से कैन्सिल हुआ ? केन्सिल होने के क्या क्या कारण थे ?

(3) जन अधिकारियों की लापरवाही के कारण सीमेंट नहीं उठाया गया उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार के लिए जनवरी, 1973 मई, 1973 तक सीमेंट का कोई कोटा निर्धारित किया हुआ नहीं था। जून, 1973 के लिये 41 हजार मैट्रिक टन कोटा निर्धारित किया गया। जनवरी, 1973 से मार्च 1974 तक राज्य को सीमेंट आवंटन की सूची संलग्न है।

तृतीय तिमाही, 1973 में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को 58 250 टन सीमेंट आवंटित किया गया था, जिसके पेटे इनको 33200 टन सीमेंट प्राप्त हुआ। चतुर्थ तिमाही 1973, 59500 टन राज्य के विभिन्न विभागों को आवंटित किया गया था, जिसमें से 500 टन सीमेंट प्राप्त हुआ। उपरोक्त विवरण में हाऊसिंग बोर्ड की सूचना सम्मिलित नहीं है जिनको कि तृतीय तिमाही 2250 टन और चतुर्थ तिमाही के 2300 टन सीमेंट आवंटन किया गया था। विभाग द्वारा कम उठाने के बारे में उत्तर सम्बन्धित विभाग द्वारा ही दिया जाता है।

भाग दो के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट—5 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास

383. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों की संख्या क्या है ? और ये कहां 2 पर स्थित हैं । सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त दोनों प्रकार के छात्रावासों में कुल कितने कितने छात्र रह रहे हैं ? इनमें मेहतर (हरिजन) जाति के कितने कितने छात्र हैं ?

(4) उक्त छात्रावासों में से किस किस छात्रावास में रसोई बनाने वाले हरिजन (मेहतर) हैं ? कृपया छात्रावास व हरिजन रसोइयों के बारे में पूरी जानकारी दें ।

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा 133 प्रथम श्रेणी 45 तृतीय श्रेणी के राजकीय छात्रावास चलाये जा रहे हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

(2) समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त अनुदानित छात्रावासों की सूचना उक्त सूची में अंकित करदी गई है ।

(3) उक्त छात्रावासों में 11,261 छात्र रहे हैं इनमें 257 छात्र मेहतर जाति के हैं ।

(4) उक्त छात्रावासों में रसोई बनाने वाले हरिजन रसोइयों को सूची संलग्न हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय मे रखी गई)

अनुसूचित जाति व जन जाति के मोहल्लों में बिजली पानी हेतु दी गई धन राशि

384. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा जोधपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वित्तीय वर्ष 1972–73 और 1973–74 में समाज कल्याण विभाग के बजट में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों में विद्युत् रोशनी एवं पेयजल नलों द्वारा उपलब्ध कराने के लिए कितनी धन राशि का क्रमशः प्रावधान था ?

(2) उपरोक्त राशि किन किन मोहल्लों के उपयोग में लाई गई ? कृपया उनकी विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) वित्तीय वर्ष 1974–75 में कितनी धनराशि का उपरोक्त कार्यों के लिए प्रावधान रखा गया है ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 1972–73 के बजट में अनुसू-

(समाज कल्याण मंत्री)
चितजाति व अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों में केवल पेय जल नलों के लिए 5.50 लाख रुपये का प्रावधान रखा था। वर्ष 1973-74 के बजट में पेय जल हेतु तथा वर्ष 1972-73 एवं 1973-74 के बजट में विद्युत् रोशनी हेतु कोई प्रावधान नहीं रखा गया।

(2) उपरोक्त जिन जिन मोहल्लों के लिए स्वीकृत की गई उसकी सूची संलग्न है।

(3) पिछड़ी जाति कल्याण मद में अब उक्त कार्यों के लिए अलग से प्रावधान नहीं रखा जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों में विद्युत् रोशनी व पेय जल साधनों के लिए प्रावधान करने का दायित्व भी विद्युत् तथा जल प्रदाय विभागों का ही है एवं इनके लिए संबंधित विभागों के बजट में प्रावधान रखा जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तालय में रखी गई)।

राष्ट्रीय हरिजन किसान छात्रावास, डीडवाना

385. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना जिला नागौर में राष्ट्रीय हरिजन किसान छात्रावास चल रहा है? यदि हां, तो छात्रों को माहवार कितनी सबसिडी दी जाती है? पिछले तीन वर्षों के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि आज तक छात्रों को धनराशि प्राप्त नहीं हुई है और सरकारी खजाने से किसी व्यक्ति ने धन राशि उठाकर गबन कर लिया है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच कराने का इरादा रखती है?

उत्तर

(1) जी हां, छात्रावास के छात्रों के भोजन, वस्त्र, शिक्षण सामग्री एवं अन्य खर्च के लिए विभाग द्वारा संस्था के अध्यक्ष या कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अनुदान स्वीकृत किया जाता है जो छात्रावास के वास्तविक छात्रों की प्रवास संख्या के आधार पर स्वीकृत खर्च का 90 प्रतिशत तथा निम्नलिखित अधिकतम सीमा में से जो भी कम होगा के अनुसार अनुदान स्वीकृत किया जाता है–

कक्षा 5 से 8 तक	55) रु. प्रति माह प्रति छात्र
कक्षा 9 से 11	60) छात्र ,, ,,

इस छात्रावास को गत तीन वर्षों में अनुदान के रूप में निम्न धन राशि स्वीकृत की गई:–

क्रमांक	वर्ष	धन राशि
1.	1970–71	17784
2.	1971–72	23000
3.	1972–73	22800

(समाज कल्याण मंत्री)

2. विभाग द्वारा अथवा संस्था द्वारा छात्रावास में रहने वाले छात्रों को धनराशि सीधी नहीं दी जाती है यह धनराशि संस्था द्वारा छात्रावास की व्यवस्था करने हेतु दी जाती है अतः छात्रों को धनराशि प्राप्त हुई या नहीं इसका प्रश्न नहीं उठता।

विभाग द्वारा अनुदान की राशि की स्वीकृति संस्था के अध्यक्ष को ही दी जाती है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धनराशि उठाली गई हो, ऐसा मामला सरकार के नोटिस में नहीं है।

उदयपुर नगर परिषद् क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी

386. **श्री देवीलाल (सराड़ा)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर नगरपरिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत बसने वाले आदिवासी यानि भील किन किन गांवों तथा मोहल्लों में बसते हैं और इनकी जनसंख्या कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर परिषद् के अन्तर्गत पानेरियों की मादड़ी में भील जाति की आबादी है ? यदि हां, तो वहां कितने परिवार बसे हुए हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन भीलों की आबादी में पानी का नल लगाने के लिए धनराशि की मांग जन स्वास्थ्य विभाग उदयपुर द्वारा की गई है ? यदि हां, तो कब की गई है ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न स्थानों पर करीब 2000 आदिवासी बस रहे हैं:—

1. निच खेड़ा
2. देवारी
3. अजीपुरा
4. प्रला शबरी कालोनी
5. एक लव्य कालोनी
6. अम्बा माता नागा नगरी
7. ब्रह्मपोल
8. किशन पोल
9. कुम्हारों का पट्टा
10. पानेरियों की मादड़ी

(2) जी हां। पानेरियों की मादड़ी में लगभग 45 परिवार रह रहे हैं।

(3) समाज कल्याण विभाग को जन-स्वास्थ्य विभाग उदयपुर द्वारा इन मीणों की आबादी वाले क्षेत्र के लिए नल लगाने की कोई मांग नहीं की है। अनुसूचित जाति व जन जाति के मोहल्लों में नल लगवाने का दायित्व अब जल प्रदाय विभाग का ही है और इस कार्य हेतु अब प्रावधान भी जल प्रदाय विभाग के बजट में रखा जाता है।

अकालग्रस्त क्षेत्र के अपाहिजों निराश्रितों के भरण-पोषण की व्यवस्था

387. **श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली)** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा गत अकाल के दौरान अकाल-

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)
ग्रस्त क्षेत्रों के अपाहिजों, निराश्रितों, वृद्धों एवं असहायों को भरण-पोषण हेतु एक रुपया प्रतिदिन दिए जाने को व्यवस्था की गई थी ? यदि हां, तो कब से कब तक ?

(2) उक्त व्यवस्था के अनुसार ऐसे लोगों की आर्थिक सहायता का भुगतान कितने माह तक किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे लोगों को कुछ माह की आर्थिक सहायता दी जाना अब भी अवशेष है ? यदि हां, तो कितने माह की और क्यों ? कृपया तहसील स्तर पर ऐसे लोगों की संख्या सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां । सम्वत् 2029 की अभाव की स्थिति के दौरान राज्य सरकार ने ऐसे अपाहिजों, वृद्ध एवं असहाय लोगों को भरण-पोषण हेतु नकद सहायता देने की व्यवस्था की थी, जिनके भरण-पोषण का कोई साधन नहीं था एवं जो स्वयं सहायता कार्यों पर जाकर अपनी रोजी कमाने में असमर्थ थे । यह सहायता नवम्बर मास से चालू की गई थी एवं सहायता की दर 75 पैसे प्रतिदिन रखी गई थी । बाद में यह दर संशोधित करके 1 जनवरी, 1973 से 1) रु. प्रतिदिन करदी गई थी । असहाय सहायता की यह व्यवस्था 30 सितम्बर, 1973 तक चालू रखी गई ।

(2) उक्त व्यवस्था के अनुसार असहाय सहायता का चुकारा नवम्बर, 1972 से 30 सितम्बर, 1973 तक करने की व्यवस्था की गई थी ।

(3) असहाय लोगों को जो समय पर उपलब्ध थे, जिलेवार चुकारा कर दिया गया है ।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा श्री कल्याण विद्यार्थी एवं श्री रामेश्वर पारीक के विरुद्ध दर्ज मामला

388. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के केन्द्रीय पुलिस स्टेशन ने श्री कल्याण विद्यार्थी एवं श्री रामेश्वर पारीक के विरुद्ध सन् 1965 में मुकदमा नं. 27 धारा 420 406 आई. पी. सी. कायम किया था यदि हां, तो इस मामले के परिणाम क्या रहे ? कृपया एफ. आई. आर. तथा एफ. आर. की प्रतियां सदन के पटल पर रखी जावें ।

उत्तर

जी हां । मामले में अनुसंधान लगभग पूर्ण हो गया है और अब केवल हस्तलिपि विशेषज्ञ की राय प्राप्त होना शेष रह गया है । संबंधित दस्तावेजों को हस्तलिपि विशेषज्ञ के पास परीक्षण करने हेतु भेजे जा चुके हैं परन्तु वहां से जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । आइन्दा कार्यवाही विशेषज्ञ की राय के अनुसार की जावेगी । प्रथम सूचना प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है । एफ.

Page No 30

(30)

(गृह मंत्री)
मार. अभी नहीं दी गई है इसलिए नकल प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट–6 देखिये)

थाना बाबचा में हत्या काण्ड की नामजद रिपोर्ट

389. श्री रामगोपाल (किशनगञ्ज)- क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि थाना बाबचा जिला कोटा के ग्राम मोतीपुरा चौकी में भोलाराम पुत्र हरला मीना का पिछले महिनों कत्ल कर दिया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उक्त हत्या काण्ड की नामजद रिपोर्ट पुलिस स्टेशन बाबचा पर की गई थी ? अगर हां तो कब, किस तारीख को मुल्जिमों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, किस तारीख को पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया था, पोस्टमार्टम कब और किस डाक्टर के द्वार किया गया था, कब लाश उसके परिवार वालों को वापिस दी गई थी तथा इस हत्या की गतिविधियों एवं उस पर जांच के दौरान की गई अब तक की कार्यवाही की सूचना मय तारीख के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, श्री भोला मीना निवासी मोतीपुरा की हत्या तफतीश से दिनांक 13–11–73 से पूर्व होनी पाई गई।

(2) प्रथम मृतक के अपहरण की सूचना दिनांक 10–11–73 को थाना बाबचा पर दी गई थी, जिस पर अभियोग नं 48 धारा 344।365।383 भा. द. स. थाना बाबचा पर कायम किया जाकर तफतीश प्रारम्भ की गई थी जिस पर दिनांक 20–11–73 मुलजिमानों को धारा 302।34 आई. पी. सी. में गिरफ्तार किया गया था मृतक की लाश नहीं मिली थी, केवल खोपड़ी, टांग की कुछ हड्डियां, कपड़े खून आलूदा, टार्च आदि मिली थी जिन्हें दि. 13–11–73 को पुलिस द्वारा मौके पर कब्जे में लिया गया था। चूंकि सम्पूर्ण लाश नहीं मिली थी इसलिये पोस्टमार्टम नहीं कराया गया बल्कि मृतक की हड्डियों की जांच केमिकल एक्जामीनर, जयपुर द्वारा करवाई गई थी। चूंकि हड्डीयां व कपड़े वजह सबूत हैं। अतः वारसान को वह अभी तक वापिस नहीं की गई हैं। मुलजिमान के खिलाफ दि. 22–11–73 को चालान पेश किया जा चुका है जो पेन्डिंग ट्राइल है।

भीलवाडा में कृषि भूमि का क्रय

390. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर)–क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि खाद्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर ने भीलवाड़ा जिले के पानसल के भूतपूर्व जागीरदार से ढाई बीघा कृषि भूमि का क्रय किया था ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो वह जांच कब व किसके द्वारा कराई गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखी जावे।

(मुख्य मंत्री)

उत्तर

श्री शिवचरण माथुर खाद्य मंत्री ने भीलवाड़ा जिले के पानसल के भू. पू. जागीरदार से खसरा नं. 1628 में से केवल 2 बीघा जमीन 51 रु. नजराना देकर खरीदी थी, एवं भू. पू. ठाकुर मन्मथसिंह द्वारा मिगसर सुदी 5, संवत् 2005 को पट्टा भी जारी किया गया। इसकी सरकार द्वारा नियमित जांच नहीं कराई गई, अतः जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नोखा व नागौर की तरफ नहर का सर्वे

391. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा)–क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अमरापुरा ब्रांच से अकासर, पलाना व जयसिंहदेसर मगरा नोखा व नागौर की तरफ नहर की सर्वे करवा ली गई है? यदि हां, तो कब? जिन गांवों से यह नहर निकलेगी उन गांवों की सूची मय नक्शे की प्रति सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

अमरपुरा ब्रांच नाम की कोई भी ब्रांच राजस्थान नहर से नहीं निकलती है, परन्तु राजस्थान मुख्य नहर की आर. डी. 749,-900 (150 मील) के पास से एक लिफ्ट नहर अमरपुरा गांव के पास होकर पलाना नोखा होती हुई नागौर तक ले जाने लिए सर्वे करवाली गई है। यह सर्वे 10/72, 11/72 में करवाई गई थी। मुख्य गांव जिनमें से नहर निकलने का प्रावधान है, निम्नलिखित है :—

अमरपुरा, भवानीपुरा, जैमलसर, कोडमदेसर, सालासर, बच्छासर, सरुपसर, पलाना, देशनोक, सूरपुरा, सांडवा, नोखा, चरकरा भोमियाजी, श्री बालाजी, अलाई, बरानी, गोगेलाव, नागौर।

नक्शे की प्रति [illegible] संलग्न है।

(नक्शे की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लूणकरणसर-नागौर तक लिफ्ट सिंचाई योजना का सर्वे

392. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा)–क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बिड़दवाल से लूणकरणसर से बीकानेर व बीकानेर से नोखा व नागौर तक विभाग द्वारा लिफ्ट सिंचाई योजना की सर्वे करवा ली गई है यदि हां, तो कब? तथा इसका कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है?

उत्तर

जी हां, ये सर्वे सन् 1964–65 में करली गई थी। राजस्थान कैनाल बोर्ड एवं राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार लिफ्ट सिंचाई योजना का प्रस्तावित क्षेत्र केवल बीकानेर तक ही सीमित रहेगा और

(नहर मंत्री)
इसी प्रावधान के अनुसार इन नहर की क्षमता एवं स्वीकृति की गई है और वैसा ही कार्य प्रगति में है। अन्य क्षेत्रों में लिफ्ट व्यवस्था का अभी कोई विचार नहीं है।

चक 11 एल. के. एस. ए. के काश्तकार

393. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़)-क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 11 एल. के. एस.ए. के काश्तकार खुशीराम, दीवान चन्द, सुन्दरराम, कलिया राम, जगरराम बन्तारास आदि मु. नं. 17/276, 16/276, 15/276, 14/276, 13/276, 12/276, 11/276 आदि की भूमि चक 13 एल. के. एस. में ट्रान्सफर कराना चाहते हैं?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त मिसलें 1967 से चल रही हैं लेकिन उनका निर्णय आज तक नहीं हुआ है? यदि हां तो मिसलों के निर्णय में इतनी देरी का क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी हां,

(2) जी हां, ऐसा रकबा स्थानान्तरण में चक के अन्य काश्तकारान द्वारा ऐतराज करने पर उनकी सुनवाई करना व बयान लेने की वजह से विलम्बता हो जाती है।

मात्रीकुण्ड कम्प्रेसर पर हैल्पर की नियुक्त

394. श्री गणेशलाल पलिया (गंगराल)-क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री सुरजीतसिंह अधिदर्शक ने मेजा फीडर डीविजन, भीलवाड़ा के अन्तर्गत सब डिविजन मात्रीकुण्ड, 1 पर कार्य किया था? यदि हां, तो कबसे कब तक?

(2) क्या यह सही है कि श्री सुरजीत सिंह ने श्री माधु पुत्र छोगा नाम के व्यक्ति को कम्प्रेसर (खोसला) पर हैल्पर के पद पर नियुक्त किया था? यदि हां, तो उक्त हैल्पर ने कब से कब तक कार्य किया व उसका वेतन भुगतान किस अधिकारी द्वारा कब कब किया गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति के नाम का वेतन अब तक अनपेड से पड़ा हुआ है? यदि हां, तो कब से व किस माह का? व वेतन अनपेड में रखने का कारण क्या है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त मामले की जांच जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ के माध्यम से उप-जिलाधीश, कपासन के यहां चल रही है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

(1) जी हां, श्री सुरजीतसिंह अधिदर्शक ने मेजा फीडर डिविजन के अन्तर्गत सब डिविजन मात्रीकुण्डिया प्रथम में दिनांक

(सिंचाई मंत्री)
19–10–70 से 22–12–73 तक कार्य किया था।

(2) यह सही है कि श्री माधु पिता छोगा ने कम्प्रेसर पर चौकीदार/हैल्पर का केज्युअल लेबर के रूप में कार्य दिनांक 1–3–73 से 31–5–73 तक किया। उक्त व्यक्ति के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है क्योंकि भुगतान के समय श्री माधु पुत्र छोगा उपस्थित नहीं था तथा अनपेड वेतन का भुगतान लेने हेतु उक्त व्यक्ति द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया है।

(3) जी हां, उक्त व्यक्ति का वेतन अनपेड में पड़ा हुआ है वेतन 1–3–73 से 31–5–73 के कार्यकाल का है। श्रमिक समय पर भुगतान लेने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

(4) उप-जिलाधीश द्वारा जांच की कार्यवाही की गई थी परन्तु उन द्वारा की गई जांच का क्या निष्कर्ष रहा इस विषय में सिंचाई विभाग को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

दौसा सब-डिविजन के गांवों का विद्युतीकरण

395. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा)– क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) दौसा सब-डिविजन में वर्ष 1973–74 व 1974–75 में, किन किन गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान विद्युतीकरण की प्रगति से सरकार संतुष्ट है? यदि नहीं, तो तीव्र गति से कब तक कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा?

उत्तर

(1) दौसा सब डिविजन में वर्ष 1973–74 में जिन गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया गया है उनकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है। तहसील बसवा, सिकराय और दौसा की एक आर.ई.सी. स्कीम अभी हाल ही में स्वीकृत हुई है। जो गांव इस स्कीम में सम्मिलित हैं, उनकी सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है। इस योजना पर कार्य वर्ष 1974–75 में शुरू किया जावेगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य आर.ई.सी. स्कीम लालसोट तहसील की तैयार कर आर.ई.सी. दिल्ली को भेज दी गई है जो विचाराधीन है।

(2) जी हां। धन की उपलब्धि के अनुसार ही विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट–7 देखिए)

राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल जयपुर द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये धनराशि

396. **श्री नानालाल** (राजसमन्द)– क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल, जयपुर को राज्य सरकार प्रति वर्ष कितना रुपया देती है तथा इसमें से ग्रामीण क्षेत्र के लिये कितना रुपया दिया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री नानालाल)

(2) राजस्थान के कौने कौने से जिले को उक्त धनराशि में से कितनी राशि मार्च 1972 से अब तक दी गई है तथा ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के लिये किस किस को कितनी कितनी राशि दी गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खेल कूद प्रतियोगिताओं को सफल बनाने हेतु राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल द्वारा कोच नियुक्त किये हुए हैं ? यदि हां तो कितने कोच हैं तथा उन्हें कितना वेतन दिया जाता है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कौंसिल द्वारा जो कोच नियुक्त किये गये हैं उन्हें जहां भी किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी प्रतियोगिता चल रही है वहां जाना अनिवार्य है ? यदि हां तो तारीख 23 दिसम्बर, 73 से 25 दिसम्बर, 73 तक न्यू इण्डियन क्लब कुरज जिला उदयपुर द्वारा आयोजित मंगल मेमोरियल टूर्नामेंट प्रतियोगिता में कौन कौन कोच समय पर पहुंचे ? यदि नहीं तो क्यों तथा उनके लिये क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सरकार राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, जयपुर को प्रतिवर्ष 11,50,000/- (ग्यारह लाख पचास हजार) रुपया मात्र अनुदान के रूप में देती है। जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र के लिए परिषद द्वारा अपने बजट में रुपया 2,00,000/- (दो लाख मात्र) का प्रावधान रखा जाता है।

(2) ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के लिये सन् 72-73 से यह निर्णय लिया गया कि प्रति जिला परिषद् को 3,000/- रुपया एवं प्रति पंचायत समिति को 300/- रुपया दिया जावे और जिन जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के पास पूर्व वर्षों की अनुपयुक्त धनराशि बचत में पड़ी है, उसे इस वर्ष की स्वीकृत अनुदान राशि का अंश मानकर उपयोग किया जावे।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवक मण्डलों को भी अनुदान दिया जाता है।

मार्च 72 से अब तक जिला परिषदों व पंचायत समितियों व नवयुवक मण्डलों को जो राशि अनुदान के रूप में दी गई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

इसके अलावा राज्य स्तर पर ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के लिए सन् 72-73 में 56,218/- रुपये की राशि व्यय हुई थी व 1973-74 में इस प्रतियोगिता पर करीबन 80,000/- रुपये की धनराशि व्यय होने का अनुमान है।

(3) कोच केवल प्रशिक्षण देने के लिये नियुक्त किये गये हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) यह संभव नहीं है कि हर ग्रामीण प्रतियोगिता हेतु प्रशिक्षक भेजा जा सके। क्योंकि प्रतियोगिताएं हर जिले में कई स्तर पर होती रहती हैं। परन्तु यथा

(शिक्षा मंत्री)
संभव प्रशिक्षण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षक को भेजने का प्रयत्न किया जाता है।

बंगलौर में होने वाली राष्ट्रीय बालीबाल प्रतियोगिता के लिये प्रारम्भिक प्रशिक्षण 16-12-73 से 25-12-73 तक चल रहा था और इसी समय कई जिलों में जिला ग्रामीण प्रतियोगिताएं भी चल रही थीं अतः ऐसी स्थिति में कोई प्रशिक्षक की उक्त प्रतियोगिता के लिये प्रतिनियुक्ति संभव नहीं हो सकी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

फागी एवं चाकसू तहसीलों की प्राथमिक शालाओं की क्रमोन्नति

397. श्री जयकिशन लाल तोलावडा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फागी एवं चाकसू तहसील में सन् 1972-73 में किन किन ग्रामों में प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया ? ग्राम पंचायतवार पाठशालाओं की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) फागी एवं चाकसू तहसील में किन किन ग्रामों में नई प्राथमिक शालाएं सन् 1972-73 में स्थापित की गई? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखने कष्ट करें।

(3) क्या इस वर्ष चाकसू, माधोराजपुरा एवं चंदलाई सेकेण्डरी विद्यालयों को क्रमोन्नत करके हायर सेकेन्डरी में परिवर्तित करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) फागी एवं चाकसू तहसीलों में सन् 1972-73 में जिन जिन प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत किया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) फागी एवं चाकसू तहसीलों में जिन जिन ग्रामों में नई प्राथमिक शालायें सन् 1972-73 में खोली गई उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चाकसू, माधोराजपुरा एवं चंदलाई को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु अन्य शालाओं के साथ बजट प्रावधान होने पर विचार किया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट–8 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) **श्री रामानन्द अग्रवाल :** सदस्य विधान सभा, की ओर से ग्राम शहदमपुर सब तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर में गत 25 मार्च को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट

(श्री अध्यक्ष)

पार्टी के लोगों द्वारा हरिजनों की झोंपडियों में आग लगाने और फसल लूट लेने के विषय में।

(2) श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू नगरपालिका के सफाई मजदूरों को गत 7 माह से वेतन न देने के विषय में।

(3) सर्वश्री गिरधारी लाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री और अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई मानसिंह स्टेडियम पर रणजी ट्राफी क्रिकेट मैच की समाप्ति पर पुलिस द्वारा दर्शकों पर लाठी प्रहार करने के विषय में।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(4) सर्वश्री केदारनाथ, भानुकुमार शास्त्री, रामकिशन, झाबर मल सूंडा, निरंजननाथ आचार्य, मोहम्मद गफ्फारअली, अजीतसिंह व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर के छात्रों द्वारा गत 26 मार्च से की गई हड़ताल के सम्बन्ध में।

(5) श्री झाबरमल सूंडा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले में क्रूड आयल व एल. डी. ओ. की कमी के विषय में।

माननीय सदस्य यदि चाहें तो विनियोग विधेयक पर आज से हो रही बहस के समय इन प्रश्नों पर चर्चा उठा सकते हैं।

(6) सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, अजीत सिंह व रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य के बेरोजगार इन्जीनियरों को रोजगार न देने तथा अकाल सहायता विभाग द्वारा सेवा मुक्त कर देने के विषय में। यह प्रश्न हाल की किसी घटना से सबंधित नहीं है और अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

(7) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत वर्ष भारत सरकार द्वारा गेहूं के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। यह प्रश्न किसी घटना विशेष से सबन्धित नहीं, भारत सरकार की नीति से सम्बन्धित है।

(8) श्री झाबरमल सूंडा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले के लक्ष्मणगढ के तहसीलदार को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद उसकी हथकड़ियां खोल देने और बाद में जमानत पर रिहा कर देने के विषय में। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैंने अलवर जिले के गांव सैदमपुर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के लोगों द्वारा करीब 200–250 लोग इकट्ठा हो कर उस गांव में हरिजन जो वहां पर बसे हुए थे 138 बीघा जमीन, जो उनको एक साल के लिए पट्टे पर मिली थी और जिसको उन्होंने काश्त किया था 25 तारीख को सुबह 10 बजे हथियारों से लैस होकर बल्लम, भाले, लाठियां और बन्दूकें लेकर हरिजनों के ऊपर हमला कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, वहां पर 35-40 झोंपड़ियां बनी हुई थीं जो हरिजन वहीं अपने खेतों पर रहते थे उनको बिल्कुल जला दिया, उनके कपड़े लत्ते, बर्तन भांडे सब जलकर खाक हो गये और उनकी फसल जो सरसों के समान ब्राइल सोड की थी उसप भी आग लगा दी और काफी मात्रा में गाड़ियों में भरकर ले गए। 18 लोग वहां पर जख्मी हुए हैं, 4 अभी अस्पताल में दाखिल हैं। एक के दोनों हाथ टूट गए, एक की टांग टूट गयी है और एक का यहां से सिर फट गया है और 5 औरतें हैं उनको भी चोटें वहां पर आई हैं। इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, जबरदस्त आतंक वहां उस गांव में ही नहीं बल्कि तमाम इलाके में है और लोगों में इस तरह की घटना से रोष है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि वह हरिजन परिवार अब इस समय बिल्कुल बेआसरा है और बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा है उनके पास, खाना खाने के लिए वह तरस रहे हैं। यद्यपि वहां पर दूसरी सार्वजनिक संस्थायें खास तौर से कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उनको सहायता करने के लिए चन्दा वगैरह इकट्ठा करके फौरन फर्स्ट एड पहुंचाने की कोशिश की जा रही है लेकिन सरकार की तरफ से इमीडियेटली उनको राहत देने की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पुलिस में केस रजिस्टर हुआ है 6 आदमी गिरफ्तार भी हुए हैं लेकिन कुछ मेन आदमी एब्सकाण्ड हैं और इस तरीके से उस इलाके में जबरदस्त आतंक फैला हुआ है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप गवर्नमेंट से कहें कि इसके बारे मे जानकारी प्राप्त करके फौरन रिप्लाई दें और हरिजन जो वहां पर आतंकित हैं उनको सुरक्षित किया जाना चाहिए उनको इमीडियेटली आर्थिक हैल्प की जरूरत है। सारे लोग सड़क पर और खेतों में पड़े हुए हैं न खाने को है, न कपड़े हैं। सब जो भी चीजें उनके पास थीं वह जल गई हैं और उनको मदद दें प्रशासनिक तरीके से और जो भी इसमें दोषी हैं उन दोषियों को पकड़ा जाये, उनको सजा दी जाये, यह मेरा निवेदन है।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय, मैंने बेरोजगार इन्जीनियर्स के संबंध में दिया था। उसको आपने यह कह कर कि वह रीसेन्ट घटना से संबंधित नहीं है और उसको आपने रिजेक्ट किया है। गवर्नमेन्ट से सूचना भी नहीं मांगी है। मेरा यह निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय कि इस सदन में पिछले साल गवर्नमेन्ट की तरफ से बेरोजगार इन्जीनियर्स को यह आश्वासन दिया गया था कि उनके लिए एम्पलायमेन्ट के एवेन्यूज खोलने की बात आर. एस. ई. बी. और दूसरी जगह के लिए कहा गया था लेकिन जितने भी आश्वासन दिए गए थे उनके अनुसार न तो बिजली बोर्ड में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ही और न दूसरे विभागों में उनको रोजगार दिया जा रहा है। फेमिन में कुछ लोगों को लगाया गया था लेकिन अब सितम्बर से उन सब लोगों को वापिस हटा दिया गया। उन इन्जीनियर्स का यह कहना है कि दूसरे जो लोग सरप्लस हो जाते हैं उनको जी. ए. डी. सरप्लस की लिस्ट में रखती है और जहां जैसे ही जगह खाली होती है वहां फिट कर दिया जाता है। उस स्थिति में भी उन लोगों को नहीं रखा है और इस तरीके से अब इनके सामने एक अंधेरा सा छा गया है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं इन्जीनियर्स की हड़ताल उत्तर प्रदेश में काफी लम्बे अरसे तक चली, जो कि परसों वापिस हुई है उसके कारण भी और दूसरे प्रान्तों में भी, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के बेरोजगार इन्जीनियर्स की तरफ से मजबूर होकर आन्दोलन करने पड़ते हैं। उसकी मुख्य वजह यही है कि आज इतनी टेक्नीकल एजूकेशन प्राप्त करने के बावजूद भी हमारे इन्जीनियर्स बेकार बैठे हुए हैं। उनका यह भी कहना है कि गवर्नमेन्ट ने जो स्कीम बनाई थी कि वह सेल्फ एम्पलाा-यड हो सकें उसके तहत भी अच्छे एनकरे-जिंग रिजल्ट्स नहीं हैं क्योंकि लोन वगैरह के मामले में मेरी जानकारी के अनुसार अब तक केवल 50–60 इन्जीनियर्स को ही लोन मिल पाया है और न गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई ट्रैक्टर मिला है, न स्पेयर पार्ट्स मिले हैं, न जमीन का अलाटमेन्ट हुआ है जहां कि वह वर्कशाप बना सकें। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अभी भी कई जगह वहां पर खाली हुई हैं तो सुना है कि वहां पर उन्होंने रिटन टेस्ट की एक कन्डीशन और रखी है जब कि इस प्रकार का प्राबधान दूसरे विभाग नहीं करते। उनका यह कहना है कि यह विशेषता हमारे साथ क्यों हो रही है। पहले ही इन बेरोजगार इन्जीनियर्स में काफी असन्तोष है, हम नहीं चाहते कि यह आंदोलन का स्वरूप ले ले अननेसेसरीली और उसमें सारे समाज का समय जाय। इसलिए उनकी समस्या हल होनी चाहिए। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि आप अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और गवर्नमेंट को इस पर वक्तव्य दिलाने का आप आदेश दें ताकि इस सम्बन्ध में सदन को जानकारी हो सके कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है इसलिए गवर्नमेंट का वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इतना ही कहना है कि जो हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है फिजिकल एजूकेशन इन्स्टीट्यूट के सम्बन्ध में। फिजिकल एजूकेशन इन्स्टीट्यूशन जोधपुर में है और वह राजस्थान में एक ही है और इस पर गवर्नमेंट की तरफ से वक्तव्य दिलायें। आप ने यह फरमाया है कि यहां एप्रोप्रियेशन बिल के समय हम लोग बोल सकते हैं। मेरा निवे-दन है, मान्यवर, कि यह स्पेशल इश्यू है और इस पर हम गवर्नमेंट के स्टेटमेंट की मांग करते हैं। आम तौर पर उनकी मांग यह है कि उनको सो रुपया स्टाइपेंड दिया जाय और हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने भी उनको आश्वासन दिया था कि फिजिकल एजूकेशन को प्रोत्साहन देंगे और मान्यवर गवर्नमेंट ने फिजिकल एजूकेशन को कम्पलसरी सब्जेक्ट नहीं बनाया है इसलिए वहां पर पढ़ने वाले ट्रेनीज की सर्विसेज की कोई गारन्टी नहीं

(श्री केदारनाथ)

है। इधर हम उनको सौ रुपया माहवार स्टाईपेंड नहीं देना चाहते, सर्विस की गारन्टी नहीं देना चाहते तो हम इसको प्रोत्साहन किस तरह से देना चाहते हैं? डिप्लोमा होल्डर्स को निकलने के बाद उनको सर्विस दें, पढ़ने के समय स्टाईपेंड दिया जाय और फिजिकल एजूकेशन को एक कम्पलसरी सब्जेक्ट स्कूल और कालेज लेवल पर करें तभी जाकर हम प्रोत्साहन दे सकते हैं फिजिकल एजूकेशन को। मान्यवर, हमने डाक्टर्स को रिहेबिलेट करने के लिए स्टेप्स लिए; पहले उनको ढाई सौ रुपया स्टाइपेंड दिया और अब सात हजार रुपया लोन दे रहे हैं। बी.ई. ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को रिलीफ दे रहे हैं, खेतीबाडी में बी. एस.-सी. एजी. को एक एक मुरब्बा जमीन दे रहे हैं ताकि वे बेकार न रहें। उसी पैटर्न पर इन लोगों को भी ट्रीट करना जरूरी है। उन लोगों की हड़ताल जारी है और हम नहीं चाहते कि उनका आन्दोलन व्यापक बन जाय। मेरा आपकी मार्फत, मान्यवर, शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है, शिक्षा मंत्रीजी खुद वहां गए भी हैं, उनकी यूनियन का उद्‌घाटन उन्होंने किया और उनकी मांगों के प्रति सहानुभूति जाहिर की और एजूकेशन कमिश्नर भी वहां पर गए हैं और शिक्षा मंत्रीजी स्वयं भी चाहते हैं कि फिजिकल एजूकेशन को प्रोत्साहन दिया जाय तो फिर उनको स्टाइपेंड देने में क्या दिक्कत है? सारे राजस्थान में इसका एक ही कालेज है, दूसरा कोई इन्स्टीट्यूशन नहीं है इसलिए उनको स्टाइपेंड देने की मांग अहम मांग है, जरूरी मांग है। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रीजी स्टेटमेंट दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार इन्जीनियर्स के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव है...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: एक मसला खत्म हो जाय उसके बाद ले लें।

श्री भानुकुमार शास्त्री: एक मिनिट में खत्म करता हूं। इस विषय में यह कहना है कि माननीय रामानन्द जी इस बारे में प्रकाश डाल चुके हैं लेकिन जिन मुद्दों को वे छोड गए हैं मैं उन पर प्रकाश डालना चाहता हूं। ये इंजीनियर, एक इंजीनियर इंजीनियरिंग टेक्नोलोजी को पढ़ने के लिए हजारों रुपये खर्च करके तैयार होता है और राज्य सरकार ने अपनी केवल नारेबाजी के आधार पर कि हमने शिक्षित बेरोजगारों के लिए लम्बी-लम्बी योजनाएं बनाई हैं लेकिन, उनकी कोई क्रियान्विति नहीं हो रही है। वे योजनाएं कागजों में ही पड़ी हुई हैं। मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि इस विधान सभा के पटल पर सन् 72 की। 25 मई को राज्य सरकार ने घोषणा कर दी कि हम इंजीनियरों को सर्विस के अन्दर प्राथमिकता देंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार घोषणा करने के बाद भी आज इन बेरोजगार इंजीनियरों को सर्विस में लगाने में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती। नये-नये जो लोग आ जाते हैं उनका चयन हो जाता है और ये वैसे के वैसे आज भी बैठे हैं, एक पूल के अन्दर अनाथालय में पड़े हुए हैं। जब राज्य सरकार घोषणा करती है कि शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाय तो उसका क्रियान्वयन करे और विश्वास के साथ अपनी घोषणा का क्रियान्वयन करे

Page No 40

(५०)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
और शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता देकर उनको अपनी सर्विस में लगाने का प्रयास करे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, फिजिकल एजुकेशन स्कूल की जो स्ट्राइक चल रही है उसके बारे में मुख्य मुख्य रूप से प्रोफेसर साहब ने प्रकाश डाल दिया है लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि राजस्थान में केवल एक इन्स्टीट्यूशन इसकी है और हमारे मंत्री महोदय जो इसके हैं वे भी फिजिकल एजूकेशन में दिलचस्पी लेते हैं। हाल ही में उन्होंने ऐसे लोगों को कि जिन्होंने अपना फिजिकल परफोरमेंस अच्छा दिखलाया उनको इनामात दिए थे। एक तरफ तो वे स्पोर्टस में इतनी दिलचस्पी लेते हैं और दूसरी तरफ 26 तारीख से एक हड़ताल चल रही है, जो इस आधार पर चल रही है कि हम लोग जो फिजिकल एजूकेशन लेते हैं उनको खाने को कोई चीज हासिल नहीं होती, हमारी बोडी बन नहीं सकती तो हम किस तरह से फिजिकल एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। आप क्या यह चाहते हैं कि वे लोग भूखों मरें या उनको पूरा खाने को नहीं मिले, किसी किस्म की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो। अगर उनको खाने को नहीं मिलेगा तो वे क्या तो फिजिकल एजुकेशन हासिल करेंगे और क्या वे कौम को आगे बढ़ायेंगे। हमारी यह गुजारिश है कि हमारी सोसायटी को आगे बढ़ाने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग हो, लोग फिजिकली कम्पीटेंट हों और हमारे मुल्क में अच्छे तन्दुरुस्त लोग पैदा हों तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को इस मामले में अपना स्पष्टीकरण करना चाहिये और यह बताना चाहिए कि इस फिजिकल एजुकेशन को कोई महत्व देना चाहते हैं या नहीं और जो उनकी तकलीफात हैं उनको हल करना चाहते हैं या नहीं। इस मामले में शिक्षा मंत्री महोदय वक्तव्य दें यह मेरी गुजारिश है।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : यहां एक दो शब्द मैं भी कहना चाहूंगा जोधपुर की स्ट्राइक के बारे में, अध्यक्ष महोदय। वैसे माननीय केदारजी ने इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट तौर से बताया है और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसकी गम्भीरता की ओर आपका ध्यान दिलाया है। लेकिन मैं भी चाहूंगा इस फिजिकल ट्रेनिंग कालेज की हड़ताल के प्रश्न को साधारण प्रश्न के रूप में टालने की कोशिश नहीं की जाय। फिजिकल एजूकेशन कालेज के विद्यार्थियों का एक बहुत ही मौलिक और मूलभूत प्रश्न है, और मैं चाहूंगा कि इस समय विशेष तौर से विद्यार्थियों के प्रश्नों को हम यदि गम्भीरता से नहीं लेंगे और हड़ताल चलती रहे, वहां पर माननीय शिक्षा मंत्री पहले तो आश्वासन दे करके और उनके दिमाग में यह भावना पैदा करदें कि उनको कुछ मिलने वाला है और फिर इम्पलीमेंट कराने के लिये दबाव डालने की कोशिश करें तो फिर उसको इग्नोर कर दें तो, अध्यक्ष महोदय, इससे जन आक्रोश बढ़ता है और आक्रोश बढ़ने से विद्यार्थियों के एक कालेज की हड़ताल विश्वविद्यालय की हड़ताल बन सकती है और विश्वविद्यालय की हड़ताल और स्वरूप भी ले सकती है जिसको हम भी नहीं चाहते हैं और आप भी नहीं चाहते हैं। मेरा

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

निवेदन है कि सारे राजस्थान में केवल एक फिजिकल एजूकेशन का कालेज जोधपुर में है और हमारे बजट के भाषण के समय माननीय वित्त मंत्री चन्दनमलजी ने यह कहा कि खेलकूद और फिजिकल एजूकेशन के बारे में इस बजट में प्रावधान करने जा रहे हैं, बजट एस्टीमेट बहुत बढ़े हैं। तो फिर क्या कारण है कि स्टाइपेंड की डिमाण्ड को इग्नोर करते रहें और हड़ताल को चलने दिया जाय। मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय गम्भीरता से इस पर विचार करें और यह फिजिकल एजूकेशन इन्स्टीट्यूशन की स्ट्राइक का प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है, इस पर गम्भीरता-पूर्वक ध्यान देकर इसके बारे में निर्णय लें और हड़ताल को तुड़वाने के बारे में वह मध्यस्थता करें। वह स्वयं भी जोधपुर से पधारे हैं और जोधपुर में हड़ताल चल रही है और माननीय मंत्री महोदय यदि इसका कोग्नीजेंस नहीं लेंगे और इग्नोर कर देंगे तो, अध्यक्ष महोदय, सम्भव है यह हड़ताल उग्र बन जाय और अधिक शोचनीय हालत बन जाय। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय इस मामले में तुरन्त इण्टरवीन करके इसके बारे में रास्ता निकालें, हड़ताल समाप्त करावें और स्टाइपेंड दिलाने की व्यवस्था करावें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी चूंकि जोधपुर के हैं और माननीय शिक्षा मंत्रीजी जिलाप्रमुख भी रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी फिजिकली स्ट्रोंग हैं और माननीय शिक्षा मंत्रीजी खिलाड़ी रहे हैं, ऐसी स्थिति में फिजिकल ट्रेनिंग कालेज के सम्बन्ध में हमको कुछ कहना पड़े यह उचित नहीं मालूम पड़ता। इस फिजिकल ट्रेनिंग कालेज को स्थापित करके राज्य सरकार प्रायश्चित कर रही है और यदि प्रायश्चित नहीं कर रही है तो यह इतने लम्बे समय तक क्यों लास्ट प्रायोरिटि में एजुकेशन की लिस्ट में रही है। मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि आज यह स्थिति है कि यहां से बाहर निकलने वाले फिजिकली ट्रेंड व्यक्ति को उचित स्टाइपेंड नहीं, उनके एमालूमेंट्स उचित नहीं, उनको जोब की कोई गारन्टी नहीं। मुझको इस पर अधिक नहीं कहना है। मेरा ख्याल है कि आपने इस प्रश्न को साधारण तौर पर नहीं लिया है। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी यह इन्स्टीट्यूशन आपके क्षेत्र में हैं, आप स्वयं फिजिकल एजुकेशन में दिलचस्पी रखते हैं और उसके उपरान्त आपके क्षेत्र में हड़ताल हो तो यह आपके क्षेत्र की बदनामी है। इसलिए शिक्षा मंत्री स्वत: ही खड़े होकर इस सदन को आश्वस्त करें और इस स्ट्राइक को तोड़ने के लिए आश्वासन दें कि वे बहुत जल्दी प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री केशरी मल (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव चूरू नगरपालिका के सफाई मजदूरों को गत 7 माह से वेतन नहीं मिलने के बारे में था। मैं बराबर यहां पर स्थगन प्रस्ताव देकर राज्य सरकार को अवगत कराता रहा हूं कि आज

(श्री केशरी मल)

प्रान्त के हर हिस्से में और कई प्रकार के अन्य दफ्तरों में काम करने वाले मजदूरों को इस तरह के मामलों को लेकर कहीं न कहीं पर हड़ताल पर बैठना पड़ता है नगर परिषद के सफाई मजदूर, हरिजन मजदूर ज्यादा हैं और इन मजदूरों को सात महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। एक तो हरिजन, वैसे ही बहुत गरीब आदमी और समाज का पिछड़ा हुआ अंग है और उसको वैसे ही जिन्दा रहना मुश्किल है। उसके जीवन में संकट ही संकट है और उनको सात महीनों तक तनख्वाह नहीं मिले तो, अध्यक्ष महोदय, आप विचार कर सकते हैं कि उन लोगों की क्या स्थिति बनी होगी ? क्या हालत हो रही होगी ? इस हालत में ले जाने के लिए जिम्मेवार कौन है ? अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये श्रम विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मसले पर खुद ही कार्यवाही करें। जब जानकारी हो जावे, शिकायत उनके पास आ जावे, वेतन देने की मांग आ जावे तो उनको तुरन्त ही कोशिश करके मजदूरों को पैसा दिला देना चाहिये। सात महीने के बाद भी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। सफाई मजदूर इस बात के लिए ताकीद कर रहे हैं कि 5 अप्रेल तक पैसा न दिया गया, हमारा बकाया वेतन नहीं चुकाया गया तो वे आन्दोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे। हड़ताल करेंगे तो आप कहेंगे ये हड़ताल करते हैं। इससे नुकसान होता है। ये लोग गन्दगी फैलाते हैं परन्तु वास्तव में इसके लिए, हड़ताल कराने के लिए जिम्मेवार कौन है ? मैं आपको निवेदन करूं कि आपका यह श्रम विभाग इस बारे में चुप्पी साधे हुए बैठा है और वह ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहा है कि वह उसके लिए जिम्मेवार है। इसलिए इसका फैसला जल्दी करें और उससे पहले ही और श्रम मंत्रीजी या उनका श्रम विभाग मजदूरों को पैसा दिलाने की व्यवस्था करे। यही मेरा निवेदन है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव पेट से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : आप पेट से आये हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सरकार ने गत वर्ष गेहूं का सरकारीकरण किया था और अनाज का व्यापार उसने अपने हाथ में ले लिया था। सरकारीकरण के आधार पर सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी अपने हाथ में ले ली थी और गेहूं, चीनी आदि का वितरण सरकार द्वारा होगा और व्यापारी कुछ काम नहीं करेगा। निवेदन यह करना है कि यह वितरण प्रणाली जब सरकार ने अपने हाथ में ले ली और सरकार इसमें पूर्ण रूप से असफल रही, वह लोगों को समय पर अनाज नहीं दे सकी, चीनी नहीं दे सकी, मिट्टी का तेल नहीं दे सकी, सीमेन्ट, कोयला नहीं दे सकी—दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण करके उनको अपने हाथों में ले लिया परन्तु सरकार इन सब चीजों को लोगों को समय पर मुहैय्या नहीं कर सकी और इस प्रकार वह लोगों के साथ, जनजीवन के साथ खेलवाड़ कर रही है। इसका उदाहरण गुजरात और बिहार है। वहां पर दंगा-फिसाद हो

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
रहा है···

श्री अध्यक्ष : आप स्थगन प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : भारतीय जनसंघ ने उस समय सरकार को कहा था कि अनाज के व्यापार का राष्ट्रीकरण नहीं करना चाहिये। इसके दुष्परिणाम होंगे लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कम्युनिस्टों के चक्कर में आकर, उनके झांसों में आकर सरकार ने भारतीय जनसंघ की राय नहीं मानी और इस प्रकार लोगों को भूखा, मार दिया···

श्री अध्यक्ष : लम्बा वक्तव्य नहीं। सूत्र में ही कहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वही निवेदन करने जा रहा हूं। यह अहमियत का प्रश्न है, लोक महत्व का प्रश्न है। इस कारण···

श्री अध्यक्ष : यह तो स्थगन प्रस्ताव है। प्रश्न नहीं है। प्रश्न होता तो दूसरी बात होती।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सरकार की गलत नीति के कारण देश को गलत परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। अब सरकार की आंखें खुली हैं और देर आयद दुरस्त आयद अब सरकार को यह लग गया है कि अनाज का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिये था सरकार ने अब सही निर्णय लिया है। भारतीय जनसंघ ने जो दृष्टिकोण अपनाया था, वह सरकार ने मान लिया है और यह सरकार जो कम्युनिस्टों की चाल में फंस गयी थी उसको छोड़ रही है। तो सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने जनसंघ के निर्णय को माना है यह गंभीर बात है···

श्री श्रीराम गोटेवाला : कोई निर्णय नहीं है इनका।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय सरकार को अनाज का राष्ट्रीयकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इसका कारण देश को दुष्परिणाम भोगना पड़ा है। अब सरकार भविष्य में वितरण की क्या व्यवस्था करेगी उपभोक्ताओं के दिमाग में आज यह बेचैनी है यह ढांचे भी हैं कि राष्ट्रीयकरण फैल हो गया अब उपभोक्ता किस माध्यम से आवश्यक वस्तुएं खरीदेंगे, चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज ये सारी आवश्यक वस्तुएं उनको कैसे उपलब्ध होंगी, इस बारे में उनके दिमाग में बेचैनी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार खाद्य मोर्चे पर असफल रही है और अनिश्चित नीति के कारण जनता को उसके परिणाम भोगने पड़े हैं और इससे जनता में असन्तोष है। राजस्थान के खाद्य मंत्री यहां पर स्पष्ट करें कि सरकारी करण असफल हो गया तो अब लोगों को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधार पर मुहैय्या होगा, जो कि सरकार नहीं कर सकी है। लोगों को गेहूं 18 तारीख तक नहीं मिलता। माइलो दे रहे हैं जिसको इन्सान नहीं खा सकता। यह कहा जाता है

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
माइलो लोगे तो चीनी देंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस सदन में यह मान ले कि राष्ट्रीकरण फैल हो गया है और वह लोगों को चीजें मुहैय्या नहीं कर सकी है। इस सम्बन्ध में राजस्थान के खाद्य मन्त्री को इस सदन में आज एक वक्तव्य देना चाहिये क्योंकि इस से बढ़ कर लोक महत्व का और कोई प्रश्न नहीं है। पहले पेट है उसके बाद विधान सभा है, उसके बाद विधान सभा की कार्यवाही है और उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल है और उसके बाद ही बजट पर अच्छे से अच्छे विचार व्यक्त हो सकेंगे। पेट वाले प्रश्न पर वक्तव्य होना चाहिये।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव स्टेडियम से संबंधित है। वहां पर रणजीत ट्राफी टूर्नामेन्ट हुआ था और इस टूर्नामेन्ट में किस्मत से या बदकिस्मत से राजस्थान हार गया और हार जाने के कारण लोगों के मन में खिन्नता आना स्वाभाविक था। हार के कारण लोग दुःखी थे, खिन्न थे। शाम को जब पारितोषिक वितरण समारोह हो रहा था पुलिस वालों ने पता नहीं किस प्रकार से, क्या सोच कर के, शायद सरकार उनकी कठिनाइयों को नहीं सुनती है, उनकी मजबूरियों पर विचार नहीं करती है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है या उनकी जो डिमांड्स है, उनको मन्जूर नहीं करती है. देर तक सदन की कार्यवाही चलती है, किसी प्रकार से उनकी बात को नहीं सुनती है, तो उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा मौका है, बिना किसी प्रकार की ताड़ना दिए, बिना किसी अधिकारी द्वारा ताड़ना दिये, वहां पर निर्मम लाठी प्रहार पारितोषिक वितरण के समय उपस्थित जनसमूह पर करना शुरू कर दिया। इसके कारण भगदड़ मच गई। महिलाएं इस भगदड़ में गिर गईं। उनको स्टेडियम में बेइज्जत किया गया। सरोवर काण्ड जिस प्रकार कलकत्ता में हुआ था ठीक उसी प्रकार का दृश्य यहां पर, स्टेडियम पर लोगों को देखने को मिला। महिलाओं की बेइज्जती हुई, राजस्थान की राजधानी में, राजस्थान के स्टेडियम पर इससे बढ़ कर और क्या अशोभनीय बात हो सकती है। इसके बाद पुलिस वालों ने, जिन चीजों का बार-बार यहां पर जिक्र किया जाता है···

श्री अध्यक्ष : शीघ्र समाप्त करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों के बारे में माननीय सदस्य बार-बार यहां स्थगन प्रस्ताव देते हैं कि पत्रकारों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, उन पर भी वहां लाठी प्रहार किया गया। पत्रकारों के साथ भी वहां पर दुर्व्यवहार हुआ, उनको मारा गया, निर्मम लाठी प्रहार से। इससे बढ़ कर अशोभनीय बात और क्या होगी जब कि विधान सभा चल रही है– पत्रकारों के बारे में स्थगन प्रस्ताव देते हैं और सरकार उसके लिए खेद व्यक्त करती है उसके बावजूद महिलाओं पर, पत्रकारों पर निर्मम लाठीचार्ज होता है। वहां जो कैमरामैन गया था फोटो खींचने, उसका कैमरा छीन लिया गया। कैमरा का नुकसान हो गया। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस क्रिकेट मंच के जो आयोजक थे पुलिस ने लाठी प्रहार से उनको भी वंचित

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

नहीं रखा। राजस्थान की राजधानी में जब कि विधान सभा चल रही हो, उस समय जयपुर की जनता पर, यहां की महिलाओं पर, यहां के पत्रकारों और आयोजकों को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए जब कि जनता के मन में खिन्नता है, राजस्थान हारा है, आखिर यह भावना होती है, ऐसे दुःखद अवसर पर इस प्रकार का निर्मम लाठी प्रहार किस अधिकारी के आदेश से हुआ? उस अधिकारी को तुरन्त निलम्बित करें और, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में गृह मंत्री महोदय को आदेश दें कि वे आज ही इस सदन में पत्रकारों पर जो लाठी प्रहार हुआ है, महिलाओं की जो वेइज्जती की गई है, उस पर एक वक्तव्य दें।

यह मेरा निवेदन है कि सदन में जो लाठीचार्ज हुआ है...

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सदन में तो कुछ नहीं हुआ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : स्टेडियम में हुआ है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच के समय जो घटना हुई है इसलिए मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे वक्तव्य दें।

और खाद्य के सम्बन्ध में सरकारीकरण फेल हो गया है तो खाद्य मंत्री, राजस्थान के खाद्य मंत्री स्पष्ट रूप से मानें कि सरकारीकरण फेल हो गया है और भारतीय जनसंघ की रीतिनीति में विश्वास करना पड़ा है...

श्री अध्यक्ष : नो रिपीटिशन।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सार्वजनिक वितरण में जो आवश्यक चीजें हैं वह लोगों को किस प्रकार से मुहैय्या होंगी यह इस सदन में घोषणा होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि दो स्टेटमेन्ट, एक तो पुलिस के सम्बन्ध में और दूसरा खाद्य के सम्बन्ध में आज ही आप सदन में दिलवायेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य-नीति के सम्बन्ध में मेरा एक प्रस्ताव था, शायद वह नहीं आ पाया है। मैं आग्रह नहीं करता हूं, लेकिन सरकार जो नई खाद्य-नीति की घोषणा करने वाली है वह निश्चित रूप से इस राज्य और देश के लिए प्रभावकारी होगी इसलिए एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस शुरू करने से पहले राज्य सरकार की तरफ से क्या नीति अपनाई जा रही है, केन्द्रीय सरकार तो आज ही घोषणा करने वाली है, उसके अनुसार राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी, उसके बारे में आज सदन में विचार होना चाहिए। इसी बीच में राज्य सरकार की तरफ से विचार आ जायं तो एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस करते समय जो जनता की कठिनाइयां हैं उनके बारे में माननीय सदस्य सुझाव दे सकेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : नीति की घोषणा तो हो जाय पहले पार्लियामेन्ट में।

श्री रामकिशन : वह आज होने वाली है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता भी इस बारे में जानना चाहती है कि राज्य सरकार किस प्रकार से खाद्य-नीति का एनाउन्समेन्ट करेगी।

श्री चन्दनमल बैद : वह तो पार्लियामेन्ट में एनाउन्समेन्ट से मालूम पड़ेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राज्य के बारे में, राज्य विधान सभा में, अध्यक्ष महोदय, कल या परसों किसी दिन खाद्य के मामले में केन्द्रीय नई नीति के इम्प्लीमेन्टेशन के अनुसार क्या कार्यवाही करेगी इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्रीजी कोई वक्तव्य दें और सदन को कान्फीडेन्स में ले लिया जाय तो उससे इस सदन के माननीय सदस्य और जनता अवगत हो जायगी।

दूसरी बात जो माननीय भार्गव साहब ने उठाई है वह भी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। स्टेडियम में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ यह कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, आवश्यक था या अनावश्यक था? इसके बारे में मैं समझता हूं कि एक वक्तव्य माननीय गृह मंत्री महोदय दें ताकि सारे सदन के सदस्य और राजस्थान की जनता वस्तु-स्थिति और फैक्ट्स के बारे में अवगत हो सकें, अन्यथा, अध्यक्ष महोदय, स्वभाविक रूप से जो दुर्घटना घटी है यह चिन्ता का विषय है। क्रिकेट के मैच में लाठी चार्ज किया जाय इसमें चाहे महिलाएं हों, पत्रकार हों, या आम जनता हो किसी पर भी लाठी चार्ज होता हो तो सदन के सदस्यों की सहानुभूति होना आवश्यक है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में वक्तव्य दिलाने के लिए आदेश दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, खाद्य-नीति के सम्बन्ध में राज्य सरकार का वक्तव्य जब होगा तो यह निश्चित रूप से पता लगेगा जैसा कि इन्डीकेशन है कि यह महीना मार्च का समाप्त हो गया है और फसल बाजार में कुछ आने लगी है और आने वाली है; और अभी तक सरकार ने घोषणा नहीं की उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार उन शक्तियों के सामने जो राष्ट्रीयकरण के खिलाफ थी, झुक गई है और आज व्यापारियों और उनके दलालों को सारे का सारा खाद्यान्न सुपुर्द कर रही है, लेकिन जो भी कुछ करना है, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की अपनी जो भी नीति है उसकी घोषणा यहां पर करनी चाहिये ताकि हम लोगों को उस पर अपने विचार देने का मौका मिले और यहां इस सदन में विचार करने का अवसर मिल सके। तो अभी दे या कल घोषणा करना चाहती है वह आप तय करके बता दें।

श्री गुमानमल लोढा : इसको तय कर लें। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, खाद्य नीति की जो समस्या है वह केन्द्र की रीति-नीति की समस्या है। सदन में अगर माननीय सदस्य यह चाहें कि सरकार की क्या नीति है तो इस नीति के बारे में सरकार स्वयं जाने। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने सम्मानीय सदस्य के प्रश्न को समझा है, मैं यह

(श्री लक्ष्मण सिंह)
समझता हूं कि जब तक केन्द्र अपनी नीति निर्धारित नहीं करे तो राजस्थान की क्या नीति हो सकती है। केन्द्र की नीति होगी वही राजस्थान सरकार की नीति होगी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। इसलिए यहां पर सरकार को बाध्य किया जाय कि अपनी पालिसी के सम्बन्ध में कोई पालिसी स्टेटमेंट दे, कोई विचार व्यक्त करे, यह मेरे खयाल से कुछ प्रिमेच्योर होगा। ऐसी परिस्थिति के अन्दर सम्माननीय सदस्य अपनी विचार-धारा बजट के सम्बन्ध में द्वितीय पारण के समय व्यक्त कर सकते हैं। खाद्य नीति फेल हुई है या कम्युनिस्ट पार्टी की क्या रीति-नीति है और भारतीय जनसंघ के एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि सरकार ने झक मार कर भारतीय जनसंघ की बात मान ली, यह सब बातें, आज की परिस्थिति मे प्रिमेच्योर हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फूड स्टेट सबजेक्ट है और गवर्नमेंट आफ इंडिया को ओवर आल पालिसी निर्धारित करनी पड़ती है। इसमें राजस्थान को क्या नीति होगी वह राजस्थान सरकार निर्णय कर सकती है। इसलिए राजस्थान के सम्बन्ध में और कान्क्रीट स्टेप्स जो गवर्नमेंट लेने जा रही है उसकी घोषणा और निर्णय राजस्थान सरकार को करना है।

श्री अध्यक्ष : खाद्य नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य के सम्बन्ध की बातें की जा रही हैं। इसमें मेरा यह कहना है कि नियमों के अन्तर्गत लिख कर दें तो मैं उसकी जांच कर लूंगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप-धारा (3) के भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, जयपुर का 31 मार्च, 1973 को समाप्त वर्ष से संबंधित अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन एवं बेलेन्स शीट सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जाति तथा जन जाति कल्याण समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री भीखाभाई (सभापति, अनुसूचित जाति तथा जन-जाति कल्याण समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति तथा जन-जातियों के प्रति व्याप्त अस्पृश्यता से संबंधित समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम सिमला, तहसील सरदारशहर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र व ग्राम सोनपालसर में परिवार नियोजन केन्द्र खुलवाने से संबंधित याचिका 5 याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

श्री गुमानमल लोढा : एक याचिका और रह गई है।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मैं भूतपूर्व टोंक रियासत के जागीरदारों के मुआवजे में से काटी गई 10 प्रतिशत ट्रिब्यूट की राशि दिलाने से संबंधित याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका कर इस सदन में उपस्थापन करता हूं।

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:—

(1) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 1974-75 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 232 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति; 1974-75 के लिए इक्कीस सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-ख (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1974-75 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जो वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

समिति का प्रतिवेदन कार्य सलाहकार समिति का 15वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 15 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई।

(विराम)

विधेयक का पुरः स्थापन

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम

(श्री परसराम मदेरणा)
सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बी. ए. के पाठ्यक्रम में, रखी प्रो. मघाराम द्वारा लिखित पुस्तक

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रो. मंघाराम मलकाणी द्वारा लिखित पुस्तक को बी. ए. के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(12.40 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री जी।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरा वक्तव्य इस प्रकार है :-

उपाध्यक्ष महोदय, छठे अखिल भारतीय सिन्धी साहित्य सम्मेलन ने एक प्रस्ताव यह पेश किया कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी सिन्धी पढ़ाने का प्रबन्ध होना चाहिए। अतएव फैकल्टी ने अपनी दिनांक 19-1-66 की मीटिंग में निम्न व्यक्तियों की एक कमेटी इस जांच करने के लिये बनाई :-

(1) दी डीन आफ दी फैकल्टी आफ आर्ट्स (चेयरमैन)

(2) डा. पी. बी. एल. भटनागर, गवर्नमेंट कालेज, किशनगढ़,

(3) श्री जे. एस. हरजानी, गवर्नमेंट कालेज, कोटपूतली

(4) श्री पी. सी. जैन, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली,

(5) श्री एन.एन. गिडवानी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन

इस कमेटी से यह कहा गया कि वे अपनी रिपोर्ट बालाबाला एकेडेमिक कौंसिल के सामने रखें। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1966 में दी और यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय स्नातक स्तर तक सिन्धी को ऐच्छिक विषय के तौर पर पढ़ाने का प्रबन्ध करें। एकेडेमिक कौंसिल ने अपनी 1. -9-66 की मीटिंग में इसे मंजूर कर लिया, और उन्होंने कला फैकल्टी को एक

(50)

(श्री खेत सिंह)

एडहॉक कमेटी नियुक्त करने का प्रस्ताव किया कि जो इस विषय में किताबें पढ़ाना हो, उस बारे में सिफारिश करें। कला फैकल्टी ने अपने प्रस्ताव दिनांक 1–2–67 द्वारा इस सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिये निम्न व्यक्तियों की एक तदर्थ कमेटी नियुक्त की :–

(1) श्री एच.एस. हरजानी, गवर्नमेंट कालेज, कोटपूतली,

(2) श्री एम.एम. भम्मानी, गवर्नमेंट कालेज, अजमेर,

(3) श्री चेतन करनानी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

(4) श्री राम पंजवानी, जयहिन्द कालेज; बम्बई,

(5) श्री एन.एन. गिडवानी, डायरेक्टर आफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, जयपुर (कन्वीनर)

इस तदर्थ समिति ने इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में उपरावत किताब "खुड़ खुबीता पिया टिमवनी" जो श्री मंघाराम मलकाणी द्वारा लिखी गई थी, को प्रथम वर्ष टी. डी. सी. कला परीक्षा के लिए रेपिड रीडर के तौर पर पढ़ाने के लिए सिफारिश की। इस रिपोर्ट पर कला फैकल्टी ने अपनी मीटिंग दिनांक 20-2-68 में विचार किया और उनकी सिफारिश मान ली और एकेडेमिक कौंसिल ने भी ऐसा करने के लिए सिफारिश की। एकेडेमिक कौंसिल ने अपने प्रस्ताव दिनांक 16–4–68 व सिंडीकेट ने अपने प्रस्ताव दिनांक 1–6–68 को उक्त सिफारिश मान ली।

13 सितम्बर, 1972 को जनरल सेक्रेटरी, अखिल राजस्थान सिन्धी बोर्ड ने एक पत्र राजस्थान विश्वविद्यालय को लिखा जिसमें यह लिखा गया कि उपरोक्त पुस्तक तरुण अवस्था के विद्यार्थियों पर कुप्रभाव डालने वाली है क्योंकि इसमें कई स्थानों पर अश्लीलता समावेश हो गई है। इस पत्र को राजस्थान विश्वविद्यालय ने सिन्धी पाठ्यक्रम समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं :—

(1) डीन फैकल्टी आफ आर्ट्स (चेयरमैन)

(2) श्री जे.एस. हरजानी, गवर्नमेंट कालेज, दौसा

(3) श्री पी. बी. एल. भटनागर, गवर्नमेंट कालेज, कोटा

(4) श्री एन. एन. गिडवानी, डायरेक्टर विश्वविद्यालय, लाइब्रेरी

(5) श्री चेतन करनानी, राज. विश्वविद्यालय, जयपुर

6) श्री आर. एम. अडवानी, प्रिन्सिपल, एम. आर. ई. कालेज, जयपुर

इस समिति ने पुस्तक का अवलोकन करने के पश्चात् अपनी बैठक दिनांक 6–12–72 में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि उपरावत पुस्तक के बारे में जो आरोप लगाये गये हैं, उनमें कोई ठोस तथ्य प्रकट नहीं होता।

(श्री खेतसिंह)

समिति का प्रस्ताव निम्न प्रकार था:—

"The representation mentioned in the agenda was examined and it was felt that there is no substance in it."

इस सिफारिश को राजस्थान विश्वविद्यालय ने मान ली। अतएव इस संबंध में कोई अग्रिम कार्यवाही करना ठीक नहीं समझा।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि आज हमारे माननीय किशन मोटवानी और कान्ता कथूरिया सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पुस्तक "खुह खुवीता पिया टिमकनि" जो कि प्रो. मंघाराम मलकानी द्वारा लिखी गई है, वह पूर्ण अश्लील है। उसका एक-एक पाठ अश्लीलता से भरा हुआ है। उसके शब्दों को मैं स्वयं कोट नहीं कर सकता। लेकिन शिक्षा मन्त्री जी का इस प्रकार का कथन है, इसलिए मैं उनको उसके कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हमें भी बताइयेगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : पहले सिन्धी में पढ़ता हूं। उसके बाद हिन्दी में अनुवाद करूंगा।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उसके सन्दर्भ भी आवश्यक हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसके अन्तर्गत एक नवयुवती एक नवयुवक से कह रही है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : (सिन्धी पठित अंश):-

अन्जा भी इहे रोमांटिक गाल्हियूं पेई करीं। शादीअ जो मकसद ही बदनी मेलापु आहे, जंहि मां जिसमानी मौज भी मिले त बार बच्चा भी पैदा थियन।

इसका अक्षरशः हिन्दी अनुवाद करता हूं "अब भी आज के युग में इस तरह से रोमांटिक बातें कर रहे हो। शादी का अर्थ ही है, दो शरीरों का मिलन। जिसमें शारीरिक आनन्द भी आवे और ऐश करो, और बाल बच्चे पैदा करो।

एक माननीय सदस्य : बस, इतना ही ?

अन्य माननीय सदस्य : आगे आगे देखिये होता है क्या ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह कितनी गन्दी पुस्तक है। जो फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. के बच्चों को पढ़ाई जाती है।

एक माननीय सदस्य : शृंगार रस में लिखी गई है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आगे, पेज नम्बर 88 में दिया है, "काली लड़की है तो क्या। लड़की तो है। जवान तो है। स्त्री के लक्षण तो उसमें हैं। पुरुष को स्त्री का जो जिस्मानी

(श्री भानु कुमार शास्त्री)
आनन्द मिलना चाहिए, वह तो है। बाकी फिर कोई बात नहीं है। बाकी सब ठीक है।

आप मुझे बताइये। इसी प्रकार से कई और स्थानों पर भी लिखा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप वाक्य गिनते जायें।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : ऐसा अवसर आपको फिर नहीं मिलेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आनन्द तो आपको भी आ रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जवानी की लाली तो आप पर फूट रही है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपको पुराना वक्त याद आ रहा है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : स्मृतियां तो आपको लाली देख कर उभर रही हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसके बाद इसमें यह है—

"शुरूआत में जडहीं मूं खां
बदनी चाहना पूरी करण, शुरु
कयायीं, तडहीं मूं खे स्न

खां सख्त किराहत अचण लगी।"

इसका हिन्दी इसके बाद यह है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर।

सदन की यह परम्परा रही है। ऐसे शब्द जो असंसदीय हो जिनमें गाली हो, उनसे परहेज किया जाये। अभी तक ऐसे शब्द सदन की प्रोसिडिंग में नहीं आते रहे हैं जो असंसदीय शब्द हैं, वह उपाध्यक्ष महोदय, आसन के द्वारा एक्सपंज किये जाते रहे हैं। अभी इसमें जो अवांछित शब्द आये हैं। नग्न शब्द आये हैं, अभी और भी कहा जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के शब्द प्रोसीडिंग में नहीं आयें। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूं कि माननीय सदस्य सिन्धी भाषा के जानने वाले हैं, उनके साथ वह बैठकर इस विषय पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह दरअसल ठीक है या नहीं। इसके बाद उस पर कार्यवाही करें।

एक माननीय सदस्य : श्रृंगार रस होगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : श्रृंगार रस भी हो सकता है।

तो नग्न रस माननीय सदस्यों को मिला है। यह गणगौर का मौका है। सभी को रस आ रहा है। अगर रस आ रहा हो तो कोई बात नहीं है।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : बिहारी से ज्यादा अश्लील तो नहीं लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिहारी जयपुर में ही पैदा हुए थे, यहीं रहते थे। अभी तक जो

(श्री उपाध्यक्ष)

शब्द आये हैं, इनमें मुझे असंसदीय शब्द नहीं लगा। इसलिए एक्सपंज करने का आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गुमानमल लोढा : गणगौर का मौका है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मेरा आशय यह था·····

श्री प्रद्युम्न सिंह : उम्र का तकाजा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा अन्दाज है कि यह सबको रुचिकर मालूम हो रहा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : पेज 96 पर एक पैरा है····

श्री खेतराम : हिन्दी करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : हिन्दी में सुना रहा हूं। जब प्रारम्भ में × ×

श्री **उपाध्यक्ष** : आई आब्जेक्ट टू इट। अब आप इसे बन्द कर दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यही मेरा आशय था।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप तशरीफ रखिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं पढ़ता नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस वक्त जो शब्द पुस्तक में से पढ़कर प्रयोग में लाये गये हैं उनको मैं असंसदीय समझता हूं और एक्सपंज करने का आदेश देता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं इन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता हूं··

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा निवेदन कर देता हूं····

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : मुझे सुन लीजिये। मैं कम्प्लीट कर दूं।

श्री खेतसिंह : मैं आपकी बात समझ गया हूं। इस पर आगे विचार व्यक्त करना मतलब क्या रखता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुझे दूसरे ढंग से बात कहनी है। वह कहनी है···

श्री गुमानमल लोढा : माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई कि यह अश्लील है और ऐसी भाषा बच्चों को नहीं पढ़ानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय ने जो रूलिंग दी, उससे इस बात की पुष्टि होती है। माननीय शिक्षा मंत्री जी वक्तव्य दें, उससे पहले इनकी बात को समझ लीजिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जिस कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उसके अन्दर सदस्य जिन लोगों को नियुक्त किया गया है, वह फिजिक्स के होंगे, साइन्स के होंगे लेकिन सिन्धी साहित्यकार नहीं होंगे····

XXX ये शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेश से निकाले गए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और अत्यन्त रसिक होंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : और रसिक हो सकते हैं, अत्यन्त रसिक होंगे, जिन्होंने आपत्तिजनक न मानते हुए इसे स्वीकृत किया है। मेरा कहना है कि यह आपत्तिजनक पुस्तक है, जो विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष कोर्स के प्रथम वर्ष के छात्रों को पढ़ाने लायक नहीं है, इसलिए यह इमीजियेटली यूनिवर्सिटी कोर्स से हटाया जाय। इसको रखते हैं तो नैतिक शिक्षा के बजाय, जो प्रथम वर्ष के छात्र पढ़ेंगे, उन पर बुरा असर होगा, वह नैतिक शिक्षा के बजाय नई दीक्षा लेकर जायेंगे। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल कर आप निष्पक्ष सिन्धी साहित्यकारों की कमेटी बैठा कर जांच करा लें। यह पुस्तक अश्लील है, इसलिए इसको पाठ्य पुस्तकों के क्रम में से हटाया जाय।

एक माननीय सदस्य : इसकी आवश्यकता नही है, कमेटी बना कर हटायें। पहले ही आदेश दे दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप आदेश दे दीजिये।

श्री खेतसिंह : उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सिन्धी की पुस्तक से ट्रान्सलेशन हिन्दी में करके सुनाया है, उससे ऐसा जाहिर होता है, इस पुस्तक के वास्तव में कुछ शब्द, कुछ पैराग्राफ अश्लील हैं मैं यह आश्वासन देता हूं कि यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान के वाइस चान्सलर हैं उनको पत्र लिखूंगा और उनसे यह निवेदन करूंगा, क्योंकि युनिवर्सिटी एक औटोनोमस बोडी है···

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह सदन की भावना है।

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन कर सकता हूं। मैं पत्र लिख कर निवेदन करूंगा, कि कमेटी में अच्छे सिन्धी साहित्यकार को मेम्बर रखें। उसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा, विधान सभा के माननीय सदस्य, दो सदस्य, श्री भानुकुमार शास्त्री और श्री किशन मोटवानी को मेम्बर रखें····

श्री प्रद्युम्नसिंह : आचार्य जी को भी रखें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यदि मुझको रखा जाय तो आपत्ति नहीं है लेकिन इसमें पुरुष माननीय सदस्यों को रखा है, तो महिला माननीय सदस्या को भी रखा जाना चाहिए।

श्री खेतसिंह : मैं आपका यह भी सुझाव मान लेता हूं। मुझे आपत्ति नहीं है, बशर्ते वह उसमें रहना मंजूर करेंगी। यदि वह मंजूर करेंगी तो श्रीमती कान्ता कथूरिया को भी इसमें मेम्बर रखने के लिए यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान को लिख दूंगा। आप इस पुस्तक में कृपापूर्वक रेड लाइन करके मुझको दे दें, ताकि इस पुस्तक को मैं वहां भेज दूं और पत्र वाइस चान्सलर को भेज दूं।

श्री गुमानमल लोढा : चेम्बर में आकर समझा देंगे।

श्री खेतसिंह : ताकि आगे कार्यवाही की जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य।

वित्त मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह ! आप नहीं, श्री लक्ष्मण सिंह !

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट के तृतीय पारण के समय में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि द्वितीय पारण की स्टेज पर उधर की तरफ के माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस बजट के अन्दर कोई नया टैक्स लगाने का प्रावधान नहीं है। मैं इस बात को मानने से कतई असमर्थ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बंगला देश शरणार्थी सहायता कर चाहे किसी रूप में परिणत करके लगाया हो, यह अवश्य एक नया टैक्स है। जब बंगला देश एक स्वतंत्र देश बन गया, जब बंगला देश में जो संकटापन्न स्थिति उत्पन्न हुई वह भी समाप्त हो गई, और यह शरणार्थी सहायता कर केन्द्रीय सरकार के द्वारा जब लगा हुआ था, और केन्द्रीय सरकार ने ही जब इस टैक्स को हटा लिया तो जिन कारणों से यह टैक्स लगा था, वह कारण भी नहीं रहे, और अब इस टैक्स को लगाने का औचित्य भी नहीं है। तो शासनारूढ़ दल के माननीय सदस्यों ने अगर माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में बधाई दी है तो मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री महोदय बधाई के पात्र नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इस टैक्स को किसी रूप में भी जारी रखना नैतिकता के विपरीत है, इम्मोरल है। मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि कानूनी दृष्टिकोण से भी यह आपत्तिजनक सम्भवतः हो सकता है। सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार है। टेक्निकल रूप से टैक्स लगाये, लेकिन इस नाम से यह बंगला देश शरणार्थी-सहायता-कर को जारी रखा जाय, तो मैं समझता हूं, यह आपत्ति से खाली विषय नहीं है और इस सम्बन्ध में मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यह सर्वथा अनुचित है, और सरकार को यह भी मैं निवेदन कर देना चाहूंगा कि इस टैक्स का औचित्य नहीं होने के कारण इसको वापिस ले।

उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स लगाने की भी कोई गुंजाइश अब नहीं रही है। राजस्थान की जनता के ऊपर अन्तिम सीमा के ऊपर यह टैक्स व्यवस्था पहुंच चुकी है, सेचुरेशन पाइन्ट पर आ चुकी है। इस सम्बन्ध में कर की प्रति व्यक्ति जो व्यवस्था है, दूसरे राज्यों के अनुपात के अनुसार, उस पर भी आपकी आज्ञा से प्रकाश डालना चाहूंगा। राजस्थान में प्रति व्यक्ति कर है, और इसकी तुलना में आसाम में 46..9 रुपीज 37.5 है, बिहार में 37.5 रुपीज है, उड़ीसा में 36.3 रुपीज है, उत्तर प्रदेश में 37.7 रुपीज है। अर्थात् इन चारों राज्यों में से किसी राज्य में 38 रुपये से भी अधिक प्रति व्यक्ति टैक्स नहीं लगाया है, जब कि राजस्थान में 47 रुपये प्रति व्यक्ति टैक्स लगाया है, लगा

(श्री लक्ष्मणसिंह)

चुकी है राजस्थान सरकार, अर्थात् इन राज्यों से 9 रुपये प्रति व्यक्ति टैक्स राजस्थान के अन्दर वर्तमान परिस्थिति के अन्दर ज्यादा लगा है। ऐसी परिस्थिति के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सरकार, केन्द्रीय सरकार राजस्थान की सरकार को अधिक टैक्स लगाने की इजाजत कैसे दे सकती है। देश की अन्य सरकारों ने भी यह व्यवस्था की है कि नया टैक्स नहीं लगाया जाय। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शरणार्थियों के सम्बन्ध में, बंगला देश शरणार्थी सहायता कर के नाम से कर लगाया, अभी भी इसे दूसरे रूप में जारी रखा जा रहा है। मैं इसका विरोध किये बिना नहीं रह सकता। राजस्थान और अन्य सरकारों ने अगर क नहीं लगाए तो वह आज की परिस्थितियों के अन्दर स्वाभाविक है और देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है महंगवारी और भ्रष्टाचार आदि को देखते हुए और कर लगाने की गुंजाइश भी नहीं है किन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि केन्द्र ने भी हम पर निर्दयतापूर्वक कर लगाकर अपनी व्यवस्था की पूर्ति की है। केन्द्रीय बजट में 212 करोड रुपये के और कर लगाकर आमदनी में अभिवृद्धि की है। रेल बजट में यात्री और माल भाड़े को बढ़ाकर 95 करोड़ की अभिवृद्धि की अर्थात् कुल मिलाकर 307 करोड रुपए की करों के द्वारा बढोतरी हुई है। इससे भी अधिक भार राजस्थान की जनता पर पड़े बिना नहीं रह सकता, सीधा प्रभाव इसका कीमतों पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता और अवश्यमेव महंगवारी बढ़ेगी और उस कारण शोषण भी निश्चित रूप से बढ़ेगा।

अच्छे बजट का मापदंड तो मेरे अनुमान के अनुसार इन्फ्लेशन पर काबू पाना, सामाजिक न्याय की व्यवस्था होना और आम जनता को राहत मिलना। बजट के अन्दर इन तीनों मुद्दों के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कोई जिक्र नहीं है।

सरकार की जितनी नीतियां हैं, गलतियों से भरपूर हैं। उदाहरण के लिए लैंड सीलिंग की व्यवस्था। माननीय सदस्य यहां पर बैठे नहीं हैं, नहीं तो आरोप लगाते कि भूमि से मुझे प्रेम है। प्रेम है या नहीं, चाहे मेरे पास भूमि रहे या नहीं, मैं निर्भीकतापूर्वक कहना चाहूंगा कि खेती का महत्व उत्पादन से है। आज उत्पादन देश के हित के लिए परमावश्यक है। खेती बिना पैसे बिना पूंजी के कभी नहीं हो सकती। सरकार की नीति अस्थिर है। अगर सरकार एक स्थिर कानून बनाती और सब जमीन ले लेती तो मैं समझ सकता था। लेकिन आज ही मंत्री महोदय ने सीलिंग कानून में संशोधन पेश किया है, सीलिंग कानून में आप बार बार संशोधन पेश करें और अस्थिरता किसान के दिल में सरकार ला रही है या और कोई कारण से अस्थिरता उत्पन्न हो रही है, सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

इसके साथ साथ कांग्रेस दल में भी कहा जाता है कि वहां बहुत बड़ी कुलक्स की लोबी बैठी हुई है, वह सरकार को सीलिंग कानून लागू

(श्री लक्ष्मण सिंह)

करने से रोक रही है। यह तो शासनारूढ़ दल का अन्दरूनी मामला है, मुझे कोई लेना देना नहीं है लेकिन मैं, स्पष्टतः निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि खेती की व्यवस्था की जो वर्तमान नीति सरकार की है वह सुदृढ़ नहीं है, सुधर नहीं सकती, सरकार की नीति स्टेबल होनी चाहिए, अस्थिर नहीं होनी चाहिए। अगर सीलिंग कानून सरकार बनाती है तो कम से कम 5 साल तक उस कानून को फिर हाथ नहीं लगाना चाहिए। आए दिन उसमें परिवर्तन करना महादुर्भाग्यपूर्ण और अदूरदर्शितापूर्ण है। इसका भी विरोध किए बिना मैं नहीं रह सकता।

सरकार ने गरीबों के लिए कोई आवास योजना नहीं बनाई, भूमिहीनों को भूमि आवंटित करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। आखिरकार राजस्थान की भूमि है वह तो है, उसको आप इंडियन रबर के अनुसार लम्बा या चौड़ा नहीं कर सकते, न सिकोड़ सकते हैं और न ही लम्बा कर सकते हैं। उस भूमि में कितने हरिजन और आदिवासियों को बसायेंगे, यह भी सरकार का थोथा नारा है। इसके अन्दर कोई रहस्य नहीं है और अगर सरकार भूमिहीनों को जमीन देना चाहती है तो अब तक उनको क्यों नहीं दी और अभी भी सरकार लेत-लाली क्यों कर रही है। इसका भी कोई स्पष्ट प्रमाण मुझे नहीं दिखाई देता। तो, कोरी नारेबाजी, उपलब्धि कुछ नहीं। यह जनता के प्रति विश्वासघात होगा, सरकार की प्रेस्टिज और साख भी घटेगी।

कोआपरेटिव मूवमेंट के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता सफल हो, अगर आप समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं तो संसार में आज दिन तक समाजवाद किस खूबसूरत बला का नाम है इसका कोई पता नहीं लेकिन यदि सामान्य बुद्धि से मान लिया जाय कि यह डेफीनेशन है आइ एथिक्स आफ सोशलिज्म। तो फिर सोशलिज्म के अन्दर वितरण इस तरह से हो कि गरीब तबका ऊपर आए और गरीब तबके में खुशहाली आए। आज तक तो मुझे नजर नहीं आया कि गरीब तबका खुशहाल हुआ हो। गरीब गरीब हुआ, गरीब दवा और मेरे ख्याल से 15 वर्ष पहले जिन मंत्रियों के पास खाने व रहने की व्यवस्था नहीं थी, आज उनके पास लाखों रुपए हो गए, कर कुछ नहीं देते। यह भी बिल्कुल स्पष्ट बात है कि माननीय रक्षा मंत्री ने 10 साल तक कर नहीं दिया और जब प्रश्न लोक सभा में उत्पन्न हुआ तो माननीय प्रधान मंत्री महोदया ने खड़े होकर स्पष्टीकरण दिया परसनल एक्सप्लेनेशन ग्रान बिहाफ आफ दी ग्रानरेबुल डिफेंस मिनिस्टर, कि संभवतः माननीय रक्षा मंत्री अपने कार्यक्रम में इतने व्यस्त हैं कि वह कर देना भूल गए होंगे। अगर हमारे जैसा साधारण व्यक्ति टैक्स नहीं दे तो उस पर पेनल्टी और सजा। आज शासनारूढ़ दल के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं, वह कानून से परे है। तो मैं कोआपरेटिव बेसिस पर आ रहा था। आज बीसियों नहीं सैकड़ों सहकारी समितियां हैं जो बिल्कुल बोगस हैं और जब तक आप स्वस्थ प्रक्रिया के द्वारा अच्छे को अच्छा नहीं कहेंगे, बुरे को बुरा नहीं कहेंगे, बुरे में रुकावट पैदा नहीं करेंगे

(श्री लक्ष्मण सिंह)

तो अच्छे और बुरे की परख कैसे होगी, यह मेरी समझ के बाहर की समस्या है। करोड़ों रुपए इस कोआपरेटिव मूवमेंट के अन्दर सरकार का बैड डेट हो चुका है, ठंडी उगाही खाते, सरकार वापस प्राप्त नहीं कर सकती, क्यों नहीं नई संस्थायें बनाई जायं, क्यों नहीं नई दिशा दी जाए? ये बिल्कुल सड़ी पिटी, रद्दी सहकारी समितियां हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिये आक्सीजन के डोज देकर कितने दिन जीवित रखेंगे, मेरी समझ में नहीं आता।

इस सम्बन्ध में बजट दिशा शून्य है, न आपका कोआपरेटिव मूवमेन्ट आगे बढ़ा है न आवास योजनायें आगे बढ़ी हैं न भूमि वितरण। उस सम्बन्ध में भी बजट कोई व्यवस्था करता हो, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। यह आपकी जो योजनायें सरकार की हैं इनफ्लेशन ओरीयन्टेड हैं, इनके अन्दर मुद्रा स्फीति निहित है। मुद्रा स्फीति उस प्रक्रिया को कहते हैं कि माल की कमी और नाणे की बहुतायत हो। आज नाणे की बहुतायत है, करोड़ों रुपये के नोट छप रहे हैं और जहां पर भी देखा जाए आज 10 वर्ष के अन्दर प्राइसिज चेसिंग कमोडिटीज। कीमतों और वस्तुओं के बीच में घुड़दौड़ लगी हुई है। आपकी जो यह बजट की प्रक्रिया है यह देश के लिये हानिकारक है और जब तक प्रोडक्शन ओरियेन्टेड प्लान्स नहीं बनायेंगे तब तक आप यह मानकर चलिये कि देश में खुशहाली नहीं आ सकती है। मेरा यह निश्चित अभिमत है कि आपके प्लान्स सिर्फ इलेक्शन जीतने के लक्ष्य को लेकर बनाये गये हैं। आज भारत की कांग्रेस पार्टी ने 50 करोड़ रुपये उत्तरप्रदेश के इलेक्शन में खर्च किये। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह पैसा इतना कहां से खर्च हुआ? यह रुपया कहां से आया? यह सब उपाध्यक्ष महोदय, यह बता देना चाहता हूं कि यह काला धन है। यह काला धन आपने पूंजीपतियों को दबा दबा कर चन्दा लेकर यू.पी. के इलेक्शन में खर्च किया है। आज अहमदाबाद में आमतौर पर यही चर्चा है कि गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री चिमनभाई पटेल ने वहां के व्यापारियों से, जो कि मूंगफली के तेल का धन्धा करते थे, उनसे चन्दा लिया और उस पैसे को उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भेजा। इसलिए यह बात कोई भी कहे बिना नहीं रह सकता है कि आपकी ये योजनायें हैं यह सभी इलेक्शन जीतने के लिये काले धन के स्वरूप को लेकर काला मुर्गा आपने पैदा किया है। इट इज ए ब्लैक कोकरल। आप कोकरल वाले हैं और बेचारे विरोधी पक्ष वाले तो तोतर हैं कहां ब्लैक कोकरल और कहां बेचारा तोतर। लेकिन आप इतना जरूर याद रखना कि कभी कभी कंकड़ा भी घड़ा फोड़ देती है। आपने यू.पी. और उड़ीसा में क्या क्या काम किये हैं, किस किस तरह से लोगों को धोखा देकर आपने इलेक्शन जीता है, यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि क्या क्या आरोप आज हमारे देश में लगाये गये हैं।

श्री देवीलाल : फिर भी हम चुनाव तो जीत गये।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह इलेक्शन के काले कारनामों की वजह से आप जीत कर तो आ गये लेकिन आपको

(श्री लक्ष्मणसिंह)
मालूम होना चाहिये कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में जब राज्यपाल महोदय गये तो उनके साथ क्या हरकत की गयी।

श्री दीपंकर : कांग्रेस तो अपने सिद्धांत पर जीतती है।

श्री लक्ष्मणसिंह : आपके कौनसे सिद्धांत हैं उनमें तो मैं नहीं जाना चाहूंगा कि लेकिन इतनी मेरी मान्यता है कि उसमें बेईमानी है। आप तो अनीति से बेईमानी पर आ गये।

श्री दीपंकर : आपके विचारों में बेईमानी है इसलिये आपको बेईमानी दिखायी देती है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं तो आपके लिये बेईमानी नहीं बेईमानी कहता हूं।

श्री दीपंकर : यह तो जो चाहे....

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे फिजूल डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं प्रोटेक्शन आफ दी चेअर सीक करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जब यू. पी. के इलेक्शन हुए थे तब मैं भी यू.पी. गया था तो वहां पर मैंने देखा कि हमारी प्रधान मन्त्री और उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री हेमवंती नन्दन बहुगुणा दोनों ही हैलीकोप्टर में बैठकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब आप जरा सोचिये, उपाध्यक्ष महोदय, कि हैलीकोप्टर के मुकाबले बेचारे विरोधी दल वाले कहां टिकते हैं। इतना ही नहीं, अगर विरोधी दल वाले बेचारे कहीं मोटर लेकर जावें तो पेट्रोल पंप वाले यह कह देते हैं कि हमारे पास तेल नहीं है क्योंकि वह जो कुछ भी तेल है वह तो कांग्रेस वालों ने खरीद लिया। तो अब आप देख लीजिये कि कितना अनइक्वल कान्टेस्ट था। यह लोकतन्त्र की हत्या है यह चुनाव नहीं है, यहां पर लोकतन्त्र का मखौल उड़ाया गया है और जब इस तरह से अन्धाधुन्ध पैसा खर्च करके जीत कर आते हैं तो इनफ्लेशन होगा। और जब इनफ्लेशन होगा तो कीमतें बढ़ेंगी। इसके अलावा घाटा होगा तो आप टैक्स लगायेंगे और फिर जनता को दिक्कत आयेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप जिस तरह से चुनाव जीतकर आये हैं उसका उत्तर मुझसे मत सुनिये अपने आप खुद विचार करिये। यू रिजोल्व दिस मेटर इन्टू योर माइन्ड। तो उपाध्यक्ष महोदय, जब तक मूल्यों का स्थिरीकरण नहीं होता तब तक आपका बजट साउन्ड नहीं हो सकता। इसलिये आप ऐसी पद्धति अपनायें कि जिससे कि मूल्यों में स्थिरीकरण हो। लेकिन इस सरकार की नीति है कि बजट तो घाटे का ही होना चाहिये। सरकार का विश्वास ही घाटे के बजट में है और उस घाटे को पूरा करने के लिये आप टैक्स लगाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप अपनी नीति बदलिये इस घाटे की अर्थ व्यवस्था को बदलिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं घाटे के बजट के विरोध में नहीं हूं। लेकिन आपने तो अपनी आदत सी बनाली है। घाटे की अर्थ व्यवस्था के लिए आपको तो एक तरह से व्यसन हो गया है। घाटे का बजट बनाने का उपाध्यक्ष महोदय दिस हैज बिकम ए हेबिट। इसके लिये आप टैक्स लगाकर उस घाटे का पूरा करना चाहते हैं, फिर वही आप धड़ाधड़ नोट छापें तो यह एक अच्छी परम्परा नहीं है। मेरे ख्याल से

(श्री लक्ष्मणसिंह)

तो प्रति सर्वत्र वर्जयेत यह जो कुछ हो रहा है इससे हमारे देश की तरक्की नहीं हो रही है इससे हमारे देश को हानि होती है। आज आपके देश के अन्दर इनफ्लेशन होने से सभी चिंतित हैं और इसका मूल कारण आपका डिफेक्टिव बजटिंग। इससे काफी खराब स्थिति देश में पैदा होने वाली है। आज जैसा कि सदन में माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल भार्गव ने कहा, मैं उनके सारे कथन को नहीं दोहराऊंगा लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि पहले पेट पापी को खाने को चाहिये। यह सर्व प्रथम तो समस्या पेट की है। जब तक आप पेट को खाने को नहीं देंगे तब तक आपकी यह सड़कें, बिजली, तालाब बनाना, सभी बेकार है। तो मेरा निवेदन है कि आप लोगों को खाने के लिये तो पूरा दें। इसके अलावा थोड़ा मैं खाद्य निगम के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यह खाद्य निगम आपकी खाद्य व्यवस्था को ठीक रखने में बिल्कुल फेल हो गयी है। यह बिल्कुल असफल हुई है। इस बात को आपकी प्रधान मंत्री ने माना, प्लानिंग कमीशन ने माना, सभी मुख्य मंत्रियों ने माना सिवाय एक उड़ीसा की मुख्य मंत्री श्रीमती नन्दनी सतपथी के। सभी लोग मान गये कि यह जो आपने राष्ट्रीयकरण किया है गेहूं का जिसे मैं तो 'राजकीयकरण' ही कहूंगा इस राजकीयकरण ने एक नया 'वाद' देश को दिया है वह है, कतारवाद। आज खाद्य निगम में हर जगह भ्रष्टाचार है, इस राजकीयकरण में कदम कदम पर भ्रष्टाचार है। आप इतने बड़े राष्ट्रीयकरण का नारा देकर तीन किलो गेहूं तक जनता को नहीं दे सके। आपने राजकीयकरण करके जनता को तीन किलो गेहूं के लिए घण्टों खड़ा रहने की व्यवस्था की है। इससे ज्यादा बढ़कर आप जनता की क्या दुर्व्यवस्था कर सकते हैं। आज कोई चीज भी जनता को नहीं मिलती है। न खाने को गेहूं है, न शक्कर है, न सीमेंट जनता के हाथ आती है न मिट्टी का तेल जलाने को हाथ आता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां कितने दिन तक चलेंगी। आपके इन्द्राजी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। तो गरीबी कहां से हटी? उपाध्यक्ष महोदय अभी उत्तरप्रदेश के चुनावों में विरोधी लोगों ने यह नारा दिया कि "गरीबी हटाओ का नारा फीका है, इन्द्रा बेकार बनाती है। और संजय कार बनाते हैं।" इसके लिये मेरा तो कहना यही है कि अगर प्रधान मंत्री का बेटा है और कार बनाते हैं तो क्यों नहीं उन्हें कार बनानी चाहिये। अच्छा है अगर प्रधान मंत्री का लड़का कार बनायेंगे तो एकाध कार मैं भी खरीद लूंगा लेकिन 'इन्द्रा बेकार बनाती हैं तो इससे देश को नुकसान हो रहा है। अब भविष्य में सरकार क्या नीति अपनाती है उस सम्बन्ध में देखने की बात है। अभी तो यह स्थिति है कि आज सरकार व्यापारियों से भी गयी गुजरी है। क्योंकि आज राज्य सरकार 50 रुपये के भाव से बाजरा खरीदती है और उसको 200 रुपये के भाव से एफ. सी. आई. के मारफत बेचती है। इसी प्रकार 75–80) रुपये क्विन्टल गेहूं खरीदती है और उसे जनता को एफ. सी. आई. के मारफत 105 रुपये क्विन्टल बेचती है अब तो ऐसा सुना है कि 15 रुपये और बढ़ा रहे हैं। तो यह तो व्यापारियों से भी आगे निकल गये हैं। व्यापारी अगर दस पांच

(श्री लक्ष्मणसिंह)

ज्यादा लेते हैं तो आप कोई भी चीज खरीदने के लिये दस दूकान पर जाकर दस किस्म की चीजें देखकर तो खरीदेंगे लेकिन यहां तो आपके पास एक ही दूकान है खरीदने को तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार सस्ते भाव खरीद कर आप जनता को 50) के बजाय 100) रुपये क्विन्टल बाजरी बेचें और 75) के भाव से गेहूं खरीद कर 105 के भाव से बेचें तो यह कौनसा व्यापार आप कर रहे हैं। यह आपका कौनसा समाजवाद है। ऐसा तो दूसरे समाजवादी देशों में नहीं होता उपाध्यक्ष महोदय, आज जापान और वेस्ट-जर्मनी में जहां पर सेकेन्ड वर्ल्ड वार की वजह से पूरा देश ही बरबाद हो गया था, पूरी उनकी अर्थ व्यवस्था ही खराब हो चुकी थी। उन्होंने भी ऐसी योजनायें बनायीं कि जिनके जरिये आज वह लोग हमसे काफी अच्छी हालत में हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार ऐसे देशों का उदाहरण नहीं लेती हैं। वह उदाहरण अपने सामने रखेगी रूस का। रूस की व्यवस्था को अपने यहां पर लागू करना चाहते हैं। सम्भवतः रूस में भी व्यवस्था होगी। लेकिन वहां पर एक पार्टी का राज्य है। एक पार्टी का राज्य भारतवर्ष में आज नहीं है। कल हो तो दूसरी बात है। विरोधी पक्ष को, सब को, फांसी लगा दी जाय तो दूसरी बात है। जब तक विरोधी पक्ष जीवित है, जब तक खोखला भी संविधान है, बोलने की आजादी है तब तक विरोधी पक्ष को खरी बात निश्चित रूप से निधड़क रूप से कहने में कोई हर्ज नहीं है अपितु विरोधी पक्ष का परम पुनीत कर्तव्य है।

सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके अपने आपको बिचोलिया बना लिया है। आप बिचोलियों से नफरत करते हैं और खुद आप बिचोलिये बने हैं और ऐसे बिचोलिये बने हैं जिन पर कोई कानून ही लागू नहीं होता है। कोई दूसरा बिचोलिया व्यापारी हो तो उसको सजा भी हो सकती है। सब कुछ हो सकता है। आप बिचोलिये बने हैं, अबल हैं, आप पर कानूनी व्यवस्था लागू नहीं होती। उसके साथ साथ सबसे बड़ी मुनाफाखोर भी सरकार है और सबसे बड़ा जखीरा करने वाली भी सरकार है, सबसे बड़ी हठधर्मी भी सरकार है और सरकार ने जो व्यवस्था की है वह अदूरदर्शितापूर्ण है और अवास्तविक है। इसके अन्दर परिवर्तन होना परम आवश्यक है और केन्द्रीय सरकार भी अनुभव करती है कि परिवर्तन आना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि परिवर्तन ऐसा होगा कि जिससे दूषित प्रणाली में परिवर्तन होकर लोगों का कुछ भला हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को तीन अंगों में प्रस्तुत करूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा, सामाजिक सेवाओं पर खर्चा और विकास पर खर्चा। इन तीनों के खास मुद्दों पर मैं आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा आपकी आज्ञा से।

प्रशासनिक व्यय कुल 1973–74 में 33.9 परसेन्ट। 1974–75 में एस्टीमेट रखे हैं 33.9 परसेन्ट। यानि लगभग 35 परसेन्ट। इसकी तुलना में सामाजिक सेवाओं पर जो खर्चा है 73–74 में 75.4 परसेन्ट था वह 74–75 में 40.5 परसेन्ट ही रह गया है। मेरे खयाल में यह उन्नति नहीं अवनति है।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

विकास पर खर्चा 73–74 में 69.1 परसेन्ट और 74-75 में वह 65 परसेन्ट ही रह जाता है। यानी विकास पर खर्चा है 31 करोड 48 लाख रुपये। इस वर्ष उसकी तुलना में कम खर्च होगा। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव व्यय टोप पर है।

महगाई भत्ते के सम्बन्ध में आज कोई कुछ नहीं कह सकता। यदि महगाई बढ़ी और दूसरी दफा और हड़ताल हुई तो इसका परिणाम दूरगामी और भयंकर होगा। आज भी दिल्ली के अन्दर डाक्टरों की हड़ताल क्या कर रही है ? राजस्थान के अन्दर कर्मचारियों की हडताल कभी सुनी नहीं थी। ऐसे दुर्घटनापूर्ण और तरह तरह के नारे लगाये गये। नारों के अन्दर भी, मैं विशेष तो निवेदन नहीं करूंगा परन्तु एक नारा यह था बेचारे स्वर्गीय बरकतुल्ला खां के बारे में "हरे राम हरे अल्ला, गधे चरावे बरकतुल्ला।" सरकारी कर्मचारी यदि ऐसे नारे लगायें तो इससे बढ़ कर और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है।

डाक्टर्स, सीनियर्स जूनियर्स की हड़ताल दिल्ली जो समस्त भारतवर्ष की राजधानी है वहां पर चिकित्सा व्यवस्था ठप्प हो गयी है और मरीजों की दुर्दशा हो गयी है। यह कल्याणकारी राज्य नहीं है। यह समाजवाद भी नहीं है। मेरे खयाल में यह भ्रष्ट अधिनायकवाद की पराकाष्ठा है।

विकास के दृष्टिकोण से, समाजिक सेवाओं के दृष्टिकोण से, नियंत्रण के दृष्टिकोण से, जनता के राहत के दृष्टिकोण से यह बजट मार्गदर्शन नहीं करता। गत वर्ष से मेरा यह भी अनुभव है उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार की ओर से आमदनी के आंकड़े बहुत बढ़ा कर बताये जाते हैं और व्यय के, खर्चे के आंकड़े बहुत घटा कर बताये जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आय है वह घट जाती है, एक्चुअल इन्कम घट जाती है और एक्चुअल एक्सपेन्डीचर है वह बढ़ जाता है।

बजट में 6 करोड 61 लाख रुपया बताया है यह कोई बचत नहीं है। इसको मैं कतई स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। यह डेफिसिट में परिणत हो जावेगा। दिस विल टर्न इन्टु डेफिसिट। कदाचित कर्मचारियों का और डी. ए. बढ़ाया तो और भी डेफिसिट होने की संभावना है। यह सरप्लस बजट नहीं है डेफिसिट बजट है। नीरस बजट है और निराशाजनक बजट है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ी सी देर मेरे क्षेत्र के संबंध में कहना चाहूंगा। सरकार ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नल कूप की व्यवस्था की उसका मैं स्वागत करता हूं। डूंगरपुर जिले में नल कूप के जरिये पेय जल की समस्या का सरकार ने हल निकाला है उसके प्रति मैं आभार प्रदर्शित किये बगैर नहीं रह सकता हूं। गंदा पानी आदिवासी लोग बारिश के अन्दर खेतों का पानी पीते थे, तालाब का पानी पीते थे; जगह जगह उनको नल कूप के द्वारा शुद्ध पेय जल उपलब्ध होगा। उस सम्बन्ध में एक निवेदन सरकार को करना चाहूंगा कि उनको स्पेयर पार्ट्स की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिये, नल कूप के पंप बिगड़ जावेंगे उनकी दुरस्ती करने के लिये तत्काल व्यवस्था नहीं

(श्री लक्ष्मण सिंह)

होगी तो फिर सरकार के लिये खर्चा वहन करना आफतों का सामना करना पड़ेगा जैसे ठेकेदारों को स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते वैसे ही पंपों के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे।

बिजली और सिंचाई के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो बड़े गांव हैं, छातला, पिंडावल, किंतोसर, बड़गांव आदि वहां पर सलूम्बर से सागवाड़ा बिजली गयी है। बहुत सारे गांवों के पास होकर बिजली के तार गये हैं। सुखाड़ियाजी जब मुख्य मंत्रीजी थे तब बजट के भाषण के दौरान मैंने यह कहा था कि आसपुर तहसील का मुख्यालय है वहां पर सलूम्बर से सागवाड़ा बिजली की लाइन गयी है और आसपुर के ऊपर से बिजली के तार गये हैं किन्तु आसपुर के लोग तरसते रह गये हैं। मैं विरोधी दल का था, इसलिये मेरे से लोगों को नाराज करने के लिये यह व्यवस्था की गयी थी। सुखाड़ियाजी ने जब डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया तो उनको मेरे शब्द याद आये और देखा कि आसपुर के ऊपर से तार गये हैं। उन्होंने फौरन आदेश दिये कि आसपुर को बिजली दे दी जाय। इसलिये मैं आशा करता हूं कि जहां भी गांव के पास से बिजली के तार गये हों, जहां भी संभव हो, सरकार से निवेदन है कि वहां पर बिजली की व्यवस्था करे। वहां सिंचाई और प्रकाश के लिये बिजली दे।

एक पाड़वा गांव है। वह मेरा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, आसपुर में है। वह बड़ा कस्बा है। वहां पर भी बिजली आज दिन तक नहीं गई। मेरे ख्याल से सरकार के लिये यह एक अशोभनीय व्यवस्था है।

औषधि वितरण की भी व्यवस्था नहीं है। औषधालय हैं वैद्य भी। पर दवाइयों का प्रबन्ध सुचारु रूप से नहीं है।

अतएव मेरा सरकार से निवेदन है कि इसका प्रबन्ध किया जाय, गांवों में बिजली दी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह।

श्री सज्जन सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष का हमारा बजट राजस्थान प्रदेश को समाजवाद की ओर कितना आगे अग्रसर करेगा, इस पर सदन में माननीय सदस्यों द्वारा काफी चर्चा की जा चुकी है।

मुझे इस विषय पर केवल मात्र इतना ही निवेदन करना है कि स्वतन्त्र पार्टी के माननीय नेता जब अभी अपने भाषण में यू. पी. के चुनावों की चर्चा कर रहे थे तो आपने कृपा पूर्वक फरमाया कि भारत की प्रधान मन्त्री और यू. पी. के मुख्यमंत्री हैलीकाप्टर में घूमा करते थे। शायद माननीय महारावल साहिब को यह याद नहीं रहा कि राजमाता विजयराजे सिंधिया और महाराज माधवराव सिंधिया भी हैलीकाप्टर में घूमा करते थे और आप भी अपने चुनावों में किन साधनों का उपयोग करते हैं शायद कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्य उतने साधनों का उपयोग नहीं कर सकते।

भारत की प्रधान मन्त्री एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते समय उनको इतना नहीं

(श्री सज्जन सिंह)

मिल पाता कि वे बैलगाड़ी में बैठकर घूमें कि वे घोड़ा गाड़ी में बैठ कर घूमें, कि वे कार द्वारा इतने लम्बे चौड़े विस्तृत क्षेत्र का दौरा कर सकें और अगर उन्होंने इसके लिये हैलीकाप्टर का उपयोग किया तो आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिये था।

यह शायद आपने जानबूझ कर कहा या गलती से बात निकल गई लेकिन इस सदन के मामलों में जहां हम यह देखते हैं कि राजा महाराजाओं के पास आज भी इतने साधन हैं और सरकार के पास साधन न हों यह समझ में नहीं आने जैसी बात लगती है। खैर। इस प्रसंग पर लम्बी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं। जो जीत गया जीत गया जो हार गया हार गया। उसका फैसला जनता ने कर दिया। इसके पश्चात् यह सिलसिला समाप्त हुआ।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अपने क्षेत्र के मुतल्लिक यह निवेदन करना चाहता था कि देशी रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात् हमने उत्तराधिकार में ऐसी सेवाएं प्राप्त कीं जो शहरी लोग पढ़े लिखे मध्यवर्गी लोग शिक्षा प्राप्त कर चुके थे उन्हीं को रियासतों में नौकरी मिला करती थी। न उन दिनों पब्लिक सर्विस कमीशन था, न चयन आयोग ही था उन रियासतों में। वे ही लोग हमें उत्तराधिकार मिले। लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने में जनता की आवाज को दबाये रखने में, भय के द्वारा शासन करने में जो प्रणाली उस समय राजा महाराजाओं की थी वही विशिष्ट ट्रेनिंग उन अधिकारियों की भी रही। देश के सर्वांगीण विकास के लिये उन अधिकारियों की मनोवृत्ति में आजादी के 25 वर्षों की अवधि के पश्चात् भी, विशेष परिवर्तन मुझे लगता नहीं और यह भी मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आज भी हमारे अधिकारी चाहे वे आई. ए. एस. हों या आर. ए. एस. कैडर के हों अपने आपको जनता से दूर समझते हैं।

गरीब किसान के घर पर, गरीब मजदूर के घर पर जिला प्रशासन का सबसे बड़ा ओहदेदार कलक्टर शायद रात नहीं गुजारता न वह गुजार सकता है। विकास अधिकारी दौरा करता है, पंचायत समितियों में आज तो फिर उनका कैडर भी डिग्रेड होकर कृषि प्रसार अधिकारी ही विकास अधिकारी बन गया पर जब आर.ए.एस. अधिकारी विकास अधिकारी हुआ करते थे उस जमाने में भी किसी गरीब आदमी के घर पर रात्रि गुजारना उनके लिये सम्भव नहीं था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मनोवृत्ति आज अधिकारियों की है, प्रजातन्त्र में शासक दल अपनी नीतियों की अनुपालना केवल अधिकारियों के माध्यम से ही तो करवाता है और अगर उनकी मनोवृत्ति ऐसी हो कि दल की, शासक दल की नीति के अनुरूप नहीं चले तो कैसे यह सम्भव हो सकता है कि शासक दल की नीतियां शीघ्र हों और उसका जनसाधारण को शीघ्र लाभ फायदा मिले।

उदाहरण के तौर पर मैंने राजस्व विभाग की मांग के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए निवेदन किया था कि एक अधिकारी हैं श्री चावंडदान देथल आर. ए. एस. अफसर

(श्री सज्जनसिंह)

और यह इण्डिपेण्डेंस के बाद का रिक्रूट है। उस रिक्रूटमेन्ट की ग्रुप में तो कम से कम यह भावना होती कि गरीब के साथ उनकी हमदर्दी होती, फिर हम पाते हैं कुछ और ही भिन्न बात । पुनरावृत्ति दोष को स्वीकार करते हुए आपकी आज्ञा से मैं निवेदन करूंगा कि श्री चांवडदान देवल ने गरीब आदमियों के पेट पर लात मारी, गरीब आदमियों की रोटी छीनी, गरीब आदमियों को हमारी समाजवादी नीति के अनुरूप अगर सीलिंग में कुछ जमीन सरकार लेकर गरीबों में वितरण करना चाहती थी तो देवल साहब ने उसमें टांग फंसा दी। क्योंकि वे अधिकारी हैं, क्योंकि उनमें सुपीरियोरिटी कम्पलेक्स है। क्योंकि अफसरों का एक कम्पार्टमेन्ट है, एसोसियेशन है, ट्रेड यूनियन के सिद्धान्त की नकल कर वैसा रुख उन्होंने अख्तियार कर रखा है। इसलिये यह मान कर चलना होगा कि गांव के साधारण लोगों के मुकाबले आपके एक अधिकारी की हमदर्दी दूसरे अधिकारी के साथ हुआ ही करती है। इस प्रसंग में वाली में एस. डी. ओ. उस समय श्री रणजीतमल कोठारी था। आर. ए. एस.। उनके सामने सीलिंग का मामला चल रहा था। श्रीमती नारायणकुमारी के पास इतनी जमीन नहीं रह सकती और उस कस्बे के चावडदान देवल के पास दूसरे आदमी से दरख्वास्त कराने का एक तरीका अख्तियार कर रखा था। उस पर फैसला करता है कि मैं अपने उस निश्चय को बदलता हूं।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि, जहां अधिकारी वर्ग सरकार की नीतियों के अनुरूप कार्य नहीं करते तो सरकार क्या करे? देखती रह जावे? या उनको दुरुस्त करे? होना तो यह चाहिये था कि जब यह मिसाल पिछली बार मैंने राजस्व की मांग पर चर्चा करते हुए राजस्व मन्त्री महोदय को निवेदन करते हुए यहां तक निवेदन किया था कि अगर यह बात है तो आप किसी आई. ए. एस. से जांच करवा लें आप सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति गठित करके उससे जांच करवा लें। अगर यह बात गलत साबित होगी तो मैं विधान सभा से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं। मुझे पता नहीं राजस्व मंत्री ने उस प्रसंग में उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कदम उठाया। लेकिन मैं यह निवेदन करता हूं कि अधिकारी वर्ग सरकार के साथ सहयोग नहीं करते हैं। अधिकारी वर्ग जानबूझ कर सरकार की नीतियों को तोड़ते–मरोड़ते हैं, सरकारी आदेशों का पालन नहीं करते, गरीब जनता के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, उसका परिणाम ऐसा निकलेगा जैसा विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य चाहते हैं। उनको निन्दा करने का कोई न कोई विषय मिलना चाहिये, कोई न कोई चर्चा करने का विषय मिलना चाहिये। उलट फेर करके सदन में किया करते हैं तो मैं सदन में यह निवेदन कर रहा हूं चावण्ड दान देवल ने गरीबों की पीठ पर लात मारी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की रोजी रोटी पर प्रहार किया है। उनको जो राज्य सरकार की नीति के अनुसार जमीन मिलने वाली थी, उसे वे हड़प कर गये, लेन्ड ग्रेबिंग किया और बहुत ही मिसचीवियस तरीके से किया। आर.ए.एस. श्री रणजीतसिंह ने यह फैसला किया था,

(श्री सज्जनसिंह)

उसकी अपील में गये–रेवेन्यू अपीलेट आथोरिट के पास जो उनके रिश्तेदार हैं। उन्होंने फैसला किया है और राज्य सरकार ने अपील की। रेवेन्यू बोर्ड में प्रोसीजर ऐसा है। सरकार कोई बिग लेप ले नहीं सकती थी और उस फैसले के कारण आज पांच वर्ष हो गये न तो सरकार उस भूमि को ले सकती है और न गरीबों में वितरण कर सकती है। कारण माननीय सदस्य जो उनके मित्र हैं उन्होंने उस दिन भी कहा था कि श्री देवल का उसमें नाम नहीं है। यह हो सकता है कि श्री देवल का नाम नहीं हो मैंने निवेदन किया था बेनामी ट्रान्जेक्शन कैसे हुआ करते हैं, विशेष चर्चा नहीं की थी, लेकिन शायद वे मंत्री भी बने तो श्री देवल आर.ए.एस. को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी भी बनायें। खैर, वे तो मंत्री नहीं बने और वह केवल स्वप्न रह गया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जांच क्यों नहीं हो रही है? लैण्ड ग्रेबर्स के बारे जांच क्यों नहीं हो रही है? आदेश जरूर दिये हैं। उसमें प्रधान इन्वोल्व है–प्रधान पंचायत समिति, सुमेरपुर। मेरे प्रश्न के उत्तर में राजस्व विभाग ने यह भी उत्तर दिया था कि उन्होंने नामान्तरकरण करवा लिया है। मैं राजस्व मंत्रीजी से यह अनुरोध करूंगा, जांच करवायें कि वास्तव में बंशीलाल बालदिया ने वह जमीन खरीदी और खरीदी तो वह किस से खरीदी, रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ, प्रापर स्टाम्प ड्यूटी दी या नहीं दी, आज उस पर कब्जा है या नहीं। अब जो मौजूदा फैसला है वह बंशीलाल बालदिया या चावंड दान देवल के किसी रिश्तेदार के नाम से खड़ी है।

दूसरे प्रधान हैं श्री सम्पत राज...

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): यह अप्रोप्रियेशन बिल पर चर्चा हो रही है केवल आपने...जो कुछ आप कह रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं केवल एक सेन्टेन्स रिलेवेन्ट कहा है अन्डर स्टाप ड्यूटी डाक्यूमेंट ...उसको मैं रिलेवेन्ट मानता हूं बाकी यह सब एप्रोप्रियेशन बिल पर नहीं चल रहा है...

श्री केदार नाथ : अगर फार फेच है तो सही है।

श्री सज्जनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय राजस्व मंत्री ने जो मेरे विचारों पर आपत्ति उठाई उसका मैं स्वागत करता हूं। राजस्व विभाग की मांग पर मैं चर्चा कर चुका हूं परन्तु मैं, उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा पूर्वक आज्ञा मांग चुका हूं। पुनरावृत्ति अवश्य है लेकिन उस पुनरावृत्ति का करना आवश्यक है, क्योंकि आप एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि आप गरीब जनता की आवाज सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गरीबों की सहायता नहीं करते हैं, आपके अधिकारी मिसचिवियस एक्ट करेंगे तो जवाब वहां माननीय राजस्व मंत्रीजी हमको देना पड़ता है और हमारा काला मुंह होता है तो शायद उसका आपको भी अफसोस जरूर होना चाहिए।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था एक दूसरे प्रधान श्री सम्पत राज, पंचायत समिति रायपुर, जिला पाली। आप

(श्री सज्जनसिंह)
जांच करवायें कि वास्तव में सम्पत राज ने जमीन खरीदी और खरीदी तो किससे खरीदी, स्टाम्प ड्यूटी दे की या नहीं की। मैं यह निवेदन कर चुका था, श्रीमती नारायण कंवर को आश्वासन दिया गया है कि सीलिंग से जमीन बचा ली जाएगी तो आपको 75) रु. बीघा का दिया जाएगा अगर रजिस्टर्ड डीड है तो कान्ट्रेक्ट टू परचेज और उसमें भी 75) रु. के भाव से तो साढ़े सात हजार की कीमत होती है। स्टाम्प ड्यूटी नहीं दी गई है, इसकी आप जांच फरमायें।

तीसरे एक नाम श्री धर्मीचन्द सरपंच भूंठों में····

श्री फूलचन्द जैन : यह आश्वासन दिया उनको, वह किसने दिया है···

श्री परसराम मदेरणा : एग्रीमेंट टू सेल है उसमें कुछ प्रोविजन होगा। यह आश्वासन राज्य सरकार ने नहीं दिया है। आप स्पष्टीकरण कर दीजिये। इनको गलतफहमी हो गई है।

श्री सज्जन सिंह : यह आश्वासन दिया गया था श्रीमान चावण्ड दान देवल आर. ए. एस. आफिसर, उन्होंने, मैं निवेदन कर चुका हूं कि उन्होंने यह कार्यवाही बेनामी की है। डीलर वही था। लेकिन सेल किसी और के नाम से किया गया था। वह उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक तरफ विरोधी पक्ष के नेता हमारी सरकार पर यह आरोप लगाते हैं आपको सीलिंग से भूमि मिलने वाली नहीं है। मैंने भी निवेदन किया था बहुत कम भूमि सीलिंग के अन्तर्गत आपको मिलेगी। उसकी मैं एग्जाम्पिल और डिटेल कारण निवेदन कर चुका हूं। श्री धर्मीचन्द सरपंच हैं और न वहां रहते हैं। आजकल वे हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। किसी कम्पनी का मैंनेजमेंट सम्भालते हैं। उनसे मालूम किया जाय कि जो नामान्तरकरण किया है उन्होंने कभी भूमि पर काश्त की और उनको तो यह भी मालूम नहीं है कि लैंड कहां सिचुएटेड है। उनके नाम म्युटेशन हो गया। आज फसल खड़ी है और पूरी की पूरी फसल का एस्टीमेट कराया जाय तो मेरा अनुमान है 10 लाख की फसल उसमें जरूर होगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 10 लाख ?

श्री सज्जन सिंह : जी हां। केश आप होता है। आप देखेंगे तो आपकी तबियत खुश हो जायगी।

एक माननीय सदस्य : दो लाख का सौदा कर लें।

श्री सज्जन सिंह : अगर माननीय सदस्य चावण्ड दान देवल से दो लाख का सौदा करवाते हैं तो तैयार हूं।

श्री दिनेश राय डांगी : ···(अश्रव्य) ···अगर वे तैयार हैं तो दो लाख रुपया रख दें···मैं करवाता हूं···

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसका मतलब यू प्रूव इट···· (व्यवधान) ····इसका मतलब पजेशन है।

श्री दिनेश राय डांगी : मैं हाउस में मौजूद नहीं था। नाम आपने लिया है

(श्री दिनेश डांगी)
व्यक्तिगत नाम। कोई चीज को गलतफहमी है आप ठाकर रहे हैं इसलिये किसी चीज का पता नहीं है। इसके लिये वैसे भी मंत्री महोदय ने कहा हुआ है मेटर सब जूडिस है। फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा हो रही है। मैं निवेदन करूंगा चर्चा नहीं होनी चाहिये और अगर होती है तो मेटर सब जूडिस है ''''स्टेट्स को'''

श्री रामकिशन : माननीय सदस्य ने कहा कि ठाकर हैं तो क्या ठाकर नहीं रहे कोई जाति बदल दी है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : सबजुडिस के लिए कोई हवाला नहीं दिया।

श्री दिनेशराय डांगी : जिस जमीन के लिए कहा है वह चावण्डदान देवल के नाम से नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यही तो कह रहे हैं।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, पासिंग रेफरेन्स दे सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कोर्ट की तरफ से इन्जेक्शन है इसलिए स्टेट्स को मेन्टेन किया जा रहा है लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से नहीं है कुछ भी। यह दूसरे कोर्ट से बात थी और दूसरे कोर्ट से स्टे आया हुआ का प्रश्न है। जहां तक दुजाणा जोहड़ की बात उठी इसमें बहुत से मामले चल रहे हैं। माननीय सदस्य को लोग बहुत ओलम्बा देते होंगे, मुंह काला करते होंगे और आपका मुंह काला करेंगे तो मेरा भी सिर शर्म से झुक जायेगा–इसमें दो राय नहीं है क्योंकि यह मैं नहीं चाहता। आपके चश्मे का रंग काला है जो बहुत भयंकर होता है। राज्य सरकार इतना ही आश्वासन दे सकती है कि जो भी एग्जीक्यूटिव साइड में पैरवी करने का प्रश्न है उन केसेज को डिफेण्ड करने में और पैरवी करने में कोई कसर उठाकर नहीं रखेंगे।

श्री दिनेशराय डांगी : माननीय मन्त्रीजी ने जो कहा है वह बिल्कुल सही नहीं कहा है। आप कहें तो दुजाणा जोहड़ की कापी लाकर रख सकता हूं। मुझे मालुम नहीं था कि यह मामला आ जायेगा। आप कहें तो मैं लाकर दे दूंगा, हाई कोर्ट की कापी लाकर दे दूंगा जिसमें स्टे आर्डर है।

श्री रामकिशन : आप प्रिवलेज मोशन मूव करें।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे ख्याल से माननीय सदस्य नहीं समझते कि कितनी कोर्ट्स हैं और कितने आर्डर स्टे के इश्यू होते हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर को मालुम नहीं है कि इस मामले में कौन से कोर्ट ने क्या स्टे आर्डर दिया है तो मैं समझता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है। कोई भी हाई कोर्ट का स्टे आर्डर नहीं है और फिर आपके पास कोई डाकुमेंट हो तो आप बता दें लेकिन आप गलत कहने वाली बात सोच समझ कर कहें।

श्री केदारनाथ : यह मत कहो कि किसी सदस्य को जानकारी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : Is there any such order from the High

(श्री परसराम मदेरणा)
court ? I know there is no such order.

श्री दिनेशराय डांगी : I can produce a copy of the High Court order.

श्री केदारनाथ : मेरा इसमें यह एतराज है····

श्री दिनेशराय डांगी: उपाध्यक्ष महोदय, श्री चावण्डदान देवल जिसके बारे में माननीय सदस्य कहते हैं वह आर. ए. एस. आफिसर हैं और वह यहां सदन में नहीं आ सकते तो यहां सदन में बारबार उनका नाम नहीं लिया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह–आप जल्दी समाप्त करें।

श्री सज्जनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को श्री देवल से बहुत हमदर्दी है तो यह जानकर मुझे खुशी है लेकिन मैंने यह कहीं निवेदन नहीं किया कि श्री देवल ने अपने नाम कोई बेचान करवाया है। मैं स्पष्ट रूप से यह निवेदन कर चुका हूं कि वह आफिसर हैं, उस दिन भी मैंने निवेदन किया था कि वह बड़े होशियार आफिसर हैं, कारगुजार हैं। उन्होंने जितनी सेलडीड करवाई है किसी और के नाम से करवाई है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था और लिस्ट के अनुसार बता रहा था।

तीसरा नाम श्री रामसिंह पुत्र श्री भगाराम बिश्नोई साकिन बिलाड़ा है। यह माननीय सदस्य इस विधान सभा के सदस्य हैं। हाउस में भी मौजूद हैं। मैं आपके माध्यम से····

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आक्षेप है। अगर माननीय सदस्य के ऊपर कोई आरोप लगाना चाहें तो पहले आसन से स्वीकृति ले लें।

श्री सज्जनसिंह : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। वह लिस्ट मुझे भी दी गयी है।

श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा) : यह तो कीर्ति गा रहे हैं।

श्री सज्जनसिंह : मेरे प्रश्न के उत्तर में मुझे एक लिस्ट मिली है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य श्री रामसिंह बिश्नोई के नाम भी वहां जमीन है और जहां तक मुझे सूचना है माननीय सदस्य श्री रामसिंह बिश्नोई ने भी इस भूमि पर इस वर्ष स्वयं ने काश्त नहीं की। हो सकता है कि मेरी सूचना गलत हो। अगर माननीय सदस्य सही सूचना दें तो मैं अपनी सूचना को सुधारने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त कीजिए। पहले भी काफी कह चुके है इस संबंध में।

श्री सज्जनसिंह : क्योंकि मैं आर. ए. एस. आफिसर्स के विषय में बात कर रहा था और प्रशासन में जो गड़बड़ियां होती हैं उस विषय पर मैं बात कर रहा था इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल में चला गया और वह भी आपकी स्वीकृति से चला गया।

Page No 70

(70)

(श्री सज्जनसिंह)

निवेदन मैं यह कर रहा था कि आफिशियल फ्रेटरनिटी हमारी गवर्नमेंट की पालिसीज को ईमानदारी से लागू नहीं करती, ईमानदारी से कैरी-आउट नहीं करती और इसके कारण लैप्सेस होते हैं और इस तथ्य को तो हमारे राष्ट्र के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधान मंत्री ने भी स्वीकार किया है। कहीं कहीं आफिसर्स स्टम्बलिंग ब्लाक हो जाते है। खैर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस बजट में प्रशासन में सुधार लाने का कहीं विशेष तौर से संकेत नहीं मिलता और सुझाव के तौर पर मैं यह निवेदन करूंगा कि कृषि मंत्रालय का री-ग्रुपिंग होना चाहिए। एग्रीकल्चर से सम्बन्धित सारे डिपार्टमेन्ट्स, चाहे वह बिजली हो, चाहे वह इर्रीगेशन हो, चाहे वह सीड हो, चाहे वह फर्टीलाइज हो और चाहे डीजल या क्रूड आइल हो यह सारे एक विभाग के पास होने चाहिए और सम्भवतः अगर एक विभाग के पास हों तो कृषि मंत्री नहीं कहला कर प्राडक्शन मंत्री कहलाते हैं तो बहुत ही उचित होगा।

(समय समाप्ति सूचक-घंटी)

और उससे हमारे प्रोडक्शन के टारगेट्स काफी हद तक सुधर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बजट में गत वर्ष एग्रीकल्चर फर्टीलाइजर पर टैक्स लगा था और ट्रैक्टर्स और ट्रालीज पर भी एक टैक्स लगा था। [मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह अपेक्षा करता हूं कि काश्तकार वैसे भी काफी परेशान रहता है, कोई चीज उपलब्ध नहीं होती तो कम से कम उसको यह राहत तो अवश्य दिलानी चाहिए कि फर्टीलाइजर का टैक्स वह माफ करें, हटा दें।

मैं पशुपालन के संबंध में दवाई का नाम भूल गया था। आपकी इजाजत से वह बता दूं। एन्ट्रीसाइट, ऊंट के लिए दवा है, इम्पोर्टेड दवा है, यह हमारे देश में नहीं बनती और वह उपलब्ध नहीं होने के कारण पशुपालकों को बड़ी भारी असुविधा होती है। पालकों को वह दवाई लेनी है तो ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और उस वजह से उनको बड़ी तकलीफ होती है।

(श्री केदारनाथ, सभापति पदासीन)

(1.59 म. प.)

और इसका भी कोई प्रबन्ध करना चाहिए। मैं और लम्बी चौड़ी बात नहीं करके सूक्ष्म में यह निवेदन करूंगा कि राजस्व मंत्री महोदय ने उस दिन यह आश्वासन दिया था कि सांडेराव के जोहड़ की जमीन अलाट कर दी जाएगी और वह कुर्क करदी गयी है लेकिन उस जमीन पर भी वहां आर. ए. सी. के 200 जवान बैठे हैं। उसमें फसल खड़ी है.....................

और मुझे कल सूचना मिली है वह अतिक्रमणकारी फसल काट कर ले जाते हैं, आर. ए. सी. के सिपाही और आफिसर जो वहां बैठे हैं वह उनसे मिल गये हैं इसलिए उसकी भी उनको सूचना देना चाहता था।

इसके सिवाय मैं कुछ मुद्दों पर और भी निवेदन करना चाहता था परन्तु समयाभाव

(श्री सज्जनसिंह)
के कारण मुझे यह संकेत दिया है कि सूक्ष्म में निवेदन करूं। इसलिए मैं विशेष तौर से उनकी डिटेल में न जाकर केवल इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि एनीमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का जो बायफरकेशन किया गया है और शीप एण्ड वूल अलग किया है और डेयरी का अलग से डिपार्टमेंट बना है, उस डिपार्टमेंट को मिल्क यील्ड के सम्बन्ध में, जो बोर्ड के सम्बन्ध में बात कर रहा था उस दिन की फेट कन्टेन इन मिल्क योल्ड में कम होती है और मुझे यह बताया गया है कि मेरी सूचना गलत थी कि फेट कण्टेन उनके अन्दर काफी ठीक होता है। तो वह यह जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह बुल्स जो हैं उनको हमारे पाली जिले में और जालौर जिले में भी सप्लाई करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: श्री चेतराम!

श्री चेतराम (टोडाभीम) : सभापति महोदय, मुझे इस समय बोलने का अवसर दिया उसके लिए तो मैं आपका आभारी हूं।

सभापतिजी, मैं इससे पहले कि कुछ निवेदन करू बजट रेकार्ड के बारे में माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस बजट रिकार्ड में जो नाम हैं, चाहे वह सड़कों के नाम हों, चाहे वह भवनों के नाम हों और चाहे वे बांधों के नाम हों, ऐसे जितने भी नाम हैं उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो रेकार्ड बनाया गया है राजस्थानी भाषा में नहीं बना कर दक्षिण भारतीय भाषाओं में बनाया है। उन नामों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनका प्रनाउन्सेशन साउथ इण्डियन हो। कोई भी नाम हों, सड़कों के हों, भवनों के हों, बांधों के हों, कोई भी नाम सही नहीं लिखे गए हैं। इसलिए निवेदन करूंगा कि इन बजट रिकार्ड को इस साल तो नहीं परन्तु अगले साल जो भी बनाये जाय उनको हिन्दी के आधार पर लिखे जायं। अंग्रेजी से रूपान्तरण जो किया जाता है वह गलत है और पचास प्रतिशत नाम गलत होंगे। इसके साथ ही जो अंग्रेजी में नाम दिए गए हैं वे भी गलत हैं।

सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे बजट में जो प्रोविजन किया गया है उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि बजट में इस समय जो बजट प्रोविजन है उनमें विकास कार्यों की पूर्णरूपेण उपेक्षा की गई है और बजट में जो प्रोविजन किये गये हैं उनको देखने से ऐसा प्रतीत होगा कि इस समय जो बजट है वह सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और अलाउन्सेज तक ही वह सीमित रह जाता है। जिस बजट में विकासशीलता का जिक्र नहीं हो, जिसमें विकास के कार्य रुक गए हों वह बजट ठीक तरह से बजट न रह कर तनख्वाह और अलाउन्सेज का लेखा मात्र रह जाता है। हमारा राज्य विकासशील प्रान्त है और इस विकासशील प्रान्त के विकास की गति रुक गई तो यह अच्छी निशानी नहीं है। इसलिए यदि मैं यह निवेदन करूं कि इस बजट में विकास के कार्यों की पूर्ण रूपेण उपेक्षा की गई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

(श्री चेतराम)

सभापतिजी, इस समय यदि हम विकास के कार्यों की तरफ देखें तो आप चाहे सड़कों के कार्य लें, भवनों के कार्य लें, बांधों के कार्य लें या कोई भी और कार्य लें पिछले साल से भी उनमें और कटौती की गई है। जहां हम पांचवी पंचवर्षीय योजना का यह पहला साल शुरू कर रहे हैं उसमें कुछ विकास कार्य अधिक होने चाहिये थे लेकिन राजस्थान में जहां एक तरफ कर हटाये नहीं गये हैं तो पिछले साल के बराबर ही विकास कार्यों पर उनका वितरण भी होना चाहिए था लेकिन उनमें कटौती के गई है। यदि इस बजट में कहीं धनराशि बढ़ाई गई है तो वह बढ़ाई है पुलिस के मद में। इतने थाने बढ़ाये जायेंगे, ज्यूडिशियरी का सेपरेशन होगा उस पर यह धनराशि बढ़ाई गई है। पुलिस पर धनराशि बढ़ाने से कोई विकासशील कार्य नहीं होगे।

मैं इसके साथ ही साथ, सभापतिजी, सरकार का ध्यान समाज कल्याण कार्यों की तरफ दिलाना चाहूंगा। इस समय जो छात्रावास चल रहे हैं वे स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा चलाये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं गुढ़ाचन्द और नादखेती छात्रावासों की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। छात्रों की परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं लेकिन आज तक पूरी पुस्तकें नहीं दी गई हैं न वहां पर खाने का इन्तजाम है, न वहां पर रहने का इन्तजाम है और न किसी और प्रकार का इन्तजाम है। यहां तक कि छात्रों की जो हाजरी है वह भी गलत की जाती है। जो छात्र होस्टल में नहीं रहते हैं उनके भी पैसे सरकार से ले लिए जाते हैं। नादौती छात्रावास की आडिट रिपोर्ट पिछले साल की जिला समाज कल्याण अधिकारी ने प्रस्तुत की इसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा।

इसके अलावा, सभापतिजी, समाज कल्याण विभाग द्वारा लीगल कानूनी सहायता शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के व्यक्तियों को दी जाती है। इसमें सरकार ने ऐसा प्रोविजन रखा है कि कोई भी केस हो उसके बारे में सरकार से क्लेम करें और फैसला हो जावे तब आते हैं। सभापतिजी, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि कोई भी आपत्ति आकर पड़ती है, किसी भी तरह को केस कोई भी हो और सरकार से सहायता लेने को आयं और आपत्ति सिर पर पड़ी रहे, यह उचित नहीं होगा। जैसे सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल रिएम्बर्समेंट किया जाता है तो क्या उसमें इस तरह से पहले सरकार से सैंक्शन ली जाती है क्या बीमार पड़ने के लिए और अगर पहले सैंक्शन ली जाती इलाज कराने के लिए तो यह एक तरह से अन्याय होता। इसी तरह से सरकार से निवेदन है कि इस लीगल असिस्टेंस को, कानूनी सहायता को भी रीएम्बर्समेंट के रूप में रखा जाय जिस तरह कि सरकारी कर्मचारियों के लिए है।

सभापतिजी, समाज कल्याण के बारे में मैं सरकार का ध्यान एक मुद्दे की तरफ और खींचना चाहता हूं। जो छात्र बी.ए., एम.ए. के स्नातक हो जायेंगे उनको स्टाइपेंड दिया जाता है और उसके बदले में राज्य सरकार उनसे कहीं न कहीं लगा कर कार्य

(श्री चेतराम)

कराती है। एक तरह से यदि हम देखें तो उन स्नातकों से जो सरकारी कार्य लिया जाता है उसमें या तो एल. डी. सी. का कार्य या अध्यापक का कार्य लिया जाता है। एक एल. डी. सी. का वेतन ढाई सौ तीन सौ रुपये होता है और अध्यापक का ज्यादा होता है उसके स्थान पर इतना सा स्टाइपेंड देकर उन स्नातकों से यह कार्य लिया जाता है जब कि मैट्रिक्यूलेट व्यक्तियों से वही कार्य करा लेते हैं। मैं इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि यदि उनको स्टाइपेंड के आधार पर लगाया जाता है तो उनको कम से कम तनख्वाह भी उतनी जरूर दें कि जिस पद पर उनको लगा कर काम लिया जाता है। उस पद के जो वेतनमान हैं उनको मिलने चाहिए। एक तरफ तो आप उनको स्टाईपेंड देकर दूसरी जगह कार्य करने से रोकते हैं, दूसरी जगह उनको लगाया नहीं जाता है और दूसरी तरफ उनको पूरा पैसा नहीं दिया जाता है जो कि उनको उस पद पर कार्य करने से मिलना चाहिए। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि कम से कम इन छात्रों को जो जिस पद पर कार्य कर रहे हैं उसके बराबर वेतन दिलाया जाना चाहिए।

सभापतिजी, मैं इसके साथ ही यह निवेदन करूंगा कि विद्युत के बारे में आज हम देखें तो राजस्थान के विकास का बहुत कुछ आधार विद्युत पर है। यदि हम सभी गांवों में कृषि के लिए विद्युत का प्रबन्ध कर सकें तो आज जो हमारे यहां अकाल पड़ते हैं, समय पर बरसात न होने के कारण या अधिक बरसात होने के कारण जो अकाल पड़ते हैं उससे हम निवृत्त हो सकते हैं। यदि आज हम कृषि विकास के लिए बिजली दे दें। राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रान्त है। इसके लिए बिजली का प्रबन्ध जरूरी है, सिंचाई का प्रबन्ध जरूरी है और यदि हम ये प्रबन्ध करें तो हम यह समझते हैं कि हमारी जो मुख्य समस्या खाद्यान्न की है वह सोल्व हो सकती है। इसके साथ ही अनाज के साथ सिंचाई के साधन हो जावें तो हम समझते हैं कि राजस्थान की भूमि कपास और तिलहन के लिए भी उपजाऊ है। राजस्थान की भूमि और जलवायु इजिप्ट से मिलती है। यदि हमारे यहां सिंचाई के साधन हों और सरकार मदद करे तो हमारे यहां मिश्र की तरह का, इजिप्ट की तरह का कपास पैदा हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पंचवर्षीय योजना में जो इतने विकास कार्य हैं उनको बहुत कुछ इमदाद कृषि के लिए दी जावे और बिजली पर आधारित किया जावे तो राजस्थान का बहुत कुछ भला हो सकता है।

सभापतिजी, सिंचाई के लिए जो बिजली दी जाती है, जो इन्जीनियर्स हैं वे यह कह देते हैं कि हमारा काम सैंक्शन्ड गांवों तक बिजली पहुंचा देने का है, कनेक्शन देने का नहीं है। इस प्रकार समय पर कुओं को बिजली नहीं मिल पाती है और उनकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। मेरा निवेदन है कि जिन गांवों में बिजली पहुंचायी जावे वहां पर असिस्टेन्ट इन्जीनियर को पाबन्द किया जावे कि वह साथ ही साथ सभी को कनेक्शन भी दे दे। तभी सही मायने में बिजली पहुंचाने की सार्थकता सिद्ध होगी। वहां पर कनेक्शन नहीं मिलता, यदि कुओं को कनेक्शन नहीं मिलता तो इसका कोई

(श्री चेतराम)
उपयोग नहीं होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्पेशली यह प्रॉविजन होना चाहिये कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिन गांवों को इलेक्ट्रिफाइ करता है, उसके साथ ही साथ जितनी भी एप्लीकेशन हैं; उनको भी कनेक्शन दे दिये जाये।

इसके अलावा, सभापतिजी, मैं सरकार का ध्यान इस समय जो कुछ विभागों में भ्रष्टाचार है उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। इस समय सरकार ने आदेश निकाला है। वह आदेश यह है कि पटवारी मौके पर जाकर, मेड़ पर जाकर यह दर्ज करेंगे कि क्या चीज बोई गई है। किस चीज की फसल है। इस समय सभी जिलों में स्पेशली सवाई माधोपुर और भरतपुर में एक तरह से पटवारियों द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोगों को बहकाते हैं कि तुम्हारा नाम दर्ज करते हैं और इस आधार पर खेत मिल जाएगा। इस तरह से लोगों को बहका देते हैं। जो दूसरे मजदूर रहे है, या साझे में काम कर रहे है उनको बहका कर इस तरह से लूट मचा रखी है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे शीघ्र ही ऐसा आदेश देंगे कि जब भी कोई पीवल बदले तो उसको पहले नोटिस दिया जाये और पटवारी की ओर से ऐसा नोटिस देने के बाद, सरपंच के आगे, गांव के नोटिस में लाकर तब्दीली की जावे। आज पटवारियों द्वारा आपाधापी की जा रही है जिससे परेशानी हो गई है और किसानों को लूटा जा रहा है और दूसरी तरफ तब्दीली करके ऐसी स्थिति में रख दिया है जिससे कि मुकदमेबाजी बढ़ेगी। मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इसके लिए शीघ्र ही आदेश निकालें।

सभापतिजी, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। हाउस में पहले भी निवेदन किया था, सिंचाई मंत्रीजी को भी कहा था। सवाईमाधोपुर के एक्स. ई. एन. कल्ला साहब के बारे में स्पेसिफिक एलीगेशन लगाये थे। मैंने कई बार मौखिक निवेदन किया, प्रश्नों के द्वारा हाउस में ध्यान आकर्षित किया, मंत्री महोदय और मुख्य अभियन्ता को लिख कर दिया है। डिटेल वार, गांव वार, बांध वार उसमें बताया है। फिर समझ में नहीं आता है क्या रह जाता है और क्यों कार्यवाही नहीं की जाती है?

श्री सभापति : श्री यशवन्तसिंह नाहर!

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापतिजी बजट हम पास करते हैं। विकास का व्यय, या अविकास का व्यय, सर्विसेज का व्यय यह तो हम पास कर चुके। अब इसको मंत्री मण्डल के हाथों में सौंपेंगे। आप क्यों ऐसा करेंगे? इस एप्रोप्रियेशन बिल के जरिए जो कन्सोलिडेटेड फंड है, उसमें से पैसा निकाल कर राज्य सरकार के हाथों में देना चाहते हैं और आइन्दा साल के लिए आशाएं बांध कर चलते हैं। चार पंचवर्षीय योजनाएं हमने निकालीं और गणतन्त्र बनने के बाद 24 वर्ष समाप्त हो गए। इन 24 वर्षों के बाद जो पंचम पंचवर्षीय योजना बनी है वह आपके सामने आयी है। इसमें बड़े जोरों के साथ यह कहा गया है कि पर-केपिटा इनकम हमारी बढ़ी है। स्टेट इनकम बढ़ी है। चाहे करेन्ट प्राइसेस के आधार पर और चाहे फिक्स्ड प्राइस के आधार पर।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

लेकिन गरीबों की हालत नहीं सुधरी है। बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि गरीब जहां था वहीं पर बैठा है। उसकी हालत सुधर नहीं पाई है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे यहां खूबसूरती से पंचम पंचवर्षीय योजना बनी है। उसका प्रास्पेक्टस आपके सामने आया है। उसमें एक बात मानी गयी है और वह यह मानी गयी है कि पांच पंचवर्षीय योजनाएं बनने के बाद भी इस देश के 40 परसेन्ट नागरिक ऐसे हैं जो कि बिलो दी पॉवरटी लाइन रह रहे हैं। राजस्थान में ऐसे कितने हैं परन्तु हमने भी यह माना है कि परकेपिटा इनकम आल इंडिया लेविल से हमारी कम है। यह हमारी फ़ीगर बता रही है कि हमारी पर केपिटा इनकम नेशनल पर केपिटा से कम है, बहुत कम है। तब यह मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है कि राजस्थान की जनता का मिनिमम 50 परसेन्ट या उससे अबाऊ बिलो दी पावरटी लाइन में रहती है। जो गांवों से आते हैं, शहरों की बात छोड़िये, वे किस तरह से रहते हैं, हमारी अनुभूतियां, हमारा अनुभव और व्यवहार इस बात को जानता है कि निश्चित रूप से राजस्थान की जनता जो गांवों में रहती है तो उन गांवों में 75 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनको पूरी तरह से खाने को अन्न नहीं मिलता है, रहने को मकान नहीं है, पहिनने को कपड़ा नहीं मिलता है। ऐसी अवस्था में क्या यह आशा करें कि जो कुछ रुपया हम सरकार के हाथों में सौंपने जा रहे हैं, उसका उस गरीब के लिए, जिसको आजादी के 25 साल बाद भी गरीबी की रेखा से दूर नहीं हटा सके हैं, उसके लिए इन रुपयों का उपयोग किया जा सकेगा। 1952 में भारतवर्ष के अन्दर 13 अरब रुपया खर्च किया गया। योजनाएं चलीं–ग्रो मोर, हरित क्रान्ति, जिसका लाभ मिला भारतवर्ष के 7 प्रतिशत जमीन्दारों को। आम जमीन्दार इससे महरूम रहे। उसकी गरीबी नहीं मिटी। जितने आपके प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इरींगेशन प्रोजेक्ट्स, एग्रीकलचर डवलपमेंट प्रोग्राम फर्टीलाइजर, सुधरे हुए बीज इन सब का लाभ मिल रहा है आपके बड़े जमीन्दारों को। मैं यह सोचता हूं। भीलवाड़ा जिला परिषद् में यह प्रश्न उठा था। एक जहाजपुर की बात थी तो प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि हमारा यहां एक बौडा है जिसकी हालत अच्छी है और वह फर्टीलाइजर का उपयोग करता है। अपवाद स्वरूप यह किस्सा हो सकता है। शिड्यूल्डकास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को हम जमीनों का आवंटन कर रहे हैं। परन्तु साधनों के अभाव में वे इन सब से महरूम रह रहे हैं। मंत्री महोदय, राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा, वे एग्रोकल्चरिस्ट हैं, वे कम से कम स्टेट की ओर से ऐसी व्यवस्था करें कि जिन लोगों के पास साधन नहीं हैं, उन गरीबों को ये मुहैय्या किये जाय, वरना उनकी जमीनें तीसरों के हाथ में चली जायेगी और वह गरीब हमेशा के लिए गरीब ही बना रहेगा। मेरे इलाके में भील ज्यादा हैं। इनको भी जमीन आवंटित की गयी हैं परन्तु वे खेती नहीं कर पाते हैं। बरसात में जब भी आप देखोगे वह भील जमीन को बो नहीं पाता है। जवाब देता है उसके पास बीज नहीं है। फर्टीलाइजर नहीं है। जब बोने का वक्त आयेगा उसका पेट भूखा रहेगा और वह

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

मेहनत करने शहर आयेगा तब तक समय निकल जाएगा और वह कुछ भी पैदा नहीं कर पायेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। राज्य सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने सही योजनायें अब बनायी हैं, मार्जिनल फार्मर्स की, क्रेश प्रोग्राम की, डी.पी.ए.पी.। ये जितने भी प्रोग्राम अब चालू किये गये है वस्तुत: इनसे गरीब आदमियों का भला हो रहा है।

यह दो-चार वर्ष ही ऐसे निकले हैं कि जब हमने इवोल्युशन से गरीबों का रिवोल्यूशन करने का प्रयत्न किया। तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बड़ी रकम लिख दी कि 73 पर्सेन्ट हम इर्रीगेशन और एग्रीकल्चर पर खर्च करना चाहते हैं और उससे लाभ गरीबों को दे सकें तो मैं समझूंगा कि आने वाले वर्ष में जो आपका फिफ्थ फाइव इयर प्लान का पहला वर्ष है उसमें वास्तव में आप गरीबों का भला करना चाहते हैं।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। पहले भी मैं ऐतराज कर चुका हूं। आपका फाइव इयर प्लान है उसमें सबसे बड़ा खर्चा एग्रीकल्चर पर यानी 73 पर्सेन्ट आफ दी टोटल एक्सपेन्सेज पांचवीं पंचवर्षीय योजना के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं। यह उस पर डाला जा रहा है। फीगर्स को रिपीट करूं तो मुझे भी दर्द होगा और सदन भी कहेगा कि बारबार वही बात कहता हूं। काश्तकार को जो टोटल इर्रीगेशन की फेसिलिटीज, राजस्थान के काश्तकार को मिलने वाली है, आज नहीं 100 वर्ष बाद भी जो पानी जमीन खोदकर निकालें, बाहर से, नदियों से लायें या यहां की नदियों से लें, वह एक करोड़ से ऊपर नहीं मिलेगा। राजस्व मंत्रीजी जानते हैं टोटल जमीन काश्त के अन्दर इतनी है तो 100 वर्ष बाद वह क्या करेंगे?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भगवान भरोसे हैं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : माननीय सदस्या फर्मा रही हैं वह बिल्कुल वाजिब है। मैं भी मानता हूं कि भगवान का भरोसा है। पुराने राजाओं के पास पुरोहित रहा करते थे तो बहुधा वे एक बात की याद दिलाते थे। वह याद दिलाते थे कि सन्तोष में सार है। किस के लिए? राजाओं को सन्तोष में सार लेने की याद नहीं दिलाते थे, राजपूतों को नहीं दिलाते थे, सम्पदाशील और वैभवशाली सेठों को याद नहीं दिलाते थे। वह याद दिलाते थे गरीब भिखमंगों को जो भूखे पेट ढपली पर राग गाते हुए भगवान को याद करते हैं। सन्तोष में सार रखना आज तक सिखाया उसको आज उसको छुड़वा दें। मैं उनसे कहता हूं कि जो राज्य, गरीबों की हालत नहीं सुधार सकता वह राज्य नहीं है। सही बात यह है कि भिखारियों के लिये हमारे ही देश में जगह है। रूस को ले लें या आप अमेरिका को ले लें वहां पर भिखारी नहीं हैं। हमारे यहां पर करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो दूसरों की झूंठन से अपना पेट भरते हैं। भंगी हैं वह आपका झूंठन खाते हैं। तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि इन चीजों को बन्द कर सकें। पांचवीं पंचवर्षीय योजना का यह पहला साल है। इस में खास तौर से गरीबों को

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
मिटाकर रहेंगे, तो इन सब साधनों का उपयोग उनके लिए करें जो कि वास्तव में गरीब हैं। लेकिन आज तक क्या हुआ? एग्रीकल्चर में तो हमेशा उसी को लाभ मिला जो कि बड़े जमींदार हैं।

अब आप माइनिंग को ले लीजिये। खनिज मंत्री महोदय यहां पर हैं। एक बात है कि माइनर मिनरल का ठेका किस को दे रहे हैं? अकेला हाथ है जो काम करने वाला है उसको नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से एक पर्सेन्ट भी हाथ से काम करने वाले को नहीं मिल रहा है। मिलती है सार्वजनिक कार्यकर्ता को या अमीर को। फिर यह समाजवाद कहां? मैं सोचता हूं कि इस तरह से समाजवाद कभी आयेगा नहीं। पूंजी के आधार पर जब तक समाज चलता रहेगा वहां पर पूंजीवाद ही होगा। श्रम के आधार पर जहां पर पूंजी रखने का अधिकार होगा, वहां पर वास्तव में समाजवाद आवेगा। वह समाजवाद है कहां?

दूसरा निवेदन करूंगा कि 1949 में माइनर मिनिरल कन्सेशन रूल्स बने। 1949 में जो माइनर मिनिरल रूल्स बने तो भूले-भटके भारतवर्ष की सरकार को ध्यान आ गया, सचिव महोदय के विभाग में आ गया कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को प्रधान मंत्री चाहते हैं तो रूल्स में उसको रख दिया वर्ना रूल्स में कोई एमेंडमेंट नहीं हुआ। बाबा आदम के जमाने के रूल्स बने हुए हैं। इसके अन्दर प्रोस्पेक्टिंग लेते चले जा रहे हैं तो दो-तीन वर्ष तक माइनिंग लीज नहीं ले सकते। माइनिंग लीज मिलेगी तो 6 महीने तक रजिस्ट्री नहीं होगी.......

श्री जुझारसिंह (राज्य मंत्री खनिज): आप कोई मिसाल तो दें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: मैं आपकी व्यवस्था पर एतराज नहीं कर रहा हूं। यह हमारी व्यवस्था है। मैंने असेम्बली में एक प्रश्न भी पूछा था कि आपने एक साल के अन्दर जो माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स का प्रोवीजन है तो एक साल में कितने माइनिंग लीज दे दिये और टोटल एक साल में कितने दिये। उसका अगर पर्सेन्टेज देखेंगे तो एक पर्सेन्ट भी नहीं है। 99 पर्सेन्ट को नहीं मिला है। नोटिफिकेशन होगा और उसके सिलसिलेवार एप्लीकेशन होगी। फिर माइनिंग इन्जीनियर एक जगह बैठा हुआ है। असिस्टेन्ट इन्जीनियर उसकी स्क्रूटिनी करेगा उसके बाद जायेगा डिप्टी डाइरेक्टर के पास फिर डाइरेक्टर के यहां, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास और अगर शेड्यूल्ड मिनरल हुआ तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास जायेगा। तो 5 वर्ष तक उसका नामोनिशान नहीं होगा और 5 वर्ष तक वह मिनरल अनडिस्कवर्ड पड़ा रहता है केवल रैड टेपिज्म के आधार पर। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पैसा सौंप दिया कि इन इन चीजों को कर दें, एक वर्ष में भी कर दें लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप पैसे का सही रूप में प्रयोग करें।

इन्डस्ट्री में क्या होता है? उसकी बात मैंने भी निवेदन की है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी ऐतराज किया था कि कांग्रेस का इतिहास में नाम नहीं रहेगा। मैं कहता हूं कि कांग्रेस वालों का नाम जायगा। इतिहास लिखते हैं तो किस आधार पर? सरकारी रिकार्ड के आधार पर और विरोधियों द्वारा या तो मनगढ़न्त

(78)

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

बातें कही जाती हैं। मैं कहता हूं कि सब मनगढ़न्त बातें कहते हैं। आज से 25 वर्ष के बाद यह इतिहास लिखा जायगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा काम किया। राजस्थान के अन्दर एक साल में 25 हजार फैक्ट्रीज को रजिस्टर्ड किया। विरोधियों का कहना है जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 25 हजार फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड हुई लेकिन काम कितना हुआ। आज यह चिल्ला रहे हैं, लेकिन 25 वर्ष के बाद 25 हजार फैक्ट्रीज की इतिहास कहानी कहेगा। इनका मनगढ़न्त आक्षेप कहीं जायगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बेकारी को बाहर निकालें। डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज बैठे हुए थे तो बातचीत करने आया एक आदमी और उसने जमीन के लिए एप्लाई किया। उसके लिए वह मदद के लिए दफ्तर में गया तो उन्होंने आंखें बताई कि जमीन–वमीन नहीं है। बड़ा सेठ जायगा तो जमीन ले लेगा कन्वर्शन नहीं होगा फिर भी मकान बन जायेंगे और इन्डस्ट्री चालू कर दी जायगी। लेकिन छोटी, मीडियम और स्माल स्केल इन्डस्ट्री वाला जायगा तो वह वर्षों तक जमीन के लिए तड़फता रहेगा, दरख्वास्त पर दरख्वास्त देता रहेगा। एक केस मुझे याद आया कि 61 में एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी और उसको आज तक जमीन नहीं दी गई। वह बार बार गवर्नमेंट को लिखता चला जा रहा है। आप कहते हैं कि हमने आपको इसमें रियायत दी, बिजली में, सेल्स टैक्स में रियायत दी। एक आदमी आया तो उसको रॉ मेटेरियल के नाम पर ट्यूब लाइट्स मिल गई। करप्शन का तो यह हाल है। ट्यूब लाइट रॉ मेटेरियल में नहीं है। किसी भी इन्डस्ट्री में वह रॉ मेटेरियल नहीं हो सकती। बिजली लगाने के लिए ट्यूब लाइट काम में लाई जाती हैं लेकिन वह ट्यूब लाइट रॉ मेटीरियल में है। किसी विरोधी ने आवाज उठा दी तो जवाब दे दिया। तो मैं कहना चाहता हूं, 25 हजार फैक्ट्रियां जो रजिस्टर हुई हैं, वह इस बात का सबूत हैं।

इसके अलावा, पशुपालन के सम्बन्ध में एक जबाब से एक चर्चा चली। कभी कोई बीमारी आ जाती है। कभी कोई आती है। आपने करोड़ का खर्चा कर दिया उनकी नसल सुधारने के लिए। लेकिन मैं आप से निवेदन कर दूं कि भगवान इतना पागल नहीं है। चाहे आप मानते हों या न मानते हों। लेकिन कहीं अगर हैं, भगवान्...

श्री परसराम मदेरणा : हैं, भगवान् हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अगर हैं भगवान् तो मैंने तो सीधा सा प्रश्न पूछा है। उनको खाने को अन्न नहीं है। एक एक आदमी के पास सौ सौ गायें हैं। जो पाव पाव भर दूध देती हैं। उन गायों को वह पालते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि वह रुपया भी चला गया और वह गायें भी ठीक नहीं हुई। सैकेण्ड फाइव ईयर प्लान में वह रिकार्ड में है। तो मैं वह निवेदन करूंगा जो मन्त्री महोदय, सचेत नहीं हैं तो वह डिपार्टमेन्ट के सेक्रेटरी के हाथ के खिलौना हैं। इस स्टेट में कांग्रेस समाजवाद को लाने की प्रतिज्ञा तभी पूरी कर सकेगी। इस महान् प्रशासनिक जंगल से मन्त्री महोदय बाहर

Page No 79

(79)

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

सही दिशा पकड़ सकें। छोटा सा एक निवेदन करता हूं सीमेन्ट के मामले में। यहां से बाहर जाने लगा। ट्यूबवैल है। ट्रांसपोर्ट का भयंकर काम है। यह इसलिए हो रहा है कि कानून बदलने का प्रयत्न करें। मैं उनको भी कहना चाहता हूं। लोकतन्त्र और समाजवाद लाने के लिए कानून बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, हैं नहीं। मेरा निवेदन है कि यह बहुत आवश्यक है। और, प्रशासन में सरकार ने जो सीढ़ियां बना रखी हैं, मैं निवेदन करूंगा। जैसे क्लर्क, छोटा क्लर्क, सेक्शन आफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, एडीशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और अगर जरूरत पड़े तो और भी बढ़ा लें। समय ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं अधिक नहीं कहूंगा। नये नये डायरेक्टर पैदा होने लगे। कहीं जरूरत पड़ी तो ज्वाइन्ट डायरेक्टर आ गये। मेरी मान्यता है, यह जो सीढ़ियां पैदा कर रखी हैं, वह सामन्तवाद को जिन्दा रखने के लिए पैदा कर रखी हैं। यह व्यवस्था सामन्तवाद के लिए है। लोकतन्त्र को उनके यहां गिरवी रखा है जो आपके कमरे में बैठे हैं, सचिव महोदय। बात करें, बात करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि को एक्सरसाइज कीजिये। जो कुछ हम कह रहे हैं, वह गलत कह रहे हैं। वह वैसे के वैसा ही चला आ रहा है। वैसा ही चलता रहेगा। अगर वैसे का वैसा ही चलता रहा तो मेरी मान्यता है कि समाजवाद नहीं आयेगा। हमारे चित्तौड़ में एक तहसील है। नाम मुझे याद नहीं रहा। वहां की पंचायत समिति में मास्टर पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो मुश्किल से एक लड़का दो लड़का, तीन लड़के। वह लड़के टीचर्स को पढ़ाना चाहते हैं कि आप ऐसे पढ़ाओ। पब्लिक स्कूलों में तो जो फर्स्ट क्लास होगा, वही बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर होगा। हमारे यहां यह मामला नहीं है। पांचवीं क्लास के बच्चे और पहली क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ाये जायेंगे। गरीब लड़के पब्लिक स्कूलों में कैसे जायेंगे? गांव से कोई लड़का पढ़ गया तो वह क्लर्क बनना ज्यादा पसन्द करेगा। खेती वाला पसन्द नहीं करेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतने विकास के काम कीजिये और गरीब लोगों की ज्यादा से ज्यादा भलाई करने का प्रयत्न कीजिये। नहीं तो आपकी हालत क्या है सभी जगह माइनस है। माइनिंग में माइनस। सभी जगह माइनस है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की गरीब जनता को ऊपर उठाना है। राजस्थान के व्यक्ति को ऊपर उठाना है। तो मेरी धारणा यह है कि रूल्स में परिवर्तन कीजिये। सही उपयोग कीजिये। तभी देश का कल्याण होगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक के द्वारा जो 5,05,64,12,000 की राशि दी जा रही है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, इतनी बड़ी राशि में, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में जो लीकेज होता है, इसके लिये राज्य सरकार ने कुछ व्यवस्था नहीं की है। भ्रष्टाचार को रोकने के अन्दर जो लोग आज

Page No 80

(80)

(श्री अजीतसिंह)

लेते हैं, जो उसकी ओर इशारा करते हैं, उनके लिए, जैसा मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कहते हैं कि वह झूठे एलीगेशन हैं सभापति महोदय, एलीगेशन झूठे हो जाते हैं क्योंकि रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और सरकार, जो बात हम कहते हैं, उस ओर ध्यान नहीं दे पाती है और जिनके ऊपर एलीगेशन लगाते हैं उनको प्रोटेक्शन देती है, इसलिए एलीगेशन झूठे हो जाते हैं। लोकायुक्त, उपलोकायुक्त, सतर्कता समितियां हैं लेकिन कलेक्टर और अधिकारियों को जिला मुख्यालय में सतर्कता समिति का अध्यक्ष बना कर बैठा रखा है। इसके अन्दर कोपरेशन नहीं है। एक जगह दरख्वास्त दें, तो वह दूसरे के पास, पास कर देता है, सारे डिपार्टमेंट के अन्दर फोर नैसेसरी एक्शन भेज देते हैं। वह दरख्वास्त जो व्यक्ति लीकेज को रोकने के लिए हिम्मत करके देता है और भ्रष्टाचार को सामने लाना चाहता है, उन लोगों को आप प्रोत्साहन नहीं देते हैं। इसलिए वह लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं। जो गवर्नमेंट का खर्च होता है, जिसे लोग खा जाते हैं, और जिनका इसके अन्दर इशारा होता है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए नैसेसरी एक्शन के लिए इधर उधर भेज देते हैं। और कागज इधर उधर फिरते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं इस कारण से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, जो लोकायुक्त को शिकायत करने के लिए हिम्मत के साथ में सामने आता है, वह अगर सिद्ध नहीं कर पाये तो तीन साल की जेल उसको हो जायेगी। इसलिए कोई लोकायुक्त को दरख्वास्त देना पसन्द नहीं करता है, सोचता है, कौन झंझट में पड़े। आज कोई हिम्मत नहीं करता है कि वह दरख्वास्त लेकर आये। इसी तरह उपलोकायुक्त के पास भी शिकायत नहीं आपाती है, और वह निष्क्रिय होकर बैठे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इतना भारी खर्चा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कर रहे हैं, यह उपयुक्त नहीं है इसका सरलीकरण किया जाय, तब हो फायदा होगा। मौजूदा जो कानून बना रखा है, इसकी विरोधी पक्ष ने काफी आलोचना की थी, काफी कहा लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। यह एक बेकार का खर्च लगा रखा है। यह खर्चा अच्छा है, लेकिन इसका सरलीकरण नहीं किया है, इसलिए कोई मैदान में आकर शिकायत करने को तैयार नहीं है। सतर्कता आयोग की हालत भी यही है, जो शिकायतें की जाती हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और 'फोर नैसेसरी एक्शन' करके विभागों को भेज देते हैं। सतर्कता समिति जो जिलों में बना रखी हैं, उनमें भेज देते हैं। सतर्कता समिति में भी कोई काम नहीं होता है, उनकी मीटिंग नहीं होती हैं। मेरे जिले में छः महीने हो गये हैं लेकिन सतर्कता

(2.42 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

समिति की मीटिंग नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि सतर्कता समिति को सतर्क किया जाय और इसमें एम. एल. ए. को भी शामिल किया जाय तो यह उपयोगी हो सकती है। जो सजेशन हों, उन पर कार्यवाही की जाय। आज आपने उनका चेयरमैन कलेक्टर को बना कर बैठा रखा है। कलेक्टर

(श्री अजीत सिंह)

अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा दिलचस्पी लेता है बजाय सतर्कता के। आपने सतर्कता समिति बनाई है, वह इसलिए कि लीकेज बन्द करने हैं, इतनी बड़ी राशि गरीबों के फायदे के लिए खर्च करनी हैं, सरकारी धन का कम से कम दुरुपयोग हो। इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि यह सारा आडम्बर इकट्ठा कर रखा है यह सतर्कता समिति ठीक ढंग से कार्यवाही करे। इसलिए इस तरह से इसे रीआर्गेनाइज करे कि एक जगह अगर सुनवाई नहीं हो तो दूसरी जगह पर अपील करने का अधिकार हो शिकायत करने वाले को और जो डाकूमेंट वह चाहे वह उसे प्राप्त हो। ऐसी सुविधा आप उपलब्ध करेंगे तो राशि के अन्दर लीकेज कम से कम होगा और जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे और कुछ व्यवस्था ऐसी करे कि काम ठीक चले। जिला सतर्कता समिति है, जन अभाव अभियोग का निराकरण हो, उनमें इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। केवल फार नैसेसरी एक्शन करके कलेक्टर भेज देता है, उससे लाभ होने वाला नहीं है, और जनता को फायदा मिलता नहीं है। इस वजह से सारे के सारे काम यों ही पड़े हैं। सभापति महोदय, मैं उम्मीद करता हूं, राज्य सरकार इस ओर ध्यान देगी।

सभापति महोदय, अब मैं आपका ध्यान पुलिस डिपार्टमेंट की ओर दिलाना चाहूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट के अन्दर ही अन्दर काफी रोष व्याप्त है और अब एक विस्फोट की स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि आपने उनका मुंह बन्द कर रक्खा है, उनकी यूनियन नहीं है, वह कुछ कह नहीं सकते। इसका मतलब यह तो नहीं हो सकता कि उनकी जो कठिनाइयां हैं, उन की ओर ध्यान नहीं दिया जाय। पुलिस एक बहुत ही आवश्यक अंग है राज्य सरकार का, उनको तरफ इतनी कठोर निगाह रखना और उनकी स्थिति की तरफ ध्यान नहीं देना उचित नहीं है। आपने उनकी तनख्वाह, उनकी वर्दी उनकी पदोन्नति आदि पर ध्यान नहीं दिया है। तनख्वाह के अन्दर जो अलाउन्स के अन्दर बढोतरी की थी, जो बजट में दिखाया था अलाउन्स मैस का, वह भी आपने पूरी तरह नहीं दिया है। इसलिए काफी असंतोष है। वर्दी में भी एक साल की जगह दो साल कर दी। सभापति महोदय, एक साल में एक ड्रेस फट जाना मामूली बात है। लेकिन आपने दो साल कर दिये, यह ऐसी बात है, जो निश्चित रूप से आदमी में नाराजगी पैदा करती है। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इस कारण उनमें नाराजगी होना स्वाभाविक है।

माननीय सभापति महोदय, कई छोटी छोटी बातें हैं, मैं एक छोटी सी बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। बरकतुल्ला जी का जिस रोज देहान्त हुआ था, उस दिन हाउस एडजोर्न हो गया था। उसके बाद तीसरे दिन सोमवार को विधान सभा की सभा हुई। विधान सभा के प्रहरी हैं, वह जाकर हाजिरी देते हैं, उनकी दो दिन

(श्री अजीत सिंह)

की तनख्वाह काट ली गई, जब कि यह मालूम था कि हाउस एडजोर्न हो गया था, उसके बाद इतवार हो गया, और सोमवार को आये। लेकिन उन्हें कहा कि शनिवार को यहां क्यों नहीं आये। इन छोटी छोटी बातों पर राज्य सरकार कड़ाई की निगाह रखेगी तो सहयोग की भावना कैसे पैदा करेगी। यह छोटी सी बात है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जिनकी ओर आपका ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं। पुलिस कर्मचारियों की जो आर्थिक हालत है, उसको आपको सुधारना चाहिए। उनका आज कोई आर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके अन्दर सन्तोष है। उनके अन्दर बहुत असंतोष है।

ऐसी ही हालत थानों की है। थाने में थानेदार है, जब कि हर अधिकारी के लिए सवारी की व्यवस्था है, उसको पैदल जाना पड़ता है। आज ईमानदार परेशान हैं और बेईमान मौज कर रहे हैं। बेईमान थानेदार के पास जीप है, मोटर साइकिल है। जब कि ईमानदार थानेदार को अपने इलाके में घूमना पड़ता है, तो उसे अपनी सवारी की व्यवस्था करनी पड़ती है। सभापति महोदय, प्रशासन के हिसाब से इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए निश्चित रूप से अपने हर थाने के अन्दर सवारी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सही काम हो सके। आज सम्मन तामील करने के लिए सिपाही जाय तो उसको बारह बारह मील जाना पड़ता है, पैदल। यह ऐसी स्थिति नहीं है जो ठीक कही जा सके।

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, यह बात केवल नीचे ही नहीं है, किन्तु ऊपर भी है। आई. पी. एस. आफिसर होते हैं, उनके डी. आई. जी. के ऊपर प्रमोशन की व्यवस्था नहीं है। डी. आई. जी. बन गये तो मामला खत्म। आई. ए. एस. आफिसर हैं वह सेक्रेटरी की पोस्ट तक जा सकते हैं, लेकिन आई.पी. एस. आफिसर डी. आई. जी. होने के बाद प्रमोशन रुक जाता है। उसके लिए ऐसी व्यवस्था हो, उनकी तरक्की करने के लिए आप कोई लाइन बना दें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, काश्तकारों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। काश्तकार के सामने सीमेन्ट, डीजल, बिजली, खाद सारी की सारी समस्यायें इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन उन पर सोचने वाली बात नहीं है। जब उद्योग विभाग सारी जरूरत की चीजें, जो उद्योग लगाता है, उसको उपलब्ध करता है, तो काश्तकार को उसकी आवश्यकता की चीजें कृषि डिपार्टमेन्ट पूरी क्यों नहीं कर पाता है? यह बड़ी शोचनीय स्थिति है। मैं चाहूंगा, कृषि अधिकारी यह जिम्मेदारी लें कि काश्तकार को जरूरत की चीजें हैं, वह समय पर यथा स्थिति उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करें, या ऐसी योजना बनायें जिससे इस काम को पूरा कर सकें। आप हजार कुए बनाने का ऐलान करते हैं लेकिन जो निजी कुए बनाते हैं, उनको सीमेन्ट नहीं देना चाहते हैं, बैंक का लोन सैंक्शन भी हो जाता है तो तब तक सीमेन्ट के भाव बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुओं को व्यवस्था के बारे में ऐलान हो जाता है, स्वीकृत हो जाते हैं, पैसा जमा भी करा देते हैं, लेकिन फिर भी उनको बिजली नहीं

(श्री अजीत सिंह)

दे पाते हैं। हाई ब्रीड बाजरा बोया जाता है, अच्छी किस्म के बीज बोये जाते हैं लेकिन समय पर पानी लगाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है क्योंकि आप बिजली नहीं देते हैं। इसलिए जितने साधन आपके पास उपलब्ध हों, उतना ही डवलपमेन्ट करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा, नहीं तो इसके अभाव के अन्दर काश्तकार परेशान होते हैं, और जो प्रॉडक्शन होने वाला था, वह नहीं हो पाता है, फसल खड़ी की खड़ी सूख जाती है। यह शोचनीय स्थिति है। मैं चाहूंगा कि आप सारी योजना का सर्वे करें ताकि ठीक ढंग से काम कर सकें।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिला परिषद् की सिफारिश के ऊपर जो सरकारी अधिकारी हैं, उनका स्थानान्तरण हो। आज जिला परिषद् किसी आफिसर के खिलाफ सरकार को केस मूव करती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वह आफिसर मनमानी करते रहते हैं काम के अन्दर। जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, वह दिलचस्पी नहीं लेते हैं, इसलिए कार्य अवरुद्ध हो जाता है, वह नाराज होकर जो काम करते थे, वह भी बन्द कर देते हैं। यह स्थिति सारे जिलों की है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार जितना खर्च कर रही है, उसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, शिकायत सुनने के लिए निश्चित रूप से व्यवस्था करें ताकि लोग हिम्मत से सामने आकर शिकायत पेश कर सकें। बस, मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, आज जो विधेयक रखा गया है उस पर अपने विचार पेश करूंगा। जो हमारे सामने बजट आया था उसके अन्दर कोई कर नहीं लगाया है। इसका सभी ने स्वागत किया है और मैं भी स्वागत करता हूं लेकिन हमें इस बात को देख कर निराशा होती है कि हमारे देश में जो गरीबों के विकास का नारा लगाया है उस गरीब वर्ग का विकास नहीं हुआ है। उसके विकास के लिए जितना कार्य करना था वह हमने नहीं किया है। सरकार ने इस साल कोई कर नहीं लगाया है तो इसका मतलब यह होगा कि जिस रफ्तार से पहले विकास का कार्य चल रहा था वह रफ्तार और धीमी होगी।

सभापति महोदय, पिछले सालों के अन्दर और बातें तो दूर रही लेकिन जिस वर्ग के लिए हम 1947 से चिल्लाते आये हैं और कहते रहे हैं कि जो हरिजन हैं, अनुसूचित जाति व जन जाति के, कई वर्ग ऐसे हैं राजस्थान में जो आज के दिन भी उतने ही दबे हुए हैं। आज तक उस वर्ग को आप देखें तो इस वर्ग के लोग दारू पीते हैं। उसमें उनका जीवन सफल नहीं हो सकता। कर लगाने के लिए बहुत स्थान बाकी थे। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम बहुत समय से आशा करते आए हैं कि हमारे राजस्थान में जहां गरीब और अशिक्षित रहते हैं, उन क्षेत्रों में दारू-बन्दी की जायेगी। जो हमारे माननीय नेता श्री गोकुल भाई भट्ट थे उन्होंने दारू-बन्दी का आन्दोलन चलाया, उस आन्दोलन की पूर्ति की हम आशा करते थे लेकिन आज हमारी सरकार ने दारू को आय का साधन बना रखा है, इस ओर ध्यान नहीं

(श्री चतुर्भुज)

दिया गया। आज हम मनुष्य जीवन को आगे ले जाने की बात करते थे, लेकिन साथ साथ आय को सोचें तो यह बहुत ही गम्भीरता का विषय है। जितने आज गरीब लोग हैं उनमें अधिकतर लोग दारू पीते हैं। इस कारण वह पराधीन हैं और दारू के विषय में और रंग में वे लोग बेसुध हैं और प्रकृति के मारे हुए साधनहीन हैं और जीवन-हीन हैं। दारू गरीब लोग ज्यादा पीते हैं। उस दिशा को देखकर हमें सरकार द्वारा दारू को बन्द करने की उम्मीद थी, वह पूरी नहीं हुई।

आज हम जयपुर में देख रहे हैं कि कम से कम 25 प्रतिशत बाजारों के अन्दर दारू की दुकानें नजर आती हैं पिछले 4-5 महीनों में इससे आप गरीब और अशिक्षित वर्ग के जीवन में कैसे सुधार ला पायेंगे ?

हम उनको बराबर एक मनुष्य बनाकर और उनके गरीब जीवन का विकास उदारता के साथ कैसे कर पायेंगे ? हमें मनुष्य जीवन का अर्थ और स्वरूप उन्हें समझाना पड़ेगा। सरकारी मातहत कहते हैं कि सरकार स्वयं कहती है कि इस वर्ग का इन गरीब लोगों का भला करेंगे। लेकिन आज तक इन गरीबों का भला नहीं कर पाए। थोड़ीसी आय के लिए दारू को ज्यादा लागू किया है। मेरा सुझाव है कि देहात के अन्दर दारूबन्दी करें और सरकार विदेशी शराब पर चाहे तो 100) रुपये प्रति लिटर टैक्स लगाले, पीने वाले पायेंगे। आपको काफी आय होगी। पहले जो दारू पीने से नफरत करते थे, दारू पीने वाले को बुरी दृष्टि से देखते थे वे भी आज इसका प्रयोग करते हैं। उस वर्ग में ज्यादातर गरीब होंगे। उन पर प्रभाव पड़ता है, गरीब वर्ग पर प्रभाव पड़ेगा और अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों पर पड़ेगा। यह स्थिति जो हमारे सामने है, शोभायमान नहीं है . .

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

(कोरम की घन्टी)

श्री चतुर्भुज (कोरम पूरा होने पर) सभापति महोदय, मैं कहने जा रहा था कि हम आय की सोचते हैं, बड़े काम करने से आय की सोचते हैं, मनुष्य जीवन को सुधारना और आय की सोचना, यह न्याय संगत बात नहीं है। यह आदर्श बात नहीं है उदारता की बात नहीं है। एक आदमी बिल्कुल पशु के समान रहे, अज्ञान रहे और हम राज करते रहें। हमारे गोकुलभाई भट्ट चले जायेंगे लेकिन हम उनका इतिहास लेकर आगे जायेंगे, हम उनके वंशज हैं। कांग्रेस को समाजवाद लाना है, यह सोचने का विषय है।

मैं एक प्रश्न और रखना चाहता हूं। राजस्थान में लोकतंत्र की व्यवस्था को 10-10 साल हो गए लेकिन पंचायतों के चुनाव नहीं कराए आज पंचायतें पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं और नाजायज फायदा उठाने वाले जिंदा हैं और चोर बना दिया पंचायत राज को। यह आश्चर्य की बात है कि यह उल्टा राज्य हो गया है अंधेरे का, चांद धरती पर और धरती चांद पर। पंचायत राज न हो तो दो वोट भी न मिलें। चाचा नेहरू थे उन्होंने शुरूआत कर ली, नहीं तो शायद पंचायत राज लागू नहीं करते। चाचा नेहरू ने जैसे ही भारत से मुंह मोड़ा, पंचायत राज के

(श्री चतुर्भुज)

दरवाजे पर ताला जुड़ गया। आज गांव के लोगो को पंचायतों को बदनाम करते हैं। लेकिन पंचायतों में हम लोग मेहनत से काम करते हैं। हर क्षेत्र में हर मुसीबत में हर संकट में पंचायत राज याद आता है। लेकिन 10-10 साल हो गए पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। कौनसा नियम है भारतवर्ष के अन्दर? संविधान के अन्तर्गत हमारे देश में चुनाव कानून बनाए गए लेकिन हम उस चुनाव को ही भूल गए तो कहां संविधान रहा? कहां रह गया पंचायती राज? चुनाव प्रणाली आपने समाप्त कर दी। जब चुनाव प्रणाली की नींव ही नहीं रही तो आपके प्रजातंत्र व लोकतंत्र नहीं चलने वाले हैं। हमें हर क्षेत्र के अन्दर गांवों की व्यवस्था देखनी चाहिए, गरीब वर्ग को देखना चाहिए, आम आदमी की व्यवस्था देखनो चाहिए। उसके लिए हमने छोटे छोटे यूनिट्स बनायें, छोटी छोटी पंचायतें बनाई लेकिन 5 साल बाद उन पर ताला लगा दिया और हमने चुनाव नहीं कराए।

सभापति महोदय आज दस साल हो गये है पंचायतों का चुनाव करायें, बिना चुनाव आप जनता में निराशा पैदा कर रहे हैं और इससे लोकतन्त्र तथा पंचायती राज की समाप्ति ही मानी जाय। क्योंकि पंचायत राज एक अच्छी चीज है। लेकिन आज पंचायती राज के हर क्षेत्र में हर विभाग में अनुचित कार्यवाही हो रही है। आज चोरी करे दूसरे लेकिन चोर पंचायती राज को कर दिया है। जो अनर्थ और मिथ्या वाद है झूठ है बिलकुल। पंचायती राज के बिना और पंचायतों के चुनाव कराये बिना हम और आप जिन्दा नहीं रह सकते है। वह तो कभी समय आयेगा तब मालम पड़ेगी। और आपको पछताना पड़ेगा। चुनाव नहीं करने से गम्भीर परिणाम होंगे, मेरे समझ में नहीं आता है सरकार को आखिर क्या अड़चन आ रही है? सरकार चुनाव क्यों नहीं करा रही है? सभापति महोदय, वह तो चाचा नेहरू के स्वर्गवास के बाद में पंचायती राज को बिलकुल ही नता में माना गया है। तो मैं आज साफ साफ कहे बिना नहीं रह सकता। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं...

श्री केदारनाथ : क्या कहना चाहते हैं साफ साफ कहदो।

श्री चतुरभुज : सभापति महोदय मैं आपके मारफत निवेदन करता हूं कि राजस्थान के अन्दर आप आज टैक्स लगाते हैं सेल्स टैक्स भी वसूल करते है। गरीबों पर और काश्तकार पर टैक्स लगाते हैं। आये दिन हजारों की तादाद में गांवों और सिटीज में सेल्स टैक्स वसूल होता है लेकिन आज उसका जितना वसूल होना चाहिये उसका दस परसेन्ट भी वसूल नहीं होता है। लेकिन इसकी जांच कौन करे? लेने वाला कौन और जांच करने वाला कौन? शुरूआत से लेकर इसकी कोई इन्क्वायरी करने वाला नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस खास वर्ग से आप सेल्स टैक्स वसूल करना चाहते हैं उसी वर्ग का आप अधिकारी सेल्स टैक्स में रख लेते हैं। इसलिये सेल्स टैक्स पूरी तरह वसूल नहीं होता। अगर आप पूरा सेल्स टैक्स वसूली करलें तो दूसरे टैक्स राज्य सरकार को लगाने की जरूरत नहीं पड़े। आप मालामाल हो जावें। आप खुद रोजाना देख रहे हैं सबकी नजर में है। उसकी आये

(श्री चतुर्भुज)

दिन बदनामी होती है। आज कोई कर की वसूली नहीं करना चाहता। आपने सन् 60 से सीलिंग लागू किया था और उस दिन तक आपने एक लम्बा दायरा काम नहीं किया। देरी की। जमीन मालिक ने जमीन दो दो तीन बार बेच दी। आपके हाथ में जमीन नहीं आयी। सिर्फ कागज का भरमार कर दिया। गरीब को लाभ मिला नहीं इसमें। इरीगेशन और पी. डब्ल्यू. डी. ये दोनों आज की परिस्थितियों को देखते हैं जिसके कारण अन्न की समस्या पैदा हो रही है। एक लाख रुपया मांगते हैं उस पर बीस हजार हाथ आता है। आज आपकी पी. डब्ल्यू. डी. में देखिये।

जहां पर मस्टररोल 500 के बनते हैं वहां पर बड़ी मुश्किल से सिर्फ 25 आदमी काम करते हैं। सभी देख रहे हैं लेकिन इसकी जांच कोई नहीं करता है। अगर कोई आदमी शिकायत करता है तो शिकायत करने वाले की घोड़ी बनती है...

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): यह घोड़ी कैसे बनती है?

श्री चतुरभुज: जो शिकायत करता है उल्टा उसे ही परेशान किया जाता है और कैसे घोडी बनती है। उसकी मुसीबत हो जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार सभापति महोदय, आज देश के धन का दुरुपयोग हो रहा है। देश की परिस्थिति खराब हो रही है। [illegible] कट मोशन भी दिये फिर भी मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया सभापति महोदय, हमारे यहां पर एक ढाई नन्दी है तहसील सरवाड़ जहां पर एक स्थान ग्राम हिंगोणिया है वहां पर सम्मेसिया बांध का सर्वे करवाने का आदेश आप दिलावें। इसकी वर्षों से मांग हो रही है। बहुत बड़ी नदी है। बेकार बारह महीने बहती है। अगर आप वह बांध बनवादें तो काफी खेती हो सकती है। जनता का भला हो सकता है। मैं मन्त्री महोदय से आपके मारफत यह अर्ज करना चाहता हूं कि उस बान्ध का सर्वे करा कर उसे पक्का बनवाने का इन्तजाम करावें। इसके अलावा देवली क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि मुझे उस दिन भी बोलने का अवसर नहीं दिया गया वहां चिकित्सा भवन बहुत पुराना है अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। उसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मेरा आपके मारफत एक और निवेदन है कि प्रसूति गृह देवली में नहीं है। वहां भी बनाया जाय। देवली स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके अलावा टोडारायसिंह से जराना रोड जिला टोंक को पूरा कराया जावे। इसके अलावा एक 11 मील का टुकड़ा ऐसा है जो कि टोडारायसिंह से अजमेर के बीच में आता है यह 250 किलो मीटर लम्बी सड़क है उसे पूरी करवादें तो जो ट्राफिक आज टोडारायसिंह से अजमेर की तरफ जाता है उसे काफी सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा पवालिया से जूनिया मोर से वाया गांव जूनिया जहां पर कि 20 वर्ष से आज ट्रैफिक चल रहा है उसको भी हमने रोड को पूरी करवाने के लिये काफी मांग की है लेकिन अभी तक आपने उसे पूरी नहीं करायी है। मेरा सभापति महोदय, आपके मारफत मन्त्री जी को यह निवेदन है कि जो मैंने खास मुद्दे उठाये हैं उन्हें अगर आप पूरा करवादें तो काफी सहूलियत जनता को हो सकती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वहां

(श्री चतुर्भुज)
की जनता आपको धन्यवाद देगी। बस, फकत इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : माननीय सभापतिजी, आज विनियोग विधेयक पर कई माननीय सदस्यों ने वाद विवाद में भाग लिया। और अपने विचारों को सदन के समक्ष रखा। माननीय सभापतिजी, कल तक जितनी भी मांगे थीं, वे पास की गई। उनको देखते हुए और जो बजट है उसको देखते हुए आप यदि उसका अध्ययन करे तो आपको भी यही महसूस होगा कि यह बजट, जिसमें अलग अलग विभागों के लिये प्रावधान किया गया है, उसमें कोटा डिवीजन के लिये उपेक्षा की गयी है।

आपका ध्यान, माननीय सभापतिजी, मैं राजस्व विभाग की ओर खींचना चाहूंगा। राजस्व मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं। वित्त मंत्रीजी भी आ चुके हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब राजस्व मंडल की बैंच की मांग कोटा के लिये की गयी तो इस प्रश्न को लेकर सब राजस्थान के माननीय सदस्यों ने अपने अपने डिवीजन की ओर ध्यान आकर्षित किया था। केवल यह कह कर टाल दिया गया था कि धनाभाव है। जब पूछा गया तो यह भी साथ में उत्तर दिया कि जयपुर के अलावा अन्य दो स्थानों पर राजस्व मण्डल की बैंच लगी थी अन्य स्थानों पर नहीं। माननीय मंत्रीजी उसमें कोटा का नाम नहीं लिया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कोटा के अन्दर राजस्व मण्डल की बैंच लगती थी किन्तु कुछ समय से उसको बन्द कर दिया गया और आज जब पूछते हैं और मांग करते हैं कोटा डिविजन की ओर से कि कोटा के अन्दर राजस्व मण्डल की बैंच होनी चाहिये, आपको वहां पर बैंच लगाना चाहिये, लेकिन आपकी ओर से उत्तर आता है 'धनाभाव' है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह कोटा डिवीजन की उपेक्षा नहीं है?

आज जितने भी केसेज रेवेन्यू बोर्ड में जाते हैं वे किसानों से सम्बन्धित होते हैं। किसानों की संख्या गांवों के अन्दर 80 प्रतिशत से भी ज्यादा होगी। यदि माननीय मंत्रीजी विकास की ओर ध्यान देना चाहते हैं तो जनता के धन का दुरुपयोग न हो उनको सुख सुविधा मिले इसके लिए उनको देखना चाहिये और उसके लिये कोशिश करनी चाहिये। हमें यह देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि राजस्व मण्डल को जो हमारी मांग है वह वाजिब है। इस पर मनन करके सिंचाई और विकास की दृष्टि से भी कोटा के अन्दर राजस्व मन्डल की बैंच स्थापित की जाय।

आगे मैं बताऊं, माननीय सभापतिजी, शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न पर। शिक्षा के बारे में निश्चित रूप से हमें कहना पड़ेगा कि वहां भी बहुत ही भेदभाव वरता गया है। आज हमारे गांवों के अन्दर शहरों से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। फिर भी यह देखने में आता है कि जब भी स्कूल भवनों के लिये बजट में प्रावधान करने का सवाल आता है तो वह केवल शहरों के लिये होता है, गांवों के लिये नहीं। यदि गांवों में भवन बनाये जाते हैं स्कूलों के लिये तो गांव वालों से कहा जाता है कि आप यदि इतना पैसा इसमें लगाओगे तो सरकार की ओर से आपको धनराशि मिलेगी। हम उनसे

Page No 88

(८८)

(श्री रामगोपाल)

यही मांग करते हैं कि इन भवनों को बनाने के लिये आप पैसा दीजिये। उन लोगों के मस्तिष्क में यही विचारधारा घर कर जाती है कि शहरों के अन्दर तो सरकार पैसा खर्च करती है और गांवों के लिये नहीं। उल्टा हम से मांग करती हैं। गांवों के अन्दर जो शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं उसके लिये तो मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ ही साथ निवेदन करूंगा कि आपको भवनों के लिये भी विचार करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि उस ओर उपेक्षा आगे से न हो।

जहां युनिवर्सिटी का सवाल आता है तो कोटा डिवीजन में हाड़ोती युनिवर्सिटी की मांग की थी। उसके बारे में कोई भी उल्लेख यहां पर नहीं किया गया। मैं कोटा डिवीजन की ओर से याद दिला देना चाहता हूं कि हमारी उपेक्षा आपको नहीं करनी पड़ेगी और हाड़ौती यूनिवर्सिटी की कोटा डिविजन में स्थापना करनी पड़ेगी। यह बहुत ही गम्भीर मसला है और समय समय पर उठता रहेगा। यों भी यह जो हमारी भावी पीढ़ी आने वाली है उनसे सम्बन्ध रखता है।

माननीय सभापतिजी, आगे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यह मसला एक विशेष स्थान का ही नहीं है पर सारे राजस्थान का मसला है। अनुसूचित जाति और जनजाति से सम्बन्ध रखने वाला है।

माननीय सभापतिजी, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं, हम भाषण दे देते हैं, उनका उल्लेख कर देते हैं, किन्तु उनको लागू नहीं करते हैं। जितनी भी यहां पर नीतियां बनती हैं उनको सही ढंग से लागू नहीं कर पाते हैं। नीतियां भी इसी प्रकार की बनती हैं कि जिससे इस वर्ग के लोगों को फायदा नहीं मिलता है। वैसे मेरे से पूर्व वक्ता माननीय चतरभुजजी ने इस पर प्रकाश डाल दिया है किन्तु पुनः जो तथ्य उसमें रह गये थे उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

स्टाइपंड बी. ए. और एम. ए. वाले बच्चों को दिया जाता है। आपने एक 'नाटक' शब्द का उपयोग किया है। मुझे भी उसी 'नाटक' शब्द का उपयोग करना पड़ेगा। स्टाइपन्ड देकर उन बच्चों के आगे का मार्ग आप अवरुद्ध कर देते हैं। यह इसलिए रखा था कि उनको सुविधा मिले। इसका मतलब यह नहीं है कि उनको दो दो तीन तीन वर्ष तक आप उलझाये रखें। उनसे समाज कल्याण विभाग की ड्यूटी दिलवाते हैं। उनसे केवल हाजरी लगवायी जाती हैं। काम नहीं लिया जाता। 100 मील के दूर के रहने वाले व्यक्ति को यहां पर रहना पड़ता है। दो ढाई सौ जो भी मिलता है वह सब यहां पर खर्च हो जाता है। वे लड़के बड़े दुखी है। मेरा निवेदन है कि उनके बारे में आप एक नीति निर्धारित कीजिये। जितने भी ऐसे वर्ग के लोग हैं और जितनी भी उनकी संख्या है उनको यथा स्थान-राजकीय सेवाओं में लगाइये।

सभापति महोदय, मै यहां पर यह भी बताऊं कि आदिम जाति सेवा संघ की ओर से छात्रावास चलते हैं और उनमें 90%

(श्री रामगोपाल)

सरकार एड देती है, आप यह निश्चित रूप से मानिये कि समाज कल्याण से एड मिलती है 90 परसेन्ट उनका योगदान केवल कागजों में ही होता है। उनमें इतने घोटाले हैं कि कोई हद नहीं। शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के लिये वह संस्था बनी है, इस वर्ग के बहुत ही कम लोग उनमें हैं। नाम मात्र के लोग मिलेंगे। आपको नाम मात्र का मिलेगा। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप इस संस्था को समाप्त करके जितने छात्रावास चलाये जा रहे हैं उनका सीधा नियन्त्रण अपने हाथ में ले लें ताकि इनको सही रूप में सरकारी धन का लाभ मिल सके।

माननीय सभापतिजी, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिये पदोन्नतियों के लिये रिजर्वेशन के बारे में बताया गया। यह केवल घोषणा मात्र है, जो कागजों में पड़ी हुई है। कार्य रूप में राजस्थान के किसी भी विभाग में इसे परिणत नहीं किया गया। मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि इस प्रकार की घोषणाएं हमेशा होती रहेंगी पर पदोन्नति किसी को नहीं मिलेगी। तो जो व्यवस्था 20।30 वाली की गई है इसमें भी अगर बीस का प्रोमोशन हुआ तो ट्राइब्स का नाम आ जावेगा और दस का हुआ तो शिड्यूल्ड कास्ट का नाम आ जावेगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी इस तरह से यह गडबड़ घोटाला कर दिया गया।

माननीय सभापतिजी, जितनी मांगें यहां पारित हुई हैं उनमें यह भी उल्लेख नहीं है कि राजस्थान के अन्दर जितने शिड्युल्ड ट्राइब्स के क्षेत्र हैं उनमें जो क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें शिड्यूल्ड कास्ट वालों की संख्या अधिक है ऐसे क्षेत्र का सर्वे करके सुझाव देना चाहिये ट्राइबल ग्रोथ के लिये। उनके विकास की योजनाएं वहां बनानी चाहिये।

कोटा डिवीजन में पंचायत समिति शाहाबाद में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है उनकी संख्या अधिक होते हुए भी आज 25 वर्ष हो गये शाहाबाद क्षेत्र की उपेक्षा ही की गई है।

अनाज की तस्करी और चोर बाजारी पर सरकार ने रोक लगाने की घोषणा की मैं बताऊंगा हमारे प्रशासन में चाहे वह किसी विभाग का हो उन्हीं विभाग वालों ने उनको प्रोत्साहन दिया है। बूंदी जिले का ही एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा।

माननीय सभापतिजी, कुछ महीने पहले गैंडोली थाने में महावीर शर्मा हैड कान्स्टेबल की हत्या कर दी गई। इसका क्या कारण था उसने एक ट्रक को तस्करी करते हुए रोका। उसमें लदी अनाज की बोरियां नीचे उतार लीं। पर उस हल्के के थानेदार ने उस कालाबाजारिये से मिल कर पैसा खाकर उस केस को खतम करा दिया। उन तस्करियों के हौंसले बढ़े। खुले आम ट्रक मालिक कड़कड़ चौकी पर यह धमकी देकर गया कि इस हैड कान्स्टेबल को जान से मार देंगे। आखिर इसकी सूचना भी थानेदार को मिली। पर उसने भी कुछ नहीं किया। आखिर नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिन बाद वही ट्रक फिर आया और वह हैड कान्स्टेबल वहीं ड्यूटी पर था। दो और हैड कान्स्टेबल उसके साथ थे। ट्रक का मालिक ट्रक में

(श्री रामगोपाल)

बैठा था। उस ट्रक को आते हुए देखकर उस महावीर शर्मा हैड कान्स्टेबल ने अन्य ट्रक समझा और उसे एक तरफ रास्ता दे दिया और खुद बाई साइड में खड़ा हो गया। ट्रक में बैठे हुए ट्रक मालिक ने उसको पहचान लिया कि यह वही हैड कान्स्टेबल है जिसने पहली बार उसका ट्रक रोका था। उसने ट्रक उसकी तरफ मुड़वाया और उसके ऊपर से उसे रौंदते हुए निकाल ले गया और इस तरह से उसकी क्रूरता पूर्वक हत्या करदी।

माननीय सभापतिजी, वह ट्रक पकड़ा गया। 304 में बयान हुए। पर आज दिन तक किसी मुलजिम का चालान नहीं हुआ है। उस हैड कान्स्टेबल के छोटे छोटे बच्चे उसकी विधवा पत्नी बून्दी में एक कोई मोहल्ले में बुरी हालत में अपने दिन बिता रहे हैं।

माननीय सभापतिजी, उस ट्रक का नम्बर शायद आर. जे. एक्स. 775 है। ट्रक मालिक का नाम सोजीराम खाती है। टोंक का वह निवासी है। अच्छा मालदार है। पैसे के जोर पर वह सारा काण्ड दबा दिया गया है। राजकीय सेवा में रत एक हैड कान्स्टेबल की हत्या उसके थाने के पास ही कर दी गई।

आज सरकार की नीति में ईमानदारी के साथ अमल करने में योगदान दे रहे हैं उनकी यह हालत हो यह सोचनीय है। सरकार को तो ऐसे मामलों में और भी तेजी से और कड़ाई से कार्यवाही करनी चाहिये पर सरकार भी आज अपनी उसी रफ्तार से चल रही है।

माननीय सभापतिजी, आगे मैं बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार से इसी पुलिस से सम्बन्धित एक मामला और है बापचा थाने में होलाराम मीणा मालपुरा चौकी पर रहता था। उसका भी कत्ल इसी तरह से कर दिया गया। वह घर का मुखिया था। वह घर से दूर था। इसीलिये पांचवें छठे दिन घर जाया करता था। तीन दिन बाद घर वालों को पता लगा कि उसकी हत्या कर दी गई है। तो जब उसका लड़का थाने में जाता है तो उसे वहां का थानेदार कहता है कि उसे तो छबड़ा अदालत में ही पता लग गया। यह कह कर वह चला जाता है। उसके साथ ही उसे पकड़ा गया उससे सात सौ रुपया लेकर सात दिन के बाद छोड़ दिया जाता है। फिर उसकी लाश भी इतनी देर बाद अंग भंग अवस्था में केवल हड्डियों का ढांचा मात्र उसको मिलता है। नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उन मुलजिमों को छः सात दिन बाद पकड़ा गया उसके बड़े भाई की तो इस सदमें से मौत हो गई सारा परिवार उस का अस्त-व्यस्त हो गया। इस जघन्य अपराध की पुलिस स्टेशन पर सूचना मिली। इसे अब सावधानी से देखना चाहिये और उचित कार्यवाही की जानी चाहिये। इस मामले में काफी लापरवाही की गई। इससे स्पष्ट है। उसको इस हत्या की पहले से जानकारी थी। सात दिन बन्द रखा सात सौ रुपये के नोट लिये अवशेष मिलने के आठ दिन बाद केस बनाया तफतीश में ढील की है। निश्चित रूप से इस प्रकार के अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।

(श्री रामगोपाल)

सिंचाई विभाग के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। लिफ्ट इरिगेशन के बारे में मंत्री महोदय ने बताया कि उससे कोई फायदा नहीं है इसलिये बन्द कर दिया। अब जहां बिजली के साधन नहीं कुए के साधन नहीं पर जमीन अच्छी है वहां एक मात्र तरीका लिफ्ट इरिगेशन ही है और इसे निश्चित रूप से वहां चालू रखना चाहिये। यह बड़ा लाभप्रद है। फायदा नहीं यह कहना सरासर गलत है। आज तो यह हालत है कि जहां दो साल पहले से आपने बन्द कर रखा है वहां उन्हीं लिफ्ट इरिगेशन की मशीनों को तेल वहां के किसान देते हैं वे स्वयं अपने खर्चे से उसे चलाते हैं टूट फूट का खर्चा भी वे स्वयं ही वहन करते हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। इधर सरकार कहती है लाभ नहीं सरकार अपना लाभ नहीं छोड़ रही है। बत पिलाई के पैसे पूरे लेती है। यह है इस सरकार का न्याय?

इसके बारे में हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा। यह एक विशेष स्थान का सवाल नहीं है यह पूरे राजस्थान की लिफ्ट इरींगेशन का सवाल है। इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में एक जगह लिफ्ट इरींगेशन है उसमें यही समस्या है। वहां पर दो साल से काश्तकार अपना क्रूड आइल जलाते हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं और फिर भी उनसे पूरी पिलाई वसूल की जाती है। तो सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे स्थानों के बारे में विशेष योजना बना कर काश्तकारों को जब तक सिंचाई की पूरी सुविधायें उपलब्ध नहीं हों तब तक निश्चित रूप से किसी न किसी रूप से काश्तकारों को लाभ पहुंचाने का प्रयास सरकार की ओर से होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक पाइन्ट और है बड़ा ही महत्वपूर्ण पाइन्ट है।

सभापति महोदय, यहां पर जलदाय विभाग के मंत्री मौजूद हैं। जब मैंने उनसे यह कहा था कि कोटा डिवीजन की उपेक्षा की जा रही है और आज भी शाहबाद में पेयजल की समस्या बनी हुई है और उसकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई है तो, सभापति महोदय, आज 25 वर्षों के बाद भी सरकार ने वहां की पेयजल की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया तो उपेक्षा फिर निश्चित है। जब मैंने जलदाय विभाग के मंत्री महोदय को कहा कि मध्यप्रदेश की सीमा में आप ज्योंही जायें तो वहां पर आपको सब जगह हैंडपम्प लगे हुए दिखाई देंगे और चाहे दो झोंपड़ियों का ही गांव हो वहां पर भी आपको हैंडपम्प मिलेगा। तो हमारे यहां के रहने वाले लोग हैं उन्होंने यह कहा कि वहां पर जगह जगह हैंड पम्प तो लगे हुए हैं और सारी मशीनें हमारे राजस्थान से ही गयी हुई हैं। उसके बारे में मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कल या परसों ही कि मध्यप्रदेश के मंत्री की चिट्ठी आई है और उसमें यह लिखा है कि कोटा का पानी है उसको किसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में भेजा जाये ताकि उसका सदुपयोग हो सके। तो, सभापति महोदय, उन्होंने चम्बल का पानी मांगा है तो इसका मतलब यह नहीं है उनको पीने के पानी की मांग थी। पीने के पानी के लिए तो उन्होंने पहले ही नल लगाये हुए हैं और

(श्री रामगोपाल)
हैंड पम्प लगाये हुए हैं। मेरा कहना है कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

श्री चन्दमल बैद : मेरा ध्यान आपकी तरफ ही है।

श्री रामगोपाल : वैसे आप झूठ वाली बात मत कीजिए। आपने कहा था कि मध्यप्रदेश के मंत्री ने चिट्ठी दी है और कहा है कि कोटा का पानी भेजा जाये लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मध्यप्रदेश में सरकार ने अपने गांवों में जगह जगह हैंड पम्प लगाये हैं और हमारे राजस्थान की मशीनें गयी हैं और वहां पड़ौस के गांव में हम देखकर आये हैं और वहां पर शिव नारायण जी का रिश्ता हो रखा है और उनकी बच्ची का वहां रिश्ता है और हम जब वहां गये तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे यहां पर जगह जगह हैंड पम्प लगे हुए हैं और आपको शर्म नहीं आती। तो जब वह हमको कहते हैं तो आपको भी शर्म आनी चाहिए। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि मैंने आपको फिर भी इजाजत दी है कि जिन मांगों पर विवाद सदन में हो चुका है उस पर नहीं बोलें और उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं और मैंने रोका नहीं। अब आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रामगोपाल : एक पाइन्ट और है।

श्री सभापति : आप इन पाइन्ट्स के ऊपर बोल चुके हैं और मैं फिर कहता हूं कि जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री रामगोपाल : माननीय सभापतिजी, जिस प्रश्न पर मैं अभी बोलना चाहूंगा वह कृषि से संबंधित प्रश्न है। और हमारे कृषि मन्त्रीजी ने कहीं भी अपने उत्तर में उल्लेख नहीं किया। यह पूरे राजस्थान का मसला है और सदन में भी किसी माननीय सदस्य ने नहीं बोला। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कृषि से संबंधित जो फसल है वह अफीम की फसल है। राजस्थान के अन्दर कई जिले ऐसे हैं कि जहां अफीम की खेती होती है। उससे हमारे काश्तकारों को कितना फायदा होता है कितना नहीं होता है उसके बारे में सरकार को देखना चाहिए और देख कर कार्यवाही करनी चाहिए। यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से संबंधित प्रश्न है तो हमारी राज्य सरकार को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को सुझाव देने चाहिए। यह सुझाव इस बात का देना चाहिए कि अफीम, की पर किलो की कीमत बढ़ाना चाहिए। वहां के काश्तकारों ने निश्चित रूप से इस बात के लिए मांग की लेकिन भारत सरकार वाले कहते हैं कि जब तक जन प्रतिनिधि मांग नहीं करें तब तक यह नहीं होगा। हम कहते हैं तो वह कहते हैं कि आप इस बारे में चर्चा क्यों करते हैं। मैं राजस्थान के सारे जिलों की ओर से इसके बारे में मांग करता हूं और आपको इस बारे में गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि काश्तकार केवल अफीम के ऊपर निर्भर हैं और हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट को सुझाव देकर प्रतिकिलो अफीम की कीमत बढ़वानी पड़ेगी। काश्तकारों के पास मुश्किल से दो चार बीघा

(श्री रामगोपाल)

जमीन है जिसमें वह अफीम की फसल करते हैं और वह इस पर निर्भर है। यदि प्रांत किलो अफीम की कीमत बढ़ाते हैं इससे उनको निश्चित रूप से सांत्वना मिलेगी और हम यह बहुत बड़ा काम कर पायेंगे। यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट से सम्बन्धित है और इसके लिए हमारी ओर से सिफारिश होनी चाहिए।

सभापति महोदय, वन विभाग की ओर से फारेस्ट कमेटी बनाई थीं जिनके बारे में माननीय मंत्री जी ने उल्लेख तो नहीं किया, वैसे मैं सुझाव देना चाहता हूं कि समस्त जिलों में कमेटी बनाई, उनको कहना चाहिए कि जहां जहां भी फारेस्ट का विवाद चला हुआ है और पट्टे जहां रेवेन्यू की जमीन अलाट का गई है और दिये जा चुके हैं, काश्तकार वहां पर खेती कर रहे हैं। इस प्रकार से कई आदिवासी क्षेत्र के काश्तकार हैं उनके ऊपर केसेज चल रहे हैं जबकि लीगल तरीके से उनको जमीन का आवंटन हो चुका है। यह जनरल समस्या है राजस्थान की और वन मंत्री महोदय को जिला स्तर पर कमेटीज हैं उनको कहना चाहिए कि ऐसे आदिवासी काश्तकारों की समस्याओं को सुलझाना चाहिए।

मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री नाथूराम!

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय सभापति जी, विनियोग विधेयक पर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये, मैं भी कुछ सुझाव रखूंगा। माननीय सभापति महोदय, हमारा जो बजट है, उसके आंकड़ों को देखते हुए और राजस्थान में जैसी भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। जैसा कि पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके के लिए राजस्थान सरकार ने कोई विशेष प्रावीजन बजट में नहीं रखा है। वहां आदिवासी क्षेत्रों में लाखों की तादात में बेरोजगार हैं। वैसे हमारे वित्त मंत्री महोदय ने पिछले समय बताया कि चौथी योजनाकाल में 8 लाख लोगों को रोजगार दिया गया लेकिन मैं आपको बताऊं कि 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। वैसे इस आदिवासी क्षेत्र में आंकड़ों को देखा जाये तो शतप्रतिशत गावों में रहने वाले बेरोजगार हैं। मैं इसके लिए कुछ संक्षेप में आंकड़े बताऊंगा। राजस्थान नियोजन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 31-12-72 तक कुल आवेदनकर्ताओं की संख्या 1,61,717 थी जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों से आये हुए आवेदनपत्रों की संख्या 71,818 थी याने जो कि कुल संख्या का 45 परसेन्ट होता है। इसी तरह से 31-12-73 को 1,74,897 आवेदनकर्ता थे जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदनकर्ता 86 927 थे याने 49 परसेन्ट गांव के थे। आदिवासियों के क्षेत्र में बांसवाड़ा जिले में कुल आवेदनकर्ता 2,302 थे जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र के 1,575 थे याने 59 परसेन्ट होता है। डूंगरपुर जिले में 2,347 आवेदनकर्ता थे और ग्रामीण क्षेत्र के 1,729 थे याने 73 परसेन्ट होता है। उदयपुर जिले में 12,797 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 7,444

(श्री नाथूराम)

ग्रामीण क्षेत्र के थे जो कि 59 परसेन्ट होता है। चित्तौड़गढ़ में 4,143 आवेदन-पत्र आये और 2,241 ग्रामीण क्षेत्रों के थे जो कि 54 परसेन्ट रहा। सभापति महोदय, इस आदिवासी क्षेत्र में बेरोजगारी का सरकार का ध्यान नहीं गया है। आज मैट्रिक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के हजारों की तादाद में नवयुवक मारे मारे फिरते हैं लेकिन हमारी राज्य सरकार के नियम 28 परसेन्ट के हैं लेकिन समाज कल्याण विभाग को देखें या श्रम विभाग को देखें उसमें इस प्रतिशत का जो कि अनुसूचित जाति और जन जाति का है उस कानून का पालन नहीं हो रहा है। आज सर्विसेज में प्रमोशन देते हैं तो वहां भी पक्षपात हो रहा है। सभापति महोदय, आज इस पहाड़ी क्षेत्र में अनसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बेरोजगार होते हुये भी उनको नौकरी में नहीं लगाया जाता है। आज बांसवाड़ा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बहुत सी स्कूलें हैं जहां स्थान रिक्त हैं। अध्यापक पढ़े लिखे है लेकिन उनको रोजगार में नहीं लगाया जाता है। सभापति महोदय, सन् 1972 में 14 आश्वासन दिये गये लेकिन राज्य सरकार की तरफ से पालना नहीं हो रही है। मैंने पिछले समय में सरकार के सामने एक सुझाव रखा था लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। मैंने पिछले बजट के वक्त छूआछूत के बारे में एक शिकायत पेश की थी लेकिन समाज कल्याण विभाग और श्रम विभाग की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया और न मालूम क्या कार्यवाही हुई? इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं आप जो कुछ बजट में प्रावधान रखें और कोई भी कानून बनाये उसका सही उपयोग होना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं समाज कल्याण और नियोजन विभाग के बारे में निवेदन करता हूं। सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना चाहिये ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को और गरीब लोगों को कुछ फायदा हो सके। मेरा निवेदन है नियोजन विभाग का पुनर्गठन होना चाहिये। आज देखते हैं इन विभाग में बहुत ही पक्षपात हो रहा है। पिछले समय में मैंने निवेदन किया था, बजट आंकड़ों को देखते हुये शिक्षा में काफी रुपये खर्च हो रहे हैं लेकिन शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और कोई परिवर्तन नहीं होने से आज शिक्षा में काफी बेरोजगारी है। शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होना चाहिये बेरोजगारी का कारण क्या है कि आज कोई टैक्निकल शिक्षा नहीं दी जाती है। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिये और शिक्षा नीति में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

सभापति महोदय, आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को देखा जाय। जितने प्राइमरी स्कूल हैं, जितने हायर सेकेण्डरी स्कूल्स हैं, कालेज भवन हैं, विश्वविद्यालय हैं। मतलब प्राइमरी स्कूल से लेकर कालेज भवन तक राज्य सरकार की तरफ से बनाये जाते हैं। गांवों में देखा जाय तो गांव वाले कहा करते हैं लेकिन वहां पर उचित व्यवस्था नहीं की जाती है। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में भेदभाव क्यों चलाया जा रहा है। शिक्षा नीति में परिवर्तन करें, शिक्षा पद्धति

(श्री नाथूराम)

मे परिवर्तन करें। राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त स्कूलों में आज ग्रामीण क्षेत्र में गांव वाले स्वयं भवन तैयार करते हैं और हाई स्कूल की मांग करते हैं तो उनको नहीं दिया जाता है और शहरी क्षेत्रों में स्वयं सरकार उनको भवन तैयार करके देती है। इस तरह का भेदभाव क्यों ?

आज बजट में महिला शिक्षा को देखें, छात्राओं की शिक्षा को देखते हैं तो शून्य है। सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं गया है। आज ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं के लिये मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में परिवर्तन करने की मांग की जा रही है लेकिन सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैंने पिछले साल निवेदन किया था। इस साल बजट में एक भी स्कूल खोलने का प्रावधान नहीं है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स का एरिया घोषित किया है वहां हाई स्कूल खोलने का प्रावधान करना चाहिये नहीं तो जो शिक्षा का अभाव है वह वैसा का वैसा ही बना रहेगा।

सभापति महोदय, मैं अधिक समय नही लूंगा। पिछले समय में जो सुझाव नहीं दिये है, उसी को रखूंगा। इसी तरह बांसवाड़ा के औद्योगिकरण की सरकार की तरफ से घोषणा हो गई लेकिन क्या स्थिति है। हमारे मुख्य मंत्री जी को विशेष रुचि है लेकिन जहां मुख्य मंत्रीजी का निवास स्थान है वहां की पोल बताता हूं। सभापति महोदय मैं सरकार से निवेदन करता हूं बांसवाड़ा को इन्डस्ट्रीज एरिया घोषित कर दिया और 95 प्रतिशत प्लाट भी अलाट कर दिये गये लेकिन मुश्किल से 5-7 इन्डस्ट्री चलती होंगी बाकी इन्डस्ट्रीज की ओर अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं यह नहीं कहता सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं। कुछ अधिकारी ईमानदार और योग्य भी हैं लेकिन उनके नीचे जो अधिकारी हैं अपना स्वार्थ पूरा किये बिना कोई सहयोग नहीं देते हैं। जैसे बांसवाड़ा में एक डिप्टी डाइरेक्टर हैं और तीन असिस्टेन्ट डाइरेक्टर हैं। उनका काम देखा जाय तो बिलकुल नहीं के बराबर है। उनके स्टाफ का खर्चा देखा जाय और जो काम की गति है उसका मूल्यांकन किया जाय तो काम जीरो मिलेगा। कारण जो 75 प्लाट अलॉट हुये हैं उनकी प्रेरणा से एक भी इन्डस्ट्री नहीं पनपी। ठीक है कुछ इन्डस्ट्रीज चल रही हैं लेकिन वह इनकी प्रेरणा से नहीं चली हैं। जो लोग आये हैं व्यक्तिगत रूप से चालू हुई हैं, बाकी विभाग की तरफ से कोई प्रयत्न नहीं है। वैसे कागजों में लोन भी दिया जाता है, कच्चा माल भी दिया जाता है लेकिन मौके पर देखा जाय तो कुछ नहीं मिलेगा। लोन भी दिया गया है, वह वित्त मंत्री जी, मैंने जो बताया नोट तो नहीं किया है लेकिन मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं बांसवाड़ा जिले को जो इन्डस्ट्री एरिया घोषित किया है, जो लोन दिया गया है लेकिन कोई इन्डस्ट्री चालू नहीं है। आपको डाइरेक्टर को भेज कर जांच करवानी चाहिये, कितने प्लाट दिये गये हैं, कितना ऋण दिया गया है लेकिन सरकार की तरफ से जांच नहीं हो रही है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि जो कागजों में इन्डस्ट्री चल रही है उसकी एन्क्वायरी होनी चाहिये। कच्चा माल जरूर दिया जाता है जैसे कि लोहा,

(श्री ताबूराम)

सीमेन्ट आदि दिया जाता है, लेकिन मौके पर देखा जाय तो वह माल इन्डस्ट्रीज में खर्च नहीं हो रहा है, न वहां कोई इन्डस्ट्री लगी है। वहां के जो असिस्टेन्ट डाइरेक्टर हैं, ऐसे स्वार्थी हैं अगर किसी इन्डस्ट्री लगाने वाले को एक थैला भी सीमेन्ट दिया जाता है तो बिना कमीशन के नहीं दिया जाता है।

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार फैल रहा है। सभापति महोदय, जो 7-8 इन्डस्ट्री चल रही हैं, उनके साथ पक्षपात हो रहा है। जैसे साबुन का कारखाना है, एक बिजली के तार वाली फैक्टरी लगी हैं और दो सोप स्टोन, एक आइल मिल काम कर रही है उनको विभाग की तरफ से कोई लोन नहीं दिया गया है। जिन्होंने इन्डस्ट्रीज नहीं लगाई है उनको तो कच्चा माल दिया जा रहा है और जिन्होंने वास्तव में इन्डस्ट्री लगाई है, उनको किसी प्रकार का कच्चा माल या कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। जैसे इन्डस्ट्री एरिया में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। उन उद्योगों से जिन्होंने निजी प्रयत्न किये हैं उनसे वसूल किया जा रहा है। इसके अलावा उद्योग विभाग से 25 प्रतिशत पावर सब्सिडी उन लोगों को नहीं दी जा रही है जिन्होंने निजी प्रयत्न से चालू किये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी एरिया में कच्चा माल प्राथमिकता के आधार पर नहीं मिलता है और जैसा कि अन्य उद्योगपतियों का मिलना है। यह भी नहीं उद्योग विभाग के उप-निदेशक महोदय अपने भ्रष्ट आचरण से कच्चा माल सीमेन्ट, लोहा अपना स्वार्थ पूरा करके लोगों को दे देते हैं। सारा माल जयपुर में ही वितरण हो जाता है, जिनका उद्योग चल रहा है, उनको नहीं देते हैं। इसी तरह मजदूर लोग हैं उनको मजदूरी नहीं मिलती है। आज इन्डस्ट्रियल एरिया में जिस तरह प्लाट अलॉट हुये हैं, वे अधिकारियों की प्रेरणा से नहीं हुये हैं। सभापति महोदय, आज सभी उद्योग लग जाते तो आदिवासियों की उन्नति होती। जिले में औद्योगीकरण सफल हो, रोजगार के अवसर अधिकाधिक बढ़ें इसके लिए हमारी मांग है लेकिन, सभापति महोदय, वहां पर पक्षपात हो रहा है।

सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं इसके अलावा भीलवाड़ा, जोधपुर, अलवर, उदयपुर आदि में जिस तरह से उद्योगों को पन्द्रह प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, बांसवाड़ा को नहीं दिया गया है। इसलिए बाहर से आने वाले जो उद्योग लगाना चाहते हैं, वहां पर उद्योग लगाने नहीं आते हैं। कारण कि वहां पर जैसे गुजरात और मध्यप्रदेश की सीमा पर बांसवाड़ा दक्षिणी राजस्थान है, इसलिए जिस तरह भीलवाड़ा, जोधपुर, अलवर, उदयपुर आदि में उद्योग लगाने वालों को पन्द्रह प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, बांसवाड़ा में भी जो दो प्रान्तों की सीमा पर है, वहां पर भी अनुदान दिए जाने के लिए सरकार का प्रावधान करना चाहिए ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने के लिए लोग आवें और जो वास्तव में वहां पर कार्य कर रहे हैं उन उद्योगों को भी कच्चा माल लोहा, सीमेन्ट आदि खपत के अनुसार दिया जाना चाहिए। उनको फाइनेंस कोरपोरेशन से ऋण भी दिया जाता

(श्री नाथूराम)

है। इसलिए मेरा आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि जिन्होंने वहां पर उद्योग चला रखे हैं उनको ऋण भी दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा वहां पर उद्योग विभाग के द्वारा मूल्यांकन भी बराबर होता रहे तो वहां पर काम करने की सुविधा होगी। 1970 के बाद जो उद्योग लगाये हैं, वहां उद्योगों से पावर सब्सिडी की मांग की है, सरकार ने आदेश कर दिया लेकिन उनसे पावर सब्सिडी भी नहीं देते हैं। जो कच्चा माल है, सीमेन्ट, लोहा आदि वह भी उनको समय पर देना चाहिए ताकि लोग अपनी दिलचस्पी से उद्योग लगायें, यह मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं।

सभापति महोदय, इसके अलावा बांसवाड़ा जिले में कृषि के लिए आज जैसे सिंचाई के साधन होने चाहिए, लिफ्ट इर्रीगेशन से, प्रकृति की देन से पानी बहता रहता है जगह जगह इसलिए जो नदियों के किनारों से लिफ्ट सिंचाई की योजनाओं को स्वीकृति देकर उनको चलाना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो और वहां सिंचाई के साधन बढ़ें तो ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा होगा और वहां दुष्काल का भी अवसर नहीं आएगा।

इसी तरह से कृषि विभाग में वहां पर समय पर किसानों को खाद नहीं दिया जाता है, समय पर बीज नहीं दिया जाता है और जो खाद आता है वह भी काला बाजारी से बिकता है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि आपकी जो वितरण व्यवस्था है वह वितरण व्यवस्था सुधारनी चाहिए नहीं तो किसानों का शोषण होता रहेगा।

सभापति महोदय, आज भूमि सुधार के क्रांतिकारी कानून सरकार ने पास किए लेकिन इस कानून की समय पर पालना नहीं होती है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि आप कोई भी कानून किसी विभाग के लिए पास करें लेकिन उस कानून को पालना करनी चाहिए। आज सीलिंग का कानून हमने 1954 से सोचते सोचते 1959 और 60 में पास किया और आज यह 1974 हो गया लेकिन अभी तक इस सीलिंग के कानून का सही उपयोग नहीं हुआ। आज हजारों लोग जैसे दुष्काल में बरसात के लिए आशा लगाये रहते हैं उसी तरह से सीलिंग कानून से आशा लगाये बैठे हैं कि इस कानून से भूमिहीनों को भूमि मिलेगी, लेकिन आज लाखों की तादाद में लोगों को भूमि नहीं मिली है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हजारों लाखों की तादाद में जो भूमिहीन हैं उन लोगों को भूमि देना चाहिए ताकि वे काश्त कर सकें।

सभापति महोदय, आज किसानों का सब जगह शोषण हो रहा है। एक पटवारी से लेकर कोई भी सरकारी अधिकारी है, किसानों का हर समय शोषण करता है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि किसान, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के जो लोग हैं, आप उनके शोषण को मिटाने की कोशिश करें। आज हाउस में भी हमारे वन थर्ड अनुसूचित जाति और जन जाति के सदस्य-

(श्री नाथूराम)

गए हैं लेकिन वे भी एकता के साथ सरकार से उन कानूनों का पालन कराने के लिए सक्रिय कदम नहीं ले रहे हैं इसलिए सरकार भी ध्यान नहीं देती है इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि आप समाजवादी नीति की घोषणा कई बार कर चुके हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए हमेशा आप कई घोषणाएं करते हैं लेकिन आज इन पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा है, उनके शोषण को मिटाने के लिए सरकार ध्यान नहीं देती है। हमारे कुछ माननीय सदस्य एकता से सरकार को सही सुझाव भी नहीं देते हैं, नहीं तो सरकार बराबर ध्यान देगी। आज हमारे बजट के आंकड़े देखें, आज किसी भी विभाग का हम बजट देखें तो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है लेकिन अनुसूचित जाति और जन जाति के कल्याण के लिए पैसा खर्च नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि आप केवल ढिंढोरा न पीटें और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उत्थान के लिए आपका जो पैसा खर्च हो रहा है। उसके सही उपयोग के लिए आप को कदम उठाना चाहिए। भारत सरकार से भी कई सुविधा मिल रही है लेकिन जो सुविधा मिलती है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार से जो पैसा खर्च होता है और भारत सरकार से जो पैसा खर्च होता है उसका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कल्याण के लिए सही उपयोग हो, यही निवेदन करता हूँ।

श्री सभापति : श्री गिरिजाप्रसाद।

श्री गिरिराज प्रसाद (बयाना): माननीय सभापतिजी, अलग 2 विभागों की मांगें स्वीकृत की गई। आज हमारे सामने यह एप्रोप्रियेशन बिल है जिसको पास करने के लिए सदन में रखा गया है। इसमें राज्य की संचित निधि में से कुछ रकम सन् 1974-75 में भुगतान और विनियोजन के लिए प्राप्त की जाय, इसलिए यह बिल रखा गया है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि बिल पास नहीं हो। बहुत जरूरी है और यह जरूरी हुआ करता है। जहां तक एप्रोप्रियेशन का सवाल है बहुत अच्छा शब्द है, मंशा इसकी बहुत अच्छी है बशर्ते इसको अमल में लाया जाय। इसके साथ ही दूसरा शब्द होता है मिस-एप्रोप्रियेशन। देखना यह है कि कितना इसका एप्रोप्रियेशन करते हैं। और कितना मिस-एप्रोप्रियेशन करते हैं। फण्ड्स रखे जाते हैं वे खर्चा करने के लिए रखे जाते हैं, पर देखना यह है कि किस तरह से खर्चा होता है। सरकारी कर्मचारी सरकारी मशीनरी उसको किस तरह से खर्चा करती है। राज्य की जो संचित निधि है वह राजस्थान के गरीब से गरीब किसान, रात दिन काम करने वाले मेहनतकश से पैसा पैसा करके इकट्ठा करते हैं। और उस निधि के लिए यह आगस्ट हाउस और यह गवर्नमेंट ट्रस्टी है। जिस तरह से हम अपने पैसे को खर्च करते हैं, बड़े सोच समझ कर करते हैं, देखते हैं कि मिस यूज तो नहीं हो रहा है, मिस-एप्रोप्रियेशन तो नहीं हो रहा है, एक एक पैसा देख करके खर्च करते हैं, आया जितना हम खर्चा कर रहे हैं उतना उपयोग भी है या नहीं। इसी तरह से हम देखते हैं कि सरकार को यह ड्यूटी है, राज्य कर्मचारियों की यह ड्यूटी

Page No 99

(99)

(श्री गिर्राज प्रसाद)
है, छोटे से लेकर बड़े तक का यह फर्ज है कि उसको देखें।

जिस समय हमारे यहां बाढ़ आई थी, बांध टूट गए थे, बड़ा एक अजीब हाल हो गया था। हमको पैसा मिला, मैं घूम घूम कर गांवों को देखता था। यह देखता था कि आया वह पैसा लग भी रहा है या नहीं। उस काम में उस तरह की क्वालिटी भी है या नहीं। आप ताज्जुब करेंगे जिसमें सीमेंट नहीं, जिसमें चूना नहीं, इस तरह के काम देखने को मिले। वहां जो उच्च कर्मचारी हैं उनके सामने इसको लाए, मौके पर ठेकेदार थे उन लोगों को कहा भले आदमी यह गरीबों की कमाई का पैसा है, जनता का पैसा है। यह किसी का पैसा नहीं, यह हमारा पैसा है। हम हमारे काम में लगावें तो इसको ठीक तरह से लगावें। अर्थ वर्क हो रहा है, वास्तव में खुदाई भी हो रही है या नहीं, या इधर उधर से कुछ मिट्टी को काट करके जो पुराने चक हैं उनको नापने की कोशिश की गई, इस तरह की हमारी स्थिति है।

नतीजा यह हुआ कि कहना पड़ा। जिन जिन गांवों में मैं गया कहना पड़ा। यह हमारा फर्ज है, सरकार का फर्ज है कि पैसे का ठीक तरह से उपयोग हो। यह हमारा फर्ज है, विधायकों का फर्ज है, जनता का फर्ज है जनता के बच्चे बच्चे का फर्ज है कि पैसा ठीक तरह से खर्च हो। इस खर्च को देखने का सवाल है। कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं कि यह हमारा फर्ज है यह जो पैसा खर्च हो रहा है, यह हमारा ही पैसा खर्च हो रहा है। यह पैसा किस प्रकार से खर्च हो रहा है, सरकार के अलावा इसको हमें भी देखना है। यह पैसा कहीं सड़कों पर खर्च हो रहा है। कहीं पानी के बांध पर काम हो रहा है। तो ये जो सब काम हो रहे हैं इनको देखने की हमें जरूरत है। जहां सरकार के देखने का सवाल है, वहीं जनता के देखने का भी सवाल है, विधायकों के देखने का भी सवाल है। सबसे बड़ी चीज यह है कि मैं इस प्रिन्सीपल को मान कर चलता हूं कि यह पैसा हमारा ठीक तरह से काम में आवे। यह मिस एप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए। इधर का उधर न लगावें। जहां इसको लगाना है वहीं पर यह पैसा लगना चाहिए। यह पैसा किसी न किसी की जेब में जाता है। हिन्दुस्तान से बाहर नहीं जाता है। यह ओपन फैक्ट है कि जो पैसा खर्च होता है, उसमें कमीशन बंधा होता है नीचे से लेकर ऊपर तक। यह बात हमारे सामने भी आई है। फ्लड का काम हमारे यहां पर हुआ है। सरकारी उच्च अधिकारियों में कुछ ईमानदार भी हैं और उनसे बात हुई हम इस कमीशन को लीगलाइज्ड नहीं कर सके हैं। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं कि इसमें से कुछ न कुछ पैसा कमीशन का रहता है परन्तु बाकी का जो पैसा है वह किसी तरह से लगना चाहिए। इससे हमें सन्तोष होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। यह रूटीन का काम है। इसमें से निकाल कर बड़े से लेकर छोटे तक यह कमीशन चलता है आप यह देखिए। एक एक कर्मचारी कितनी ड्यूटी देता है। कुछ विभाग तो ऐसे हैं जहां पर सरकारी कर्मचारी काम न करें तो उसको चैन नहीं मिल सकता है। रात दिन उसको काम करना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि हमारा मकान किस तरह से बन रहा है। हम अपने काम को किस तरह से करते हैं। हम यह देखते हैं कि

(श्री गिर्राज प्रसाद)

हमारे मकान में फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही है। क्वालिटी वर्क हो रहा है। यह देखना पड़ेगा। परन्तु क्या हम इन कामों में देखते हैं मस्टर रोल फर्जी बनते हैं। अधिकतर काम फर्जी हो रहा है। काम नहीं होता है। इस तरह पैसा चला जाता है और किस तरह का काम होता है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकारी कर्मचारियों को, मिनिस्टर साहबान को और विधायकों को देखने की जरूरत है। यह गाढ़ी कमाई का पैसा है। हमारे राजस्थान के किसानों का पैसा है, छोटे व्यापारियों का पैसा है, बड़े व्यापारियों का पैसा है, वैसे बड़े कम पैसा देते हैं, फिर भी उनका पैसा है। उनके काम में लगाते हैं। तो यह ठीक तरह से खर्च होना चाहिए। देखने में आता है कि कई ग्राम पंचायतें हैं उनके फण्ड्स पोस्ट आफिस में जमा होना चाहिए परन्तु वह वहां पर जमा नहीं होता है। वह उनकी जेबों में ही रहता है। शिकायत होती है परन्तु फिर भी वह पैसा सरपंच की जेब में ही रहता है। कई बार वह पैसा गबन हो जाता है और सरकारी खजाने में जमा नहीं होता है। इस तरह से सरकार को नुकसान होता है। किसी भी डिपार्टमेंट में काम ठीक तरह से नहीं है। चाहे वह कोआपरेटिव डिपार्टमेंट हो या और कोई डिपार्टमेंट हो। बहुत सी ऐसी चीजें हैं पैसा जो सरकारी काम में लगना चाहिए था वह नहीं लगता है। जहां तक इस बिल की मंशा है, मैं यह महसूस करता हूं और करने की आवश्यकता भी है कि पैसा-पैसा, एक एक पाई फालतू नहीं लगनी चाहिए। वर्क हो, जो काम हो वह क्वालिटी वर्क हो तब तो राजस्थान का निर्माण कर सकेंगे वरना नहीं कर सकेंगे।

दूसरी बात, मैं महसूस करता हूं-वैसे यह डिमाण्ड्स पर रखनी चाहिए थी, पंचवर्षीय योजनाओं में यह योजना होनी चाहिए थी- हर जिले के अन्दर फण्ड्स का अलाटमेंट बराबर होना चाहिए। भरतपुर को बहुत से मिनिस्टर साहबान ने देखा है। सभापति महोदय, शायद यह कहा जाएगा कि मैं क्षेत्रीय भावना की बात करता हूं, जिले की बात करता हूं, क्षेत्र की बात करता हूं। मैं यह महसूस करता हूं कि छोटे से, नंगा हम घूमा करते थे भरतपुर की जमीन कैसी थी, आज की हालत में देखें तो आज भी वही हालत है भरतपुर की। कोई विशेष फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। सिंचाई के साधन भी वही हैं कोई डिपार्टमेंट यह कह दे कि इतना नया काम हो गया, 25 वर्ष आजादी के गुजर जाने के बाद 25 मील सड़क वहां पर बनायी हो, कोई यह बता दे तो मैं अपने शब्द वापस लेने को तैयार हूं। जब कि आज सबसे ज्यादा रेवेन्यु भरतपुर जिले की है।

श्री चन्दनमल वैद : आपके यहां पर एक नेशनल हाई वे बना है।

श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी : यह बहुत पुरानी सड़क है। इसमें सेन्ट्रल का पैसा है।

श्री चन्दनमल वैद : चाहे पुरानी सड़क हो। इसका स्टेन्डर्ड पुरानी सड़क के मुकाबले कम से कम 20 गुना अधिक है।

श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी : वह स्टेन्डर्ड बड़ी गाड़ियों के लिए, यातायात के लिए है। भरतपुर के लिए नहीं बनाया गया है।

(श्री गिरराज प्रसाद)

आम तरक्की के लिए भरतपुर के लिए कुछ नहीं है। सभापति महोदय, असन्तोष की बात है कि भरतपुर स्टेट के टाइम में जो सड़कें थीं आज वे तो रोड्स हैं। उन पर आज जीप नहीं चल सकती। कल परसों यहां पर यह चीज आई थी जो रोड्स हैं वे वाहन के चलने के काबिल हैं। वाहन तो क्या आदमी और जानवर भी उन पर नहीं चल सकता है। आज इन पुरानी सड़कों का मेन्टेनेंस भी नहीं रखा जा रहा है। मैं इस चीज को कह दूं तो कोई बात नहीं होगी। गवर्नमेंट के पास आरकोलाजिकल डिपार्टमेंट है जो प्राचीन चीजों को रखता है उनका संग्रह रखता है और रख-रखाव रखता है। यह सारा भरतपुर जिला इस आरकोलाजिकल डिपार्टमेंट को संभलवा दें। ताकि लोग यह देख सकेंगे कि हिन्दुस्तान में पहले क्या था। यह एक म्यूजियम की तरह रह जायेगा। आप पोलिटिकली पूरे जिले को इस डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दें।

एक माननीय सदस्य : उसमें आप भी होंगे।

श्री गिरराज प्रसाद तिवाड़ी : हम तो अपने आप आ जायेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर वह जो मैं कह रहा हूं फंड्स का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिये। सही एलाटमेंट होना चाहिये, तो काम ठीक होगा। जो जिला जिसमें कि पर, किलोमीटर 82 आदमी रहते हैं जन संख्या के हिसाब से उस जिले की यह हालत है जो कि मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। जितने भी काम आप वहां करेंगे उसकी रिटर्न मिलेगा चाहे वे सिंचाई के काम हों और चाहे वे बिजली के काम हों। जिस काम में भी आप पैसा लगायेंगे उनसे आपको रिटर्न मिलेगी। दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि यह जिला फुड में सरप्लस है। यह मैं मान कर चलता हूं कि फुड में हम सरप्लस हैं। परन्तु खेती का तरीका वही है। जो बंजर भूमि थी वह जोत के नीचे आ गयी और इस कारण से गल्ला बढ़ गया। वैसे कोई तरक्की नहीं हुई है। उसी तरह की हालत है। एप्रोप्रिएट और मिस एप्रोप्रियेट का सवाल है। यह एक अहमियत का सवाल है। आगे खुशी होगी गवर्नमेंट अगर आने वाले बजट में इस तरह की चीजें रखें जो पैसा है उससे सही काम हो। जितना पैसा लगे उतना काम होना चाहिये। सौ रुपये में से आज 60 रुपये का ही काम हो पाता है क्योंकि परसन्टेज कटते कटते यह 60 रह जाता है। यह पैसा भी अपने भाइयों की जेबों में जाता है। परन्तु काम नहीं होता है। यह एप्रोप्रिएशन बिल को पास करने जा रहे हैं। तो यह जो एप्रोप्रियेशन बिल हम पास करने जा रहे हैं मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा और मंत्रीगण भी बैठे हुए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस चीज को देखें।

बाढ़ हमारे यहां आई थी। उस समय माननीय मंत्री जी मदेरणा साहब थे। उन्होंने दिलचस्पी ली और उन्होंने कुछ तरीके बतलाये कि जिससे हमें भारत सरकार से पैसा अच्छा मिल सका। लेकिन वह जो पुराने काम थे उनकी मरम्मत नहीं हो सकी। जहां पर मिट्टी पड़ गई 10-

Page No 102

(102)

(श्री गिर्राज प्रसाद)

10, 15–15 फुट रेत जो कि जैसलमेर और बीकानेर में नहीं हो सकती, उसको अरलेज करने के लिये उसको ठीक करने के लिए कोई भी कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। हजारों एकड़ की तादाद में जमीन अभी तक बैरन पड़ी हुई है जिसमें कई फसलों का एक्सपेरीमेंट करके, किसानों ने रोटेशन करके कभी कोई फसल कभी कोई फसल करके देखी है, लेकिन वह चीज नहीं आई।

इसी संदर्भ में मैं यह कह दूं कि अगर भरतपुर जिले में ट्यूबवैल की क्लस्टर आ जाय, बिजली लग जाती है और सिंचाई के साधन हो जाते हैं तो यह दावा करूंगा कि गल्ले की समस्या पूरे राजस्थान की तो हल नहीं होगी लेकिन बहुत कुछ हल हो जावेगी। जहां करोड़ों की योजना हैं आप आंकड़े लगाकर देखें तो भरतपुर जिले की हरेक तहसील में अगर 100–100 ट्यूबवैल्स लगा दिये जाते हैं तो जो करोड़ों की योजना है उनके मुकाबले में कुछ विशेष खर्चा यहां पर नहीं होगा। वहां पर एक गांव एक मील पर है तो दूसरा गांव आधा मील की दूरी पर है तो यहां तो कोई गांव 10 मील या 15 मील की दूरी पर है या एक कुआ 10 मील की दूरी पर नजर आ रहा है ऐसी बात नहीं है, तो इन चीजों पर खर्चा कीजिये।

तो मैं विशेष इस सम्बन्ध में क्या कहूं मैं तो यही निवेदन कर देना चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाये। उनके कुछ बड़े कर्मचारी हैं वे अपनी जिम्मेवारी निभाये। वे अपने छोटे कर्मचारियों को अपने कुटुम्ब की हैसियत से मानकर चलें तो काम अच्छा हो सकता है, और हमारा जो मकसद है वह पूरा हो सकता है। मैं इतना ही निवेदन करना मुनासिब समझता हूं।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : माननीय सभापति महोदय, अभी अलग अलग डिमाण्ड्स पारित करने के बाद आज माननीय वित्त मंत्रीजी ने हमारा अगले साल जो खर्चा होने वाला है उस खर्चे को पास कराने के लिये एप्रोप्रियेशन बिल पेश किया है। इस बारे में हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने विचार किया है। गम्भीरता से, और मैं भी आपकी मारफत कुछ चीजें कहना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्रीजी से मैं यही कहना उपयुक्त समझूंगा कि जिन जिन विभागों में जिन जिन जिलों में ऐसी स्कीमों के लिए जो राज्यपाल महोदय ने घोषणाएं की हैं या आपने अपने जनरल बजट भाषण में घोषणाएं की हैं उनको क्रियान्वित कराने के लिए जो भी आपके पास फण्ड्स हैं—ज्यादातर तो केन्द्रीय सरकार पर निर्भर हैं, जो सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने कहा सहायता करी है उससे कुछ कठिनाई दूर हुई। आगे आने वाले साल यानी इस साल में कुछ अच्छे आसार फसलों के आयें तो रिकवरी जिलों में दनादन चल रही है और उससे भी काफी खजाने में धन आयेगा। परन्तु हम यही चाहेंगे कि आपने जिन जिलों में जितना पैसा रखा है तो आप विभागों को टाइट कीजिये। मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य की भी यही मन्शा थी,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

और जो सीनियर अधिकारी हैं वह जिस सेक्टर में जो पैसा रखा हुआ है वह उसी रूप में उसको खर्च करें। विशेष तौर से जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की भलाई की स्कीमें हैं उनकी कालोनीज में वाटर और बिजली का सवाल है तो वैसे ही उनमें पैसा कम होता है तो उनको पूरा करें और जिन जिलों में से स्कीमें आती हैं उनमें तो पैसा लग जाता है, लेकिन जिन जिलों की स्कीमें नहीं आती हैं तो उनका पैसा डाइवर्ट होकर दूसरे जिलों में खर्च हो जाता है। मैं, सभापतिजी, माननीय मंत्रीजी से आपकी मारफत निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे ही बहुत से जिले तो बैकवर्ड रह गये और वैसे ही कुछ जिलों में अगर वहां का मन्त्री है तो वहां पर ऑफिसर कार्यकुशल है, उनके ऊपर खींचतान होती है, और बहुत से जिलों के मंत्री नहीं हैं और हम केवल एम. एल. एज. कहीं कार्यकर्ता ही हैं तो हमारी कौन सुने, तो उन जिलों में भी राजस्थान के मंत्री जाकर और जिलों में जिस तरह से कार्यकुशलता से कार्य हो रहा है उस रूप में अन्य जिलों में कार्य करने की आवश्यकता है। माननीय सभापतिजी, आप जानते हैं कि बहुत से बैकवर्ड जिले हैं, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, जोधपुर तो इन जिलों में वैसे ही पैसा कम है, और जैसा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा कि कम से कम 2500 हजार की जन संख्या वाले गांव हैं उनको पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सड़कों से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 2500 हजार की जनसंख्या वाले रेगिस्तानी जिलों में एक भी गांव हमारे जिलों में [नहीं] मिलेगा ··तो सड़कें ऐसे इलाकों में कैसे बनेंगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 2500।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 2500 ही समझ लें तो वे भी इन जिलों में नहीं मिलेगा। वैसे ही अब तक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है तो वहां पर एक प्लान ही बनाने का सवाल नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है तो उसको डाइवर्ट करके जहां पर पैसा खत्म हो जाता है, जिले का कलेक्टर अपने आफिसरों से पूछता है कि जो पैसा निर्धारित किया है उसको बराबर लगा सकेंगे कि नहीं, और जिन जिलों के अधिकारी होशियार हैं तो उन्होंने पैसा लगा दिया, नहीं तो पैसा डाइवर्ट होकर इधर का उधर सरेन्डर करके लगाया जाता है। इस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है।

जो जिले बैकवर्ड हैं उनके लिए एक तो केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता है। वे बैकवर्ड जिले हैं हर हिसाब से, वे बैकवर्ड हैं रोड के हिसाब से, बिजली के हिसाब से, पानी के हिसाब से और औद्योगिक दृष्टि से। माननीय सभापति जी, मैं आपकी मारफत वित्त मन्त्रीजी से कहना उपयुक्त समझूंगा कि औद्योगिक दृष्टि से वे जिले पिछड़े हुए तो हैं ही··

(4.16 म. प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

····उनके लिए छोटे छोटे उद्योग धन्धे खुलवाने की तरफ उन बैकवर्ड जिलों के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लिए ध्यान नहीं देंगे तो हमारे गांवों के लोग शिक्षित होकर बेकार बैठे हैं, उनके गरीब मां-बापों ने उनको पढ़ाकर तैयार किया है वे लड़के मारे-मारे फिरते हैं उनको कोई एम्प्लायमेंट मिलने की फेसिलिटी नहीं है। सभापतिजी, आपको भली-भांति मालूम होगा कि जो बड़े शहर हैं और जहां कि बड़े बड़े अधिकारी हैं तो यह देखा गया है कि एक अधिकारी है तो उसकी फेमिली के सारे के सारे लोग एम्प्लायड हो जाते हैं। गांव का एक गरीब लड़का पढ़कर एम. ए. पास करता है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बात अलग है उनमें भी पढ़े-लिखे बहुत से बेकार बैठे हैं और जो थोड़ा बहुत स्टीपेंड एम. ए. पास को देते हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं, वह बेकार बैठा रहता है। आप कहते है कि शिक्षा दिलाओ। गांवों के जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनको अनुपात में एम्प्लायमेंट देने के लिए कोई योजना सरकार की नहीं होगी तो दिन बदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। गांवों और शहरों में जो आजकल वातावरण चल रहा है यह आगे जाकर झगड़े का रूप धारण कर लेंगे। तो, सभापतिजी, मैं यह चाहता हूं कि उनके लिए कुछ किया जाय। वैसे आपके मिनिमम नीड्स प्रोग्राम हैं या ए. पी. डी. पी. का कार्यक्रम है उनमें एम्प्लायमेंट देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने जो पैसा स्टेट्स को दिया है, तो इस रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपको भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना एक घर में 10 आदमी हैं तो दसों ही नौकरी में लगे हुए हैं। शहर के अन्दर जो सीनियर आफिसर हैं उनके तो रिश्तेदार भी हमने देखा है कि बैठे रहते हैं। हमें देखने को मिला है कि एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं तो गांव वालों के पास अखबार नहीं जाता है उनके पास कोई जानकारी का सोर्स नहीं है। वैसे तो एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज उनके नाम दर्ज करता ही नहीं और नाम दर्ज करता है तो जिलेवाइज एम्प्लायमेंट के लिए एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को लिखा भी नहीं जाता है। यह हमारा सौभाग्य है एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज आफिसेज तो खोल दिये हैं, नाम तो दर्ज हो जाता है, परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज जो एडवरटाइजमेंट निकालता है, जो एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के जरिये से एम्प्लायमेंट देते हैं तो बाहर के जिलों से कितने लोग पहुंच जाते हैं। कभी नहीं जाते हैं। हम यह देखते हैं कि 75 परसेन्ट, जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर ऐसी जगहों से वह मंगा लेंगे, लेकिन बैकवर्ड जिलों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। तो इस रूप में हमारे वित्तीय संकट को देखते हुए जो हम इस रूप के अन्दर एम्प्लायमेंट के जरिये ग्रामीण क्षेत्र के जो शिक्षित लोग हैं हायर सैकण्डरी पास उनको जरूर चपरासियों या मास्टरों के रूप में एम्प्लायमेंट आप देते हैं लेकिन दूसरे रूप में कोई एम्प्लायमेंट नहीं मिलता है तो राजस्थान सरकार को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिए।

सभापतिजी, इसके अलावा कुछ ऊपर के अधिकारियों की बात तो हम कहते हैं कि आनेस्टी हैं। आई. ए. एस. और आई. पी. एस. के सीनियर आफिसर हैं उनकी ज्यादातर आलोचना नहीं करते हैं, और

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

वैसे सारे अधिकारी भ्रष्ट नहीं हो सकते, परन्तु नीचे के स्तर जिले के लेवल पर जब तक अधिकारी आनेस्टी से काम नहीं करेंगे किसी भी क्षेत्र में हों और राज्य सरकार की जो निर्धारित नीति है उसकी अगर पालना नहीं करेंगे तो जो हमारा मकसद है वह कभी पूरा नहीं होने वाला है। मंत्री मण्डल में जो जन-प्रतिनिधि होते हैं वह थोड़े होते हैं और ऊपर बैठे हुए हैं वे कहां कहां जा सकते हैं। जिला लेवल पर विजिलेन्स कमेटियां हैं। वहां के जो अधिकारी हैं, जो राज्य सरकार ने नीति निर्धारित की है उसकी अगर पालना पूरे रूप में अगर नहीं करें तो हमारा यह जो मकसद है वह पूरा होने वाला नहीं है। तो इसलिए सभापति महोदय, हमारा जो एप्रोप्रिएशन बिल है, वैसे तो अपने पक्ष की दृष्टि से हर आदमी ध्यान आकर्षित करता है और कर सकता है। हालांकि जितनी आप चर्चा रखना चाहें रख सकते हैं। परन्तु मैं चाहूंगा कि माइनिंग विभाग इण्डस्ट्री और स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज हैं, आप इनका सर्वेक्षण करायें और इनका आगे का स्कोप बनायें। ताकि हम भी अपने क्षेत्र की जनता को कुछ कह सकें। इसके अलावा हमारा देश आज खाद्य के संकट से गुजर रहा है। आज हम ज्यादा से ज्यादा सिंचाई, बिजली और पशुपालन के क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं। जहां बिजली की सम्भावना नहीं है, वहां पशु पालन का स्कोप है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि उन्होंने डेयरी की स्कीम बनाई है। जो कार्यक्रम है, उनको उसको पूरा करना चाहिए। जो पूरे नहीं होते हैं, उनकी आलोचना होती है। एक ही उदाहरण ले लें आज हमारे प्रश्न के जवाब में, परिवार नियोजन का जवाब आया। उन्होंने कहा कि हमारे पास उपकरण नहीं थे। जीप नहीं थी। पेट्रोल मिला नहीं था। यह ठीक है कि बजट खत्म हो सकता है। बात यह है कि वहां के कर्मचारियों के इण्ट्रेस्ट नहीं लेने से यह कार्यक्रम पूरा नहीं हो सका है। यह आठवां कारण है। इसमें लिखा है कि कर्मचारियों का कार्य में दिलचस्पी का अभाव था। यह क्या है? आज यह एक आम भावना हो गई है। आज का कर्मचारी करप्शन में लिप्त हो गया है। जब कि भ्रष्टाचार के बारे में एक डिपार्टमेन्ट अलग है। यह भी सही है कि कुछ अधिकारी ठीक भी हैं। तो जो अधिकारी ठीक है, उनको उत्साहित करने की आवश्यकता है। कोई ठीक नहीं है तो ऐसे करप्ट आफिसर की सभी तरफ से आलोचना होनी चाहिए। जो अधिकारी बैकवर्ड एरिया में जाते हैं तो वहां पर ज्यादा करप्ट होते हैं। अगर वही पढ़े लिखे लोगों में जाते हैं तो वहां अपने आप ठीक रहते हैं। तो यह एप्रोप्रियेशन बिल हम पास करने जा रहे हैं और यह दायित्व भी आप का सबसे ज्यादा रहा है। जो एप्रोप्रियेशन बिल के द्वारा धन देते हैं। इसके अलावा भी आपकी गलती से सप्लीमेण्टरी बजट लाखों का हो जाता है। ऐसी रिपोर्ट्स भी आती है कि विभाग सवउजह नहीं देता है। राज्य सरकार का और मदों का इधर से उधर खर्चा हो जाता है। मैं चाहूंगा, हमारे वित्त मन्त्री जी बहुत होशियार हैं। इतना मौका नहीं देते हैं। उनका उत्तरदायित्व भी रहा है। लिहाजा मैं इन्हीं शब्दों के साथ में, ज्यादा कहना उचित नहीं समझता हूं। जो योजनाएं हमारी हैं जो बैकवर्ड जिले हैं, उनकी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

तरक्की की तरफ ध्यान दें। इस साल जो काश्तकारों की फसलों की हानि हुई है, उस पर ध्यान दिया जाये। सरकारी अफसरों की गफलत की वजह से सरकार को परेशानी होती है। फूड कारपोरेशन की वजह से सरकार को परेशानी होती है। सरकार की मंशा साफ है। परन्तु अधिकारी आगे काम नहीं करते हैं। इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपकी मार्फत चाहूंगा कि जो भी हम आज विचार करने जा रहे हैं, मैं माननीय वित्तमन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह यह ध्यान रखें कि इसका विभागवाइज ठीक खर्चा हो। इसका मिस एप्रोप्रियेशन न हो। जिनके लिए यह निर्धारित है, उन्हीं में खर्चा हो। इसका वित्त मन्त्रीजी पूरा ध्यान रखें।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, विनियोग विधेयक, 1974 हमारे सामने है। जिस एप्रोप्रियेशन बिल के द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार देंगे, जिससे कि राज्य को वह व्यवस्था करे वह ठीक तरह से व्यवस्था करे। यह जो राशि हम एप्रोप्रियेशन करने जा रहे हैं, उन डिमांड्स की राशि का अगर सही तरीके से उपयोग होता है तो हमारा यह एप्रोप्रियेशन बिल पारित करना भी सार्थक होगा। परन्तु आज हम यह देखते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स हैं, उन राशियों का सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं। तो यह हमारी गवर्नमेंट की कमजोरी है। इसका कारण यह है कि हमारा गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स पर नियन्त्रण नहीं है। उन पर हमारा कन्ट्रोल नहीं है। यह हमारी कमजोरी है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारा जो मन्त्रिमण्डल है, कांग्रेस पार्टी का और जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है. इस राशि को सही तरीके से उपयोग करने के लिए। मन्त्रिमण्डल के सदस्य दे आर ट्रस्टीज। गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स, दे आर ट्रस्टीज। यह कर्तव्य किस प्रकार से पालन करते हैं यह हमको देखना है। यह सन् 1974-75 का एप्रोप्रियेशन बिल हम पारित करने जा रहे हैं। यह इससे मालूम होगा। इस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं। हम एक दिशा में आगे बढ़े हैं। पहले हमारा घाटे का बजट होता था। अब हम घाटे के बजाय सन्तुलित बजट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमें सफलता भी मिली है। परन्तु हमें यह भी सोचना है कि अगर हम घाटे का बजट बनायें और अगर हम विकास करते हैं तो मैं तो यह समझता हूं कि यह घाटे का बजट बनाना भी तभी सार्थक होगा। अगर घाटे का बजट न बनाकर भी हमारे विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है तो यह तरक्की नहीं होती है। तो वह सन्तुलित बजट भी विकास की ओर नहीं ले जायेगा।

हमने जो 1973-74 में व्यय किया, हम 1974-75 में 79.80 करोड़ रुपया व्यय करने जा रहे हैं, इस योजना के द्वारा जो इस वर्ष प्रोग्रेस करने जा रहे हैं वह प्रोग्रेस, मैंने अच्छी तरह से मालूम किया है, सैटिसफैक्ट्री प्रोग्रेस नहीं है। योजना के बारे में जो हमने प्राविजन किया है, दूसरे डिपार्टमेंट्स के बारे में जो हमने प्राविजन किया है, रोड्स के बारे में जो हमने प्राविजन किया है, इरिगेशन या पावर के बारे में हमने जो प्राविजन किया है, हमारी प्रगति धीमी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

है। हम 635 करोड़ रुपये की पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनाने जा रहे हैं, इस साल 79.80 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं, फिर दूसरी साल में और अधिक खर्च करना पड़ेगी, तीसरी साल और अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। जब अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी तो अधिक साधन प्रान्त को जुटाने पड़ेंगे। इसके लिए हमें अभी से प्रयास करना चाहिए। टैक्सेज हमने काफी बढ़ाये हैं, हम सेचुरेशन पाइन्ट पर पहुंच गये हैं तो हमें नान-टैक्स रेवेन्यू बढ़ानी पड़ेगी। मैं वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करूंगा कि उनका ध्यान नान-टैक्स रेवेन्यू की तरफ गया है, राक फास्फेट से आय बढ़ेगी, यह नान-टैक्स रेवेन्यू की है। उनको चाहिए जो स्टेट एन्टरप्राइज हैं, उन स्टेट एन्टरप्राइज से अपने प्रान्त की काफी स्थिति सुधर सकती है, वह स्टेट एन्टर प्राइज सक्सेसफुल हो सकते हैं, उनसे काफी लाभ हो सकता है। रोडवेज कोर्पोरेशन के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था, कल ही मेरे को जवाब मिला है, रोडवेज कोर्पोरेशन में 24 लाख रुपये का नफा है, 1973-74 में हुआ है। हम यह चाहते हैं कि दूसरे एन्टरप्राइज भी प्रफिट में रहें और यह रोडवेज कोर्पोरेशन है, जिसका पांचवी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं, सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं, हण्ड्रेड पर्सेन्ट राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं, आपको इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए कि यह अच्छा आय का स्रोत बने, और इस प्रकार हमारी नान-टैक्स रेवेन्यू बढ़े।

मिनरल्स के अन्दर भी राक फास्फेट से आपने आय का स्रोत बढ़ाया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी राक फास्फेट है, यद्यपि इन्फीरिअर क्वालिटी का है, उसको भी एग्जामिन करें, उससे भी प्राफिट हो सकता है, तो उससे भी इनकम का सोर्स बढ़ायें।

साथ साथ यह भी मेरा निवेदन है कि नान-टैक्स रेवेन्यू, जो कि फारेस्ट डिपार्टमेंट है, उससे भी एकत्रित कर सकते हैं। भूमि एवं भवन कर, जो सदन ने पारित किया है, उसकी रेट हाफ पर्सेन्ट है, उसको बढ़ा कर इनकम बढ़ा सकते हैं। साथ साथ जो लोन्स हैं, कोपरेटिव के लोन्स हैं, फेमिन के लोन्स हैं, म्युनिसिपेलिटी के लोन्स-इनके 1971-72 के लोन हैं, मैं बतलाना चाहता हूं फेमिन का लोन है 11.68 लाख, पंचायत के लोन हैं 22.83 लाख, म्युनिसिपेलिटी एण्ड म्युनिसिपल कोर्पोरेशन के लोन हैं 2.49 लाख, कापरेटिव इन्स्टीट्यूशन के लोन हैं 5.26 लाख-कुल मिला कर 43.25 लाख हैं। यह सभी लोन की रिकवरी करनी है, और मैं वित्त मंत्री जी को और राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राज्य सरकार का ध्यान इस ओर गया है। इस वर्ष जो वसूली हो रही है, जो विभिन्न जिलों में उसकी गति बड़ी तेज है, परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं, कि ऐसी गति तेज न कर दें कि जिससे गरीब पर बड़ा भारी प्रहार हो जाय। पहले तो आपने उन गांवों में, जहां फेमिन था, राहत कार्य खोले थे, वहां बहुत सुविधायें दी थीं, परन्तु इस वर्ष राजस्थान गवर्नमेंट जिस प्रकार के स्टेप उठा रही है, कदम उठा रही है, बाड़मेर जिले में कुल गांव ऐसे हैं जहां फेमिन है, जैसलमेर डिविजन में भी फेमिन है, बांसवाड़ा डिविजन में फेमिन है, इन जिलों में भी कई गांव हैं, वहां हालत खराब

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

है, उनके अन्दर फेमीन डिक्लेअर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वहां कदम उठाना उचित नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि जिन गांवों में स्थिति अच्छी है, उन गांवों में आप कोपरेटिव सोसायटी की वसूली करिये, जो फेमिन की वसूली है, वह करिये, म्युनिसिपैलिटीज एण्ड पंचायत की ड्यूज हैं, वह वसूल करिये, परन्तु जिन गांवों में फेमिन की स्थिति है, वहां फेमीन डिक्लेअर न करके उनमें वसूली की जाय, और उन गांवों की जनता को परेशान किया जाय तो यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा और जो फेमिन अफेक्टेड विलेजेज हैं, जिनकी लिस्ट कलेक्टर ने भेज दी है, उनको फेमिन अफेक्टेड डिक्लेयर कर के उनमें सस्पेंशन आफ प्रासिडिंग्स हो जो सूट्स चल रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं, उनकी सस्पेन्शन आफ प्रासिडिंग्स करनी होगी। जिनमें दावा करके डिग्री करके हासिल कर सकते हैं, वहां सस्पेन्शन आफ प्रासिडिंग्स हो, और वहां पर सूटस बन्द करनी होगी। राज्य सरकार के ड्यूज हैं, उनकी वसूली भी बन्द करनी होगी। यह कदम उठाने पड़ेंगे। पिछले वर्षों के अन्दर, जब फेमिन पड़ा था, तब तो आपने सुविधायें दीं और इस वर्ष एकदम उनको स्क्वीज करके, तंग करके, परेशान करके, उनकी कुर्कियां करके, उनसे वसूली कर रहे हैं, जिन गांवों में जिनकी स्थिति खराब है, हालत खराब है, जो फेमीन अफेक्टेड विलेजेज हैं, यह स्थिति हमारे लिए सहनीय नहीं है। हमारे बाड़मेर में, जहां पांच छः वर्ष से फेमिन अफेक्टेड गांव थे, अब कुछ जमाना आया है, उनमें स्पेशल ग्रेचूटस रिलीफ दिया था वह तीन चार किश्त में एक साथ वसूल करने की कोशिश करें, तो चार किश्त एक साथ देना उनके लिए आसान नहीं है, मुश्किल है। हमने अभी लेवी दी, उस लेवी का लाभ भी नहीं मिले, परन्तु उन गांवों में चार चार किश्त स्पेशल ग्रेचुट रिलीफ की, जिसका अमाउन्ट 1 हजार एक फेमिली का होता है, डेढ़ हजार होता है, किसी का दो हजार होता है वह एकदम देना कठिन होता है। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए और सोच कर निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार की वसूली को आगे की ओर बढ़ाया जाय। ठीक है, दो हिस्से ले लीजिये,—एक हिस्सा ले लीजिये लेकिन जहां फेमिन कन्डीशन हैं वहां कतई मत लीजिये। हमारी समाजवादी गवर्नमेंट है और गांव के गरीब काश्तकार हैं, उनके प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। वैसे भी हम वचनबद्ध हैं। इसलिए हमें इस प्रकार के कदम उठाने पड़ेंगे जिनसे उन किसानों को, जिनकी हालत खराब है, और कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा।

अब मैं यह भी चाहता हूं, अपनी आय बढ़ानी चाहिए और उस आय की वसूली में भी पूरा इन्ट्रेस्ट लेना चाहिए। इन्सपेक्टर हैं, एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर हैं, और जो आफिसर वगैरह हैं, वह सब पूरी शक्ति लगायें। सेल्स टैक्स के आफिसर हैं, वह भी पूरी शक्ति लगा कर टैक्सेज की वसूली में पूरा इन्ट्रेस्ट लें। परन्तु साथ साथ मुझे यह भी कहना है कि इन टैक्सेज की वसूली करने के बाद में हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी हमारी आय का सोर्स एकत्रित करें, उसमें हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट में हम कितनी इकानामी कर सकते हैं, उनमें कितनी पोस्ट ऐसी हैं,

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

उन पोस्ट्स के बगैर काम चला सकते हैं तो हमें इकानामी करनी चाहिये। यात्रा भत्ता के बारे में भी बार बार ट्रांसफर्स करके पैसा खर्च करें, मेडीकल रीइम्बर्समेंट के बारे में भी सोचें, जीपों के दुरुपयोग को सोचें, पैट्रोल ज्यादा काम में नहीं लें क्योंकि देश में पैट्रोल की कमी है। इन सब बातों को देखते हुए हम जितना कम खर्च करेंगे उतना अच्छा है। मंत्री मंडल अपने सामने आदर्श रखे सिम्पल लिविंग हाई थिंकिंग का दृष्टिकोण को लेकर चले तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

कर लगाने के बाद भी जो शराब के पीने से आय बना रहे हैं, यह सोचने का तरीका हमारा ठीक नहीं है और बड़े परेशान होते हैं जितनी आय हो रही है हर साल शराब से रेवेन्यू ज्यादा बढ़ रही है और हमें संतोष हो रहा है। शराब आय का मुख्य सोर्स हो रहा है तो हम चाहते हैं कि यह जो आय का साधन है, इसको बंद करें दूसरे सोर्सेज में शक्ति लगानी पड़ेगी क्योंकि हमने जब कांग्रेस में प्रवेश किया तो हमने प्रतिज्ञा की कि हम शराब नहीं पीयेंगे, सक्रिय सदस्य तो शराब पीते ही नहीं महात्मा गांधी ने शराबबंदी के लिये जोर दिया तो हमने भी शराबबंदी के लिये 1972-73 में संकल्प किया था कि बंद करेंगे। हम अपनी नीतियों से हट रहे हैं मैं अपने जिले की बात करता हूं जहां शराबबंदी की है, वहां शराब और बढ़ गयी है, यह हमारी सरकार की कमजोरी है। प्रिवेन्टिव फोर्स लगाया हुआ नहीं है। जहां शराबबंदी होती है उन क्षेत्रों में हमें ज्यादा शक्ति लगानी चाहिये। उन केसेज को ज्यादा पकड़ना चाहिये। और यह काग्निजेबल आफेंस और नान-बेलेबुल आफेंस होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : यह तो स्मगलिंग फोर्स है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ठीक है, वे खुद शराब पीते हैं, पुलिस अधिकारी शराब पीते हैं और जन प्रतिनिधि भी पीते हैं, सर्विसेज के अच्छे अच्छे अधिकारी पीते हैं। अब पुलिस कोई इन्ट्रेस्ट नहीं लेती क्योंकि वह काग्निजेबल आफेंस नहीं है इसलिए हमें तय करना पड़ेगा ताकि शराबबंदी का पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर पायें। अगर यह नहीं करते हैं तो घोषणा की

(4.43 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जाय कि हम शराबबंदी नहीं करेंगे। यह स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं ताकि जनता को पता लगे कि हम कांग्रेस सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर शराबबंदी करना चाहते हैं तो घोषणा करें कि इतने समय में यह काम करेंगे और उसके लिये प्रोग्राम बना दें।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल को पारित करने से पूर्व निवेदन करना चाहता हूं कि अनेक माननीय सदस्यों ने प्रशासन में मितव्ययता करने के बारे में विचार प्रकट किए। विशेष कर मैं राजस्व विभाग की

(श्री प्रताप सिंह)

तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्व विभाग में जो गत वर्ष या उससे पहले आपने एक योजना का सर्वेक्षण कराया था माननीय सदस्यों द्वारा, उसका कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार अनेक योजनायें बनाते हैं, लाखों रुपये व्यय कर देते हैं और इससे जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। अजमेर जिले में भूलेख अभिशोधन का कार्य हुआ, 5-6 लाख रुपये व्यय हुए लेकिन कोई भी सक्रिय रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है। जब इतना व्यय कर दिया गया है वहां पर तो फिर क्या कारण है कि बिल्कुल उसको निग्लेक्ट करके चले जा रहे हैं?

इसके साथ में जो वहां वन क्षेत्र में कार्य किया गया उसमें लगभग एक करोड़ रुपये अकाल कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विकास पर व्यय किये गये। उसकी सुरक्षा के लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं है तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक करोड़ रुपये की राशि जो राष्ट्र की हमने व्यय की उसके लिए कोई सुरक्षा का प्रबन्ध न करके हम प्रगति नहीं कर सकते। वहां पर वनों के खंडों का, विकास किया गया है, उनकी समुचित व्यवस्था मंत्री महोदय करें तो अच्छा होगा।

इसी तरह से जो योजनाएं हाथ में ली जाती हैं वे शुरू में यह कहकर ले ली जाती हैं कि ये विकास कार्य हैं परन्तु फिर उनको सुचारु रूप से मेन्टेन करने के लिए सरकार बजट में कोई प्रावधान नहीं रखती है। करोड़ों रुपये की जो हानि होती है उसको रोकने के लिए भी राज्य सरकार को कोई सुव्यवस्थित ढंग से विचार करना चाहिए।

इसी प्रकार खाद्य के लिए जो वितरण प्रणाली है वह कतई संतोषजनक नहीं है। खाद्य निगम पर जो राज्य सरकार का नियन्त्रण होना चाहिये वह सीधा नियंत्रण तो कोई भी नहीं है। या तो खाद्य वितरण खाद्य निगम से हटाकर राज्य सरकार अपने खुद के जो स्टेट वेयर-हाऊसेज हैं उनके माध्यम से अथवा अन्य एजेन्सीज के द्वारा वितरण प्रणाली ठीक करने का कार्य करे ताकि जनता को लाभ मिल सके अन्यथा खाद्य निगम का सीधा केन्द्र से सम्बन्ध है, वह अपने आपको राज्य के अधीन नहीं मानता है और जिला स्तर पर भी जिलाधीश उन पर नियन्त्रण रखने में अक्षम हैं। ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार विचार करे तो जनता को लाभ मिल सकेगा।

उत्पादन के सम्बन्ध में निवेदन है कि आज मजदूरों में असंतोष है। वेजेज के संबंध में अथवा अन्य विवादों के सम्बन्ध में जो उनके प्रति उपेक्षा करती जा रही है, इसका प्रभाव सीधा उत्पादन पर पड़ता है। आए दिन जो स्ट्राइक्स और लाक आउट्स करते रहते हैं, इसमें भी सरकार निश्चित नीति अपना कर घोषणा करे तो हमारा उत्पादन अधिक बढ़ सकता है। कल मजदूरों की आवास व्यवस्था की सदन में चर्चा हो रही थी उसके लिए मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि किशनगढ़ में हाथ-कर्घा सहकारी संस्था है उसने सरकारी अनुदान से 60 आवास क्वार्टर्स बनाए, लेकिन किसी ठेकेदार की

(श्री प्रतापसिंह)

व्यवस्था होने के कारण ठेकेदार ने कोर्ट से डिक्री प्राप्त करली। 50 क्वार्टर्स को अपनी संपत्ति घोषित कराने के लिए वह कार्यवाही कर रहे हैं। ऐसी जो सहकारी संस्था है जिसमें सरकार के इतने लाखों रुपये लगे हुए है उसको ध्यान में रखते हुए उसको बचाने के लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर प्रकाश डाला इसलिए मैं हाउस का समय उन सभी मुद्दों पर न लेकर कुछ मुद्दों पर ही निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान एक ऐसे विभाग कि ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसकी कि चर्चा इस सदन में काफी रही है। यह है समाज कल्याण विभाग। उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग में आज मूलभूत परिवर्तन करने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी पार्टी का बेलेन्स अगर कोई लोग बनाते हैं तो वह हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज गांवों में जो लोग एक अलग साईड में रहते हैं जो कि पिछड़े वर्ग के लोग जो हरिजन हैं वह रहते हैं। आज हमें उन साधनहीन लोगों की हालत में सुधार करने की सख्त जरूरत है। अगर हमें सच्चे तौर से समाज कल्याण करना है तो हमें उन लोगों को ऊंचा उठाना पड़ेगा। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम समाज कल्याण विभाग में उनके कल्याण के लिए उन्हीं लोगों को लें। आज समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं वह उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों के द्वारा किया जाना चाहिये। नहीं तो आज यह हो रहा है कि जो पैसा इन लोगों के लिए खर्च होना चाहिये वह इन लोगों के लिए खर्च नहीं होकर सवर्ण लोगों के लिए खर्च हो रहा है। आज सवर्ण लोग ही उस पैसे का फायदा उठा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह है कि आज जितने भी समाज कल्याण अधिकारी या और दूसरे अधिकारी समाज कल्याण विभाग में हैं वह ज्यादातर सवर्ण लोगों में से हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि समाज कल्याण विभाग का अध्यक्ष और समाज कल्याण विभाग में जितने भी अधिकारी हैं वह सभी इन्हीं लोगों में से होने चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि यह लोग जितना पैसा हम उन्हें देते हैं वह कहां कहां खर्च होना चाहिये इसकी प्राथमिकता को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, वह उसे काफी ढंग से खर्च कर सकेंगे। नहीं तो ऐसा होता है, उपाध्यक्ष महोदय कि आज आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि ऐसे समाज कल्याण अधिकारी हैं जो कि सवर्ण हैं वह किसी भी हरिजन को अपने सामने कुर्सी पर नहीं बैठने देते हैं। आज यही कारण है कि जो सुविधायें हम हरिजनों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को देना चाहते हैं चाहे मकान बनाने के लिए, चाहे बिजली वगैरह के लिए वह उनके यहां पर सुविधा नहीं होती है बल्कि सवर्णों के यहां पर बिजली, नल वगैरह लग जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा कई स्थानों पर इन हरिजनों के लड़कों के लिये बोर्डिंग हाउसेज बनाए हुए हैं। इनके

(श्री दीपंकर)

इन्सपेक्शन्स के लिये जब यह समाज कल्याण अधिकारी लोग जाते हैं तो इन्हें बड़े ठाठबाट से भोजन कराया जाता है। इनके ठहरने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की जाती है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह कोनसे पैसे से की जाती है? यह हरिजनों के काम के लिये जो राज्य सरकार ने पैसा अलोट किया है वही है। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि ऐसे पदों से इन सवर्ण जाति के लोगों को तुरन्त हटाया जाना चाहिये। और इनकी जगह पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लगाया जाना चाहिये। इससे यह फायदा होगा कि जो पैसा राज्य सरकार देती है वह उसी कार्य में लगे न कि दूसरे कामों में। उदाहरण के तौर पर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने भंगी कष्ट मुक्ति निवारण हेतु प्रोग्राम तय किये थे। राज्य सरकार ने इसके लिये पैसा नगरपालिकाओं को देना स्वीकार किया था। लेकिन वह पैसा भी उस काम में नहीं आया दूसरे कामों में ले लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, आज भारत वर्ष को आजाद हुए 25 साल से ज्यादा हो गये हैं। लेकिन हम अभी तक हमारे समाज की इस कुरीति को नहीं मिटा सके हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें संकल्प करना चाहिये कि इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसको हमारे यहां से हटादें। इससे ज्यादा दुःख और लज्जाजनक बात क्या हो सकती है कि एक इन्सान का मैला दूसरा इन्सान अपने सिर पर उठाये। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर दो साल पहले बजट में यह घोषणा की गयी थी कि हरिजनों और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के मकान हैं उन्हें पक्का करवायेंगे तथा कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों के मोहल्लों में नल बिजली की योजना पूरी तरह से चालू करेंगे। उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह पैसा भी समाज कल्याण विभाग द्वारा पूरी तरह से इन कार्यों पर खर्च नहीं किया गया। जो हाउसिंग सोसाइटीज बनायी गयी थीं उनके द्वारा इन लोगों को पैसा मिल नहीं रहा है। प्रक्रिया इसके लिये नियमों की ऐसी है कि उनके हाथ पैसा आता नहीं है। हाउसिंग सोसायटीज से दूसरे लोग पैसा ले लेते हैं। दूसरों ने अपने मकान बना लिये हैं इसकी जांच की जाय। इसके लिए मेरा सुझाव है कि राजस्थान लेवल पर इन सोसाइटीज के लिये एक बोर्ड बनाया जाय जिसका अध्यक्ष हरिजन होना चाहिये। नहीं तो आज यह हो रहा है कि जो 750-1000 रुपये उनको सबसिडी दी जाती थी वह भी नहीं मिल रही है। जितना पैसा उनको मिलना चाहिये उससे ज्यादा तो उन लोगों का जयपुर में आने जाने में खर्च हो जाता है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है मन्त्री महोदय से कि इसके लिये कोई सरल तरीका अपनायें जैसा कि मैंने कहा कि आप इन सोसाइटीज के अध्यक्ष चाहे गांवों में, चाहे शहरों में या पंचायत समितियों में और पंचायतों में हरिजनों को बनायें ताकि वह हरिजनों को मकान बनाकर देने की सुविधा प्रदान कर सकेंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार इस पर विचार करे। ऐसा करने से, उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों को न्याय मिलेगा। नहीं तो इन सवर्णों के भरोसे तो हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों

(श्री दीपंकर)

को कोई न्याय मिलना नहीं है। इसके अलावा यह आज जितनी सोसाइटीज बिल्डिंग्ज बनाने के लिए चल रही हैं और जितने हरिजन बोर्ड चल रहे हैं उनमें बहुत गड़बड़ घोटाले हैं। इसको हम हर साल जो आडिट रिपोर्ट आती है उसमें देखते हैं। लोगों ने हजारों रुपये का गबन कर लिया है तो यह गबन करने वाले समाज का कल्याण क्या करेंगे? इसलिये मेरा सुझाव है कि जो नल बिजली व्यवस्था के बारे में हैं, चाहे शहरों में हो, चाहे गांवों में हो, वह समाज कल्याण विभाग के द्वारा कार्य नहीं करवा कर-नगरपालिका के माध्यम से शहरों में, पंचायत समितियों के माध्यम से गांवों में डाइरेक्ट करवाये जाने चाहियें। डाइरेक्ट समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं कराया जाना चाहिये। आज हम बार बार घोषणायें करते हैं कि इतना अधिक समय हो गया है लेकिन हम हरिजनों को पीने का पानी तक नहीं दे सके हैं। इससे ज्यादा हम फ्राड उनके साथ क्या कर सकते हैं। इस पर ध्यान देना चाहिये। एक, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड मकान बना कर देता है पर इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बड़े बड़े शहरों में ही क्यों मकान बना कर दे रहा है? इसके लिए आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर देते हैं कि गांवों में भी बना कर दे। इसको तहसील लेवल पर भी मकान बनाकर देने की योजना लागू करनी चाहिये। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि गांवों का विकास भी हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 29-3-1974 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 5 बजे शुक्रवार दिनांक 29-3-74 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

Page No 114

(114)

परिशिष्ट–1

(ता. प्र. सं. 533 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धियां अप्रेल 73 से जनवरी 74 तक	प्रतिशत
नसबन्दी	640	99	*15.5
लूप प्रविष्टि	350	374	107.10
परि. नियो.			
गर्भ निरोधक उपकरण	1500	375	25 0

परिशिष्ट–'ख'

1. जिले में अधिकांश क्षेत्र अकालग्रस्त थे।
2. आहोर पी.एच.सी. में इस वर्ष अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़।
3. परिवार नियोजन वाहनों का अकाल सहायता, राज्य कर्मचारियों की हड़ताल, गेहूं की वसूली तथा बाढ़ग्रस्त नियंत्रण आदि में लगाये जाने के कारण।
4. परिवार नियोजन वाहनों के पेट्रोल के बजट में कमी।
5. बजट में कटौती किये जाने के कारण 15 सितम्बर से अक्टूबर 73 के अन्त तक कर्मचारियों को हटाये जाने का भय।
6. विशाल नसबन्दी शिविर में अतिरिक्त प्रेरक धनराशि को एकाएक हटाया जाना। यह कमी देश में 44.3 प्रतिशत नसबन्दी में तथा 24.1 प्रतिशत लूप प्रविष्टि में रही जब कि राज्य में यह कमी 31.8 प्रतिशत तथा 18.8 प्रतिशत क्रमशः रही है।
7. निरोध सप्लाई की कमी।
8. कर्मचारियों एवं अधिकारियों का कार्य में दिलचस्पी का अभाव।

115

परिशिष्ट–2

(ता. प्र. सं. 537 की सूची)

क. सं.	पार्टी का नाम	माल जो दिया गया	मात्रा	दिनांक जिसको परमिट दिया गया	डिपो का नाम	दिनांक जिसको माल दिया गया
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैं. मेवल माटो रिपेयरिंग इन्ड., कोटा	डिफेक्टिव प्लेट्स 10–40 एम. एम.	1,000 मी. टन	11–6–73	कोटा डिपो	19–6–73
2.	मैसर्स जय भारत एण्ड. वर्क्स, कोटा	,,	,,	,,	,,	21–6–74

(116)

परिशिष्ट-3

(ता. प्र. सं. 539 की सूची)

जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र के विभिन्न गांवों को शाला बनाने हेतु दी गई सहायता की सूची

क्र. सं.	नाम शाला	रकम
1.	प्राथ. शाला कन्या, जवाजा	4000-00
2.	प्राथ. शाला कन्या, राजियावास	2000-00
3.	प्राथ. शाला बालक, लोटियाना	2000-00
4.	प्राथ. शाला बालक, जवाजा	4000-00
5.	प्राथ. शाला बालक, गोमेला	2000-00
6.	प्राथ. शाला बालक, राजियावास	2000-00
7.	प्राथ. शाला कन्या, देलवाड़ा	2000-00
8.	प्राथ. शाला बालक, नून्द्री मेन्द्रातान	2000-00
9.	माध्य. शाला, देलवाड़ा	6000-00
10.	उ. मा. शाला, जवाजा	6000-00
11.	मा. शाला, राजियावास	4000-00
		36000-00

———

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

पी. एच. सी. हिण्डोली के डाक्टर के विरुद्ध शिकायत

541. **श्री रमेशचन्द्र सैनिक** (हिण्डोली) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या हिण्डोली (जिला बून्दी) पी. एच. सी. के डाक्टर पी. सी. जैन के विरुद्ध ग्राम बावडी खेड़ा में हुए कत्ल के संबंध में बून्दी जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति के समक्ष किसी प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आया था ? तथा यह मामला सतर्कता समिति ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जांच हेतु सौंपा था ? यदि हां, तो क्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोई जांच की ? यदि जांच नहीं हो पाई, तो क्यों ?

(2) क्या जिला बून्दी जन अभियोग सतर्कता समिति ने सम्पूर्ण मामले को निदेशक चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर को भेजने की सिफारिश की थी ?

(3) यदि हां, तो क्या मामला निदेशक महोदय के पास पहुंच गया है ? यदि हां, तो मामला क्या है और उसमें क्या कार्यवाही की गई? और यदि नहीं पहुंचा है, तो क्यों ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां । प्रार्थनापत्र दिनांक 27–7–73 को प्राप्त हुआ । दिनांक 11–9–73 को जिला सतर्कता समिति ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बून्दी को जांच के लिये लिखा, जो नहीं की गई क्योंकि इससे पूर्व ही दिनांक 31–7–73 को अधीक्षक आरक्षी बून्दी द्वारा यह मामला उप-अधीक्षक एन्टीकरप्शन विभाग, कोटा को सौंप दिया गया था ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । डा. जैन के खिलाफ बेईमानी व भ्रष्टाचार की शिकायत का मामला था, जिसकी जांच एन्टीकरप्शन विभाग द्वारा जारी थी । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के भवन

542. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की इमारतें कितनी-कितनी और कहां-कहां है और उनका क्या उपयोग हो रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की इमारतों का पता लगाने के लिये कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ?

Page No 118

(118)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

यदि हां, तो क्या पता लगाने के लिये कोई किसी अधिकारी की नियुक्ति की गई है ?

(3) क्या राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग की इमारतों को बेचने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग की इमारतों को राजकीय स्कूल या चिकित्सालयों के लिये दिया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर की इमारतों की सूची (अ) प्रस्तुत है। यह इमारतें व्यवसायिक रिहायशी एवं सरकारी दफ्तरों व पाठशालाओं के उपयोग में ली जा रही हैं।

(2) यह कहना सत्य नहीं है कि सा. नि. विभाग को इमारतों का कोई रिकार्ड नहीं है। हां, यह ठीक है कि कतिपय पुरानी जायदादों का जो रिकार्ड उपलब्ध है वह पूर्ण नहीं है अर्थात उसमें सम्पत्ति सम्बन्धी पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है, जिसकी जानकारी अभिलेखाकार एवं नगरपालिका आदि से की जाती है। ऐसी जायदादों के हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता को लगाया हुआ है।

(3) जी हां। केवल अनुपयोगी सम्पतियों को बेचने का इरादा है।

(4) जी हां। यदि कोई इमारत उपयुक्त उपलब्ध हो तो इस विभाग द्वारा राज्य सरकार के आदेश से स्कूल एवं चिकित्सालय के लिये दी जा सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर जिले का औद्योगीकरण हेतु सर्वे

543. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में किस-किस जगह का औद्योगिक सर्वे कराया गया है तथा उक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कहां-कहां क्या-क्या उद्योग लगने की सम्भावना है ?

(2) क्या राज्य सरकार जयपुर शहर के अलावा जिले में अन्य जगह भी इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले का सर्वेक्षण स्माल इण्टस्ट्रीज सर्विस इन्स्टीट्यूट, जयपुर ने करवाया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नांकित स्थानों को ग्रोथ सेन्टर्स दर्शाया गया है एवं निम्नांकित उद्योग लगाने की सम्भावना व्यक्त की है:—

1—चौमू 2—गोविन्दगढ़ 3—सांभर 4—नरायना 5—दौसा 6—सांगानेर

उद्योग

1. ट्रान्समिशन लाइन हार्डवेयर
2. क्राउन कोकर्स
3. बिजली के पंखे
4. इलेक्ट्रिकल एपलाइन्सेस
5. प्लास्टिक फिल्म केपेसिटर्स
6. सिरेमिक केपेसिटर्स
7. इलेक्ट्रोलाइट केपेसिटर्स
8. कार्बन रजिस्टर्स
9. वायर वुन्ड रजिस्टर्स
10. सेमी मेग्नाइज्ड लैदर फुटवियर
11. ब्लो मोल्डेड प्लास्टिक वेयर
12. डेटरजेन्ट्स

(उद्योग मंत्री)

13. कोस्माटिक्स
14. ग्लास कन्टेनर्स
15. सोप स्टोन ग्राइन्डिंग
16. एल. टी. इन्सलेट्स एवम् अन्य प्रोसजिनग्राइट
17. बीयर
18. मसाले
19. तेल
20. दाल मिल्स

(2) जयपुर शहर के अलावा जयपुर जिले में ग्रोथ सेन्टर्स जैसे चोमू, गोविन्दगढ़, सांभर, दौसा, नरायना, सांगानेर जहां कि औद्योगिक प्रगति की संभावनायें हैं औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही की जा सकती है। यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि उपक्रमियों द्वारा इन स्थानों पर भूखण्ड के आवंटन के लिये उचित मात्रा में आवेदन-पत्र दिये जायें। इससे उपक्रमियों को भूमि की आवश्यकता का अन्दाज लगाया जाना सम्भव हो सकेगा, जो कि औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने में सहायक हो सकेगा।

प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि का दुरुपयोग

544. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर के कार्यकर्ताओं का सन् 1967 तक का प्रोवीडेन्ट फण्ड का लगभग 75000 रुपया का दुरुपयोग हुआ है तथा उस राशि का कोई अता पता नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के अनुदान नियमों व प्रोवीडेन्ट फण्ड कमिश्नर के नियमानुसार यह रकम पोस्ट आफिस में जमा होनी चाहिये थी?

(3) क्या यह सही है कि शिक्षा विभागीय आडिट पार्टी व महालेखाकार आडिट पार्टी ने इस अनियमितता व धन के दुरुपयोग की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस पर अब तक क्या कार्यवाही की है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मिस भागीरथी मेनन है जिसकी शैक्षणिक योग्यता अपूर्ण है तथा उस पर गबन व हिसाब की भयंकर अनियमितताओं के आरोप हैं? यदि हां, तो उन्हें इस पद पर रहने की कैसे स्वीकृति दी गई है तथा अधिक वेतन क्यों स्वीकार किया गया है?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय के हिसाब किताब की भयंकर अनियमितताओं व रसीद बुकें आदि के रेकार्ड को गायब देख कर महालेखाकार जांच दल ने 1961 से हिसाब की पुनः जांच की मांग की थी? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस विषय पर अब तक क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) राजस्थान महिला विद्यालय उदयपुर के कार्यकर्त्ताओं की प्रोवीडेन्ट फण्ड की रकम मैनेजमेन्ट ने कालेज के खर्च के लिए लोन लेकर उपयोग किया है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। रिकार्ड पुलिस में होने के कारण अभी तक कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

(4) मिस भागीरथी मेनन प्रिंसीपल, राजस्थान महिला विद्यालय को अधिक

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

वेतन देने का मामला राज्य सरकार ने मान लिया है, निदेशालय के रिकार्ड के अनुसार उनकी शैक्षणिक योग्यता पूर्ण थी तथा उस पर गबन व हिसाब की भयंकर अनियमितताओं के आरोप का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है क्योंकि निदेशालय की इस सम्बन्ध की फाइलें पुलिस में हैं।

(5) कालेज निदेशालय में उपलब्ध फाइलों के अनुसार महालेखाकार जांच दल द्वारा पुन: सन् 1961 से हिसाब की जांच के बारे में कोई पत्र उपलब्ध नहीं है।

रामदेवरा मेले के लिये बसों की सुविधा

545. **श्री बिरदाराम फुलवारिया** (जालौर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि रामदेवरा के मेले के लिये जो बसें जोधपुर से रवाना होती हैं वे पोकरण से आगे नहीं जातीं तथा सब यात्रियों को पोकरण में ही उतार दिया जाता है जिससे उन्हें बड़ी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार यात्रियों की असुविधा को देखते हुए जोधपुर से पोकरण सीधी बस परमिट देने का विचार रखती है ?

उत्तर

पोकरण से रामदेवरा मार्ग राष्ट्रीयकृत हो जाने से प्राइवेट बसें पोकरण से आगे नहीं जाती हैं। अतः मेले के अवसर पर रोडवेज को उसकी मांग के अनुसार जोधपुर से रामदेवरा के अस्थाई परमिट दे दिये गये। अब जोधपुर से रामदेवरा तक पूरा मार्ग राष्ट्रीयकृत हो चुका है। अतः यह असुविधा नहीं होगी।

देशनोक–नोखा मंडी सड़क पर व्यय की गई राशि

546. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री देशनोक जिला बीकानेर से नोखा मंडी तक पिछले वर्ष क्रेश प्रोग्राम के द्वारा रोड को और चौड़ा किया गया था ? यदि हां, तो इस रोड का कितना मील तक कंकर डालकर कार्य सम्पूर्ण किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि कंकर डालने वाले श्री हमीरराम विश्नोई वगैरह ठेकेदार को आज तक कंकर ढुलाई का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क की ढुलाई का भुगतान बिलकुल नहीं किया गया ? यदि किया गया तो कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और कितनी धनराशि का भुगतान बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) देशनोक से नोखा मंडी सड़क को चौड़ी नहीं किया गया अपितु उसकी 8 किलो मीटर लम्बाई में मरम्मत की गई थी।

(2) श्री हमीरराम विश्नोई को कंकर डालने का ठेका नहीं दिया था किन्तु कंकर ढुलाई का कार्य मैसर्स रासीसर श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. रासीसर को दिया गया था जिसका भुगतान जिलाधीश बीकानेर के माध्यम से समिति को करा दिया गया है।

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

(3) यह सही नहीं है, रासीसर श्रमिक ठेका सहकारी समिति रासीसर को 753) रुपये दस प्रतिशत प्रतिभूति को छोड़कर भुगतान कर दिया है।

राज्य की सीमेन्ट फैक्ट्रियां

547. **श्री मोठालाल** (लालसोट)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में कुल कितनी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं ? इनमें से कौन कौनसी सीमेंट फैक्ट्रियां चालू हैं और कितनी बन्द हैं ? प्रत्येक चालू फैक्ट्री के मासिक उत्पादन एवं वितरण की सूची पिछले दो वर्षों की सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में उपभोक्ताओं को उचित मात्रा में सीमेंट नहीं मिलती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान में निर्मित सीमेंट अन्य प्रदेशों को काफी मात्रा में भेजी जाती है। यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार का इन फैक्ट्रियों पर कोई कन्ट्रोल नहीं है ? यदि हां, तो फिर किन किन शर्तों के आधार पर इन फैक्ट्रियों को सस्ती दरों पर कोयला, भूमि, खान, पानी, एवं बिजली आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ?

(स्थगित किया गया)

दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार

548. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दैनिक नवज्योति के पत्र दिनांक 25 जून, 73 में शीर्षक "परिणाम घोषणा के पूर्व कापियां रद्दी में" समाचार प्रकाशित हुये थे ?

(2) इस सम्बन्ध में राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा क्या जांच व कार्यवाही की गई और उसका क्या नतीजा रहा ?

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में मामला पुलिस को भी दिया गया था ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस मामले में पुलिस विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

(3) पुलिस विभाग से अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

राजकीय अस्पताल बारां में बेड्स की कमी

549. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राजकीय अस्पताल बारां (जिला कोटा) में रोगियों की संख्या को देखते हुए बेड्स की अत्यन्त कमी है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस अस्पताल में और बेड्स बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अजमेर जिले के ग्रामों का विद्युतिकरण

550. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर की जिला उत्पादन कमेटी ने वर्ष 73 में ग्रामों के विद्युतिकरण हेतु सिफारिश की थी ?

(2) यदि हां, तो क्या 1974 में इन ग्रामों में विद्युतिकरण करा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि सिफारिश शुदा ग्रामों में ग्राम नोलखा, गुढ़ा मुहामी पंचायत समिति श्रीनगर एवं गांव सोड़ी, झड़वासा, पंचायत समिति पोसांगन भी शामिल है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सब ही ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा सकेगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

(3) जी हां।

भूतपूर्व तहसीलदार राशमी द्वारा पद का दुरुपयोग

551. श्री गणेशलाल (गंगरार)
श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व तहसीलदार राशमी के परिवार का कोई परिचय पत्र बनाया गया था ? यदि हां, तो इस परिवार के कितने सदस्य हैं ?

(2) क्या यह सही है कि श्री सुरेन्द्र राज ने सोमी तालाब पर अकाल राहत पर कार्य किया था ? यदि हां, तो कब से कब तक व वेतन भुगतान किस अधिकारी द्वारा किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि भूतपूर्व तहसीलदार ने अपने पद का दुरुपयोग कर अपने लड़के के नाम की फर्जी हाजरी मेट द्वारा दर्ज करा कर वेतन उठाया ?

(4) क्या यह भी सही है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने इसकी शिकायत सम्बन्धित विभाग व पुलिस स्टेशन को की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। उस परिवार परिचय पत्र में 6 सदस्यों की संख्या अंकित थी।

(2) श्री सुरेन्द्र राज का नाम अकाल सहायता कार्य सोमी तालाब के मस्टर रोल में दिनांक 16–2–73 से 28–2–73 तक दर्ज था। इस अवधि का भुगतान 39) रु. श्री मनपत राज सिंघवी, तत्कालीन तहसीलदार, राशमी द्वारा किया गया था।

(3) जी नहीं। इस मामले में उप खण्ड अधिकारी, कपासन ने जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर यह नहीं पाया गया कि भूतपूर्व तहसीलदार श्री मनपत राज सिंघवी ने अपने पद का दुरुपयोग करके फर्जी हाजरी मेट द्वारा दर्ज कराकर वेतन उठाया हो।

(अकाल सहायता मंत्री)

(4) सहायक अभियन्ता, सिंचाई, भोपाल सागर ने थाना राशमी को दिनांक 21-4-73 को रिपोर्ट जांच हेतु भेजी थी। थानेदार ने जांच में पाया कि परिचय पत्र श्री मनपत राज सिंघवी के नाम जारी हुआ था। उनके लड़के सुरेन्द्र राज ने सोमी तालाब पर दिनांक 16-2-73 से 28-2-73 तक कार्य किया एवं इसका चुकारा 39) रु. उसे किया गया। उक्त हालात के साथ जांच रिपोर्ट वापस सहायक अभियन्ता को भेज दी गई।

इस सम्बन्ध में सहायता विभाग को भी शिकायत प्राप्त हुई थी एवं यहां से जिलाधीश को लिखे जाने पर उन्होंने उप खण्ड अधिकारी कपासन के द्वारा जांच करवाई। जांच रिपोर्ट सहायता विभाग को 28-6-73 को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधीश ने पाया कि शिकायत सही नहीं है। तहसीलदार श्री मनपत राज सिंघवी के पुत्र श्री सुरेन्द्र राज का नाम सोमी तालाब के मस्टर रोल में दर्ज था, परन्तु वहां के ओवरसियर ने सुरेन्द्र राज से मस्टर रोल भरने एवं सम्पूर्ण कागजी तकमील करने का काम कराया एवं एवज में इसे भुगतान सोमी तालाब पर श्रमिकों के रूप में काम करने का करवाया। ऐसी दशा में जिलाधीश ने सिफारिश की है कि इस मामले को समाप्त किया जाना उचित होगा। उप खण्ड अधिकारी की जांच रिपोर्ट एवं जिलाधीश की सिफारिश पर विचार करके सहायता विभाग ने इस मामले को समाप्त करना उचित समझा एवं तद्नुसार मामला समाप्त किया गया।

राजकीय महाविद्यालय दौसा की छात्र संख्या

552. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय महाविद्यालय, दौसा में कितने-कितने छात्र किन-किन कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं?

(2) क्या पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षाओं में जयपुर में आसानी से उक्त विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को प्रवेश मिल जाता है?

(3) क्या यह सही है कि दौसा से जयपुर आकर अध्ययन करना गरीब छात्रों के लिए अत्यन्त कठिन व असंभव सा हो है? यदि हां, तो क्या सरकार दौसा कालेज में पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षायें खोलने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, दौसा में सत्र 1973-74 की विभिन्न कक्षाओं में जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अभी प्राप्त नहीं हुई है अतः समझा जाता है कि योग्य छात्रों को प्रवेश मिल जाता है।

(3) वित्तीय साधनों के अभाव में राजकीय महाविद्यालय, दौसा में स्नातकोत्तर कक्षायें खोलना अभी सम्भव नहीं है

(124)

राजकीय महाविद्यालय, दौसा में सत्र 1973–74 की विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन कर रहे छात्रों की सूची

कक्षा		कला	विज्ञान	वाणिज्य
पी.यू.सी.		88	33	77
प्रथम वर्ष		155	59	91
द्वितीय वर्ष		155	37	62
तृतीय वर्ष		106	14	38
	योग	504	143	268 कुल योग : 915

ग्राम नौगांवा में बिजली की मांग

553. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नौगांवा तहसील प्रतापगढ़ में बिजली की मांग कई दिनों से चल रही है ? यदि हां, तो इस ग्राम को बिजली नहीं देने का क्या कारण है व भविष्य में कब तक बिजली देने की योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि नौगांवा की सीमा से मिला हुआ ग्राम धरनोद में बिजली आ चुकी है जो नौगांवा के सीमा तक के कुओं पर लगी हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि नौगांवा ग्राम के आस पास के ग्राम आर. ई. सी. स्कीम में स्वीकृत हो चुके हैं, जहां बिजली लगने वाली है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम को बिजली देने से वंचित रखने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस गांव को बिजली कब तक दे दी जावेगी, इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) जी हाँ।

(3) जी हां। तकनीकी कारण से उक्त ग्राम को आर.ई.सी. स्कीम में शामिल नहीं किया जा सकता।

जालौर जिले में सिंचाई कार्य तथा मजदूरों की बकाया

554. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1973-74 में जालौर जिले के रानीवाड़ा कलां, बामनवाड़ा एवं जालौर खुर्द सिंचाई कार्यों पर अकाल सहायता के रूप में कार्य करवाया गया है ? यदि हां, तो क्या इन

(श्री भगराज चौधरी)

कार्यों पर लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो किस किस कार्य का कितने कितने मजदूरों एवं पखवाड़ों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है? कृपया कार्यवार पूर्ण विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों पर लगे मजदूरों द्वारा किये गये कार्य के अनुपात से बहुत ही कम मजदूरी देने के कारण उन्होंने भुगतान लेना स्वीकार नहीं किया है? यदि हां, तो उन्हें कितनी मजदूरी प्रतिदिन की दर से लेने के लिए कहा गया? कृपया कार्यवार एवं पखवाड़े वार पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उन्हें बहुत ही कम मजदूरी दी जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार वाजिब मजदूरी का भुगतान शीघ्र करने का विचार रखती है?

(स्थगित किया गया)

बी. एस. टी. सी. सेन्टर बांसवाड़ा

555. **श्री नाथूराम** (बागीदोरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बी. एस. टी. सी. सेन्टर बांसवाड़ा में कितने अनुसूचित जाति-जन-जाति के छात्राध्यापक अध्ययन कर रहे हैं और उनके लिये भारत सरकार द्वारा चालू सत्र में कितनी कितनी स्कालरशिप स्वीकृत की गई है? प्रासंगिक आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्कालरशिप का भुगतान सम्बन्धित छात्रों को दिसम्बर माह में किया जाना था किन्तु जनवरी के अन्त तक भी भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो किस किस छात्र को कब कब इस छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त छात्रवृत्ति में से विकास फीस, छात्रावास फीस तथा पुस्तकों के लिए धनराशि की कटौती की जा रही है? यदि हां, तो क्यों व कितनी कितनी तथा किस आदेश के अन्तर्गत? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि बांसवाडा सेन्टर से सम्बद्ध छात्रावास भवन नहीं है? फिर भी इस निमित्त फीस वसूल की गई है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो बांसवाडा सेन्टर से सम्बद्ध छात्रावास कहां व कब बनवाया गया है?

उत्तर

(1) बी. एस. टी. सी. बांसवाड़ा में 26 अनुसूचित जाति व 91 अनुसूचित जन-जाति के छात्राध्यापक अध्ययन कर रहे हैं। सत्र 73-74 में सभी अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्राध्यापकों को प्रतिमाह प्रति छात्र रुपये 100/— स्कालरशिप देने की स्वीकृति के आदेश हुए हैं।

(2) जी हां। उक्त सभी छात्राध्यापकों को दो माह (सितम्बर—अक्टूबर, 73) का भुगतान जनवरी, 74 के अन्तिम

(शिक्षा मंत्री)

सप्ताह में कर दिया गया है। शेष छात्र-वृत्ति का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

(3) उक्त छात्राध्यापकों को चुकाई गई स्कालरशिप में से निदेशक, प्राथ. एवं माध्य. शिक्षा राज. बीकानेर के आदेश सं. शिविरा/शिप्र/वी/18860/38/73 दिनांक 13-12-73 के अनुसार केवल 5/- प्रति माह के हिसाब से विकास शुल्क काटा गया है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की रकम नहीं काटी गयी है।

(4) जी हां। छात्रावास भवन किराये पर लिये जाने का प्रयास किया जा रहा है। किराये का छात्रावास भवन उपलब्ध नहीं हुआ तो छात्रावास शुल्क वापस लौटा दिया जावेगा।

चूरू जिले में जोहड खुदाई कार्य पर व्यय की गई राशि

556. श्री रामकिशन (भरतपुर)
श्री केदारनाथ (गंगानगर) :

क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में जोहड़ खुदाई कार्य पर कुल कितने रुपये किस-किस तहसील में खर्च किये गये ?

(2) किस गांव में कितने रुपये किस जोहड़ खुदाई पर दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या जोहड़ खुदाने के नाम पर अधिकांश धनराशि ऐसे गड्ढे खुदाने में व्यय की गई है जहां न तो कोई जोहड़ है और न जोहड़ में पानी आने का आयतन ही है और न वहां वर्षा का पानी आयतन में ठहरने योग्य मिट्टी है और न खोदे गये जोहड़े में पानी चल कर आ सकता है और न उसमें पानी ठहरने योग्य मिट्टी ही है ?

(4) पानी की स्थायी व्यवस्था और लागत पैसे के सदुपयोग के लिए पक्के कुण्ड, कुए, टांके, डिग्गी और तालाब बनाने पर यह धनराशि व्यय न करके व्यर्थ बरबाद करने से क्या अभिप्राय था ? क्या यह सही है कि इस मिट्टी को खुदाने में भारी मात्रा में पैसों का दुरुपयोग हुआ है।

उत्तर

(1) चूरू जिले में जोहड़ खुदाई के कार्य पर जो धनराशि पिछले वर्ष में सहायता कार्यों के अन्तर्गत खर्च की गई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तहसीलवार सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) यह सही नहीं है कि जोहड़ खुदाई के कार्यों पर जो खर्चा किया गया वह धनराशि को बरबाद करना था। यह भी सही नहीं है कि जोहड़ों की खुदाई में पैसों का दुरुपयोग हुआ है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

127

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक्ट, 1929 के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक

557. **श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा** (सूरतगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1-4-72 से नगर परिषद्, बीकानेर ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक्ट अधिनियम 1929 ई. रियासत बीकानेर व तदनुसार घोषित नियमों के प्रावधान में परिषद् की आम निगरानी में संचालित 16 अनिवार्य प्राथमिक पाठशालाओं का प्रबन्ध संचालन और उनमें कार्यरत अस्सी अध्यापकों व सत्रह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति तिथियों से स्थाई संतुष्ट और सन्तोषजनक सेवाओं का हस्तान्तरण राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को कर दिया है व परिणाम स्वरूप उनकी सेवायें अब पूर्णरूपेण सरकारी हो गई हैं ?

(2) क्या यह सही है अब तक उक्त अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक्ट, 1929 का निरसन नहीं हुआ है व तदनुसार घोषित नियम प्रभावी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर नगर परिषद् क्षेत्र की उक्त पाठशालाओं के कर्मचारियों के स्थानान्तरण भी बीकानेर नगर परिषद् की परिसीमा से बाहर कर दिए गए हैं जब कि उन्होंने स्थानीय लाभ एवं सुविधाओं को ध्यान में रख कर ही इन पाठशालाओं में नियुक्तियां ली थीं ?

(4) क्या यह सही है कि लगभग दो वर्ष का समय बीत जाने पर भी अब तक उन पाठशालाओं के उक्त कर्मचारियों के नाम शिक्षा विभागीय वरिष्ठता सूचिका में संविलीन कर उन्हें न्यायोचित लाभ परिलाभों से भी लाभान्वित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि प्रबन्ध संचालन के हस्तान्तरण से पूर्व उन पाठशालाओं के उक्त कर्मचारियों से कोई व्यक्तिशः विकल्प-पत्र (ऑप्शन) भी नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि प्रबन्ध संचालन के हस्तान्तरण के फलस्वरूप शिक्षा विभागीय राज्य सेवा में आये हुए उन कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया गया है पर उनकी वाजिब पेंशन और ग्रेच्युअटी अब तक प्रदान नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों की भविष्य निधि की रकम उचित ब्याज बोनस सहित उन्हें वापिस प्रदान नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) अनिवार्य एजूकेशन एक्ट, 1929 के निरसन की आवश्यकता नहीं है उसमें घोषित नियम प्रभावी नहीं है ।

(3) इन अध्यापकों को जब राज्य सेवा में ले लिया गया है तो इन पर भी वे सब नियम लागू होते हैं जो राज्य सेवा में लगे अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं अतः अन्य अध्यापकों की तरह इनका भी स्थानान्तरण नगरपरिषद् की परिसीमा से बाहर

(शिक्षा मंत्री)

किया जाना नियमानुसार है इनकी नियुक्ति के समय यह कोई शर्त नहीं रखी गयी थी कि ये नगर परिषद् की सीमा के बाहर स्थानान्तरित नहीं किये जावेंगे।

(4) इनकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए नियम निर्धारित हो गये हैं। इन नियमों के आधार पर इनकी वरिष्ठता शीघ्र निर्धारित कर दी जायगी।

(5) चूंकि नगर परिषद् द्वारा संचालित समस्त शालायें राज्य सरकार को हस्तान्तरित हो गई हैं और नगर परिषद् के तत्वाधान में किसी प्रकार का कोई विद्यालय नहीं रखा गया ऐसी स्थिति में इन विद्यालयों में कार्य कर रहे अध्यापकों से किसी प्रकार का विकल्प लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(6) दो पूर्व की नगर परिषद् में जमा इनके जी.पी.एफ. की राशि तथा उनके तुल्य राशि जो परिषद् को जमा कराई है वह अभी राज्य कोश में जमा नहीं हुई हैं जिसका जमा होना नियमानुसार आवश्यक है। जिसके जमा कराने की कार्यवाही चल रही है। उक्त राशि के जमा होते ही इनके पेन्शन के मामले का निस्तारण कर दिया जायेगा।

(7) नियमानुसार उक्त राशि नगर परिषद् से जमा होने के बाद सम्बन्धित कर्मचारियों को सेवा मुक्त होने पर नियमानुसार देय होगी।

स्टेट टाइम की सड़कें

558. श्री शिवनारायण (बारां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि स्टेट टाइम की सड़कें जिन पर मील-फर्लांग लगे हुए हैं और कच्ची है उनको पंचायत समितियां बनने पर एप्रोच रोड में निकाल दिया है? यदि हां, तो क्या उनकी मरम्मत आदि का कार्य पंचायत समितियों द्वारा किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार उन सडकों की मरम्मत कराने का विचार रखती है?

उत्तर

जी हां। फेयर वेदर रोड जो पंचायत समितियों के क्षेत्र में आती हैं ऐसी सड़कों की देखरेख सम्बन्धित पंचायत को करनी है। पंचायत समितियां अपना मरम्मत दायित्व पूरा क रही हैं या नहीं, इस विभाग को जानकारी नहीं है। पंचायत समिति की सड़कों को विभागीय मरम्मत सूची पर लिया जावे ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डीडवाना तहसील में राहत कार्य तथा मजदूरों की बकाया

559. श्री मोमाराम (डीडवाना): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना तहसील में सन् 1972-73 के अकाल राहत कार्यों का अनपेड का भुगतान मजदूरों को नहीं किया गया है? यदि हां, तो भुगतान नहीं करने का क्या कारण रहा है तथा भुगतान अब कब तक कर दिया जावेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से दो बार मय मस्टर-

(श्री भोमाराम)

रोल व चैक के साथ अन अनपेड भुगतान की राशि तहसीलदार को भेजी गई है ? यदि हां, तो राशि तहसीलदार ने वापिस क्यों लौटाई ?

(3) क्या राज्य सरकार इस मामले में तहसीलदार के खिलाफ जांच करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा मजदूरों को अनपेड भुगतान कब तक किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वित्त वर्ष 1972–73 का राहत कार्यों का कोई अनपेड का भुगतान शेष नहीं है।

(2) यह मामला वर्ष 73–74 का है। इस वर्ष की अवधि के बाबत सहायता कार्यों की अनपेड मजदूरी की राशि का मस्टररोल तथा धनराशि तादादी रु. 7601.83 पैसा तहसीलदार को दिनांक 8–2–74 को भेजी गई थी, परन्तु मस्टर-रोल में श्रमिकों के नाम, जाति, निवास स्थान एवं परिचय पत्र के बाबत सही एवं पूर्ण विवरण दर्ज न होने के कारण मस्टर-रोल एवं धनराशि को तहसीलदार ने सार्व-जनिक निर्माण विभाग को वापिस लौटा दिया। दिनांक 8-2-74 से पूर्व भी एक बार तहसीलदार, डीडवाना ने मस्टररोल व रकम सार्वजनिक निर्माण विभाग को लौटाई थी क्योंकि मस्टररोल निर्धारित रूप में तैयार किए हुए नहीं थे।

(3) इस मामले में जिलाधीश ने अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नागौर को यह आदेश दे दिए हैं कि जांच करें कि यह मस्टररोल्स बनाने में गलतियां एवं खामियां क्यों हुईं एवं इसके लिए दोषी कौन है। जांच रिपोर्ट जिला-धीश को प्राप्त होने के पश्चात जिलाधीश दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे जहां तक चुकारे का सम्बन्ध है लगभग चार सप्ताह की अवधि में चुकारा कर दिया जावेगा।

बाल मंदिर मोती डूंगरी रोड, जयपुर के सेवामुक्त अध्यापक

560. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि बाल मंदिर मोती डूंगरी रोड, जयपुर के तीन शिक्षकों ने विद्यालय निरीक्षक, जयपुर के यहां अपनी सेवा मुक्ति व बकाया वेतन आदि न दिये जाने के बाबत कोई शिकायत की ? यदि हां, तो किस किस ने ?

(2) क्या विद्यालय निरीक्षक ने उक्त अध्यापकों की शिकायतों पर कोई जांच करा कर दिनांक 3 नवम्बर, 1973 को कोई निर्णय दिये हैं ? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट व निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभागीय निर्णयों के बावजूद अभी तक भी संस्था ने उक्त शिक्षकों को न सेवा में लिया है न वेतन का भुगतान ही किया है ? यदि हां, तो विभाग ने संस्था के विरुद्ध क्या कार्य-वाही की तथा अब राज्य सरकार उक्त

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
अध्यापकों को वांछित राहत कब तक दिला देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। तीनों अध्यापकों के नाम क्रमश: इस प्रकार हैं:- 1. श्रीमती उषा चावला, 2. श्री राधेश्याम गुप्ता, 3. श्री तेजवीर सिंह।

(2) विद्यालय निरीक्षक, जयपुर ने उक्त विषय में अपना निर्णय दिनांक 3-11-73 को दिया है। उसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा उक्त मामले की जांच हेतु संयुक्त निदेशक (महिला) शिक्षा विभाग, जयपुर को लिखा गया है।

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, जयपुर प्रथम

कार्यालय आदेश

बाल मन्दिर, मोती डूंगरी जयपुर के अध्यापकों की प्राप्त शिकायतों के बारे में श्री सांवतसिंह पारस विद्यालय उप निरिक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर निम्न निर्णय दिया जाता है :--

संस्था को चाहिए कि वह निम्नांकित अध्यापकों को उनके ग्रीष्मावकाश के देय वेतन का भुगतान करे।

इनको सेवा मुक्त किया जाना भी नियमानुकूल नहीं है।

अत: इनकी नियुक्ति पर पुन: विचार किया जावे।

क्र.	नाम अध्यापक	ग्रीष्मावकाश (सत्र)
1.	श्रीमती उषा चावला	71-72 व 72-73
2.	श्री राधेश्याम गुप्ता	70-71, 71-72 व 72-73
3.	श्री तेजवीरसिंह	71-72 व 72-73

जांच रिपोर्ट से यह भी प्रकट है कि संस्था द्वारा नियुक्तियां व सेवा मुक्ति नियमानुसार नहीं की जा रही हैं। इससे अनेक शिकायतें उत्पन्न होती हैं। अत: संस्था को आग्रह किया जाता है कि भविष्य में विभागीय नियमों का ध्यान से पालन किया जावे तथा नियमित कार्यवाही समय पर की जावे। मनमाने ढंग से नियुक्तियां व सेवामुक्ति तुरन्त बन्द होनी आवश्यक हैं।

ह०

विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, जयपुर-प्रथम

(131)

क्रमांक–विनिजय (1) लेखा–5/एफ/50/491–95/73 दिनांक 3–11–73

प्रतिलिपि–(1) मंत्री, बाल मंदिर, मोती डूंगरी जयपुर एवं

(2) संबंधित अध्यापक (विन्हित) को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित है। संस्था के मंत्री को चाहिए कि वह उक्त प्रत्येक अध्यापक के बारे में निर्दिष्ट कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करें।

ह.

विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, जयपुर-प्रथम

(सत्य प्रतिलिपि)

सिद्धमुख नहर का निर्माण कार्य

561. श्री मोहर सिंह (चूरू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सिद्धमुख नहर का निर्माण कार्य कब तक चालू हो जावेगा ? इस बारे में पूर्ण विवरण बताने की कृपा करें ?

उत्तर

सिद्धमुख योजना सरकार के विचाराधीन है। पूर्ण विवरण अभी बताना संभव नहीं है।

लूनी एवं सूकडी नदी से प्रभावित ग्राम

562. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष बाड़मेर जिले में लूनी एवं सूकड़ो नदी की बाढ़ से निम्न गांव एवं कस्बे प्रभावित हुये:–

(1) बालोतरा कस्बा (2) ग्राम सिलोर (3) जेठतरी (4) पारलू (5) कानाना (6) जानियाना (7) होटलू (8) रामसीन (9) मूगड़ा (10) कितनोद (11) लालाणा (12) बढिजा (13) बालोतरा (14) कितनोद (15) कूपावास (16) समदडी (17) रानी देसोपुरा (18) अजीत (19) मंजल (20) रवरटीया (21) बाम सील (22) जसोल (23) तिलवाडा (24) सिनली (25) भूंका (26) सिणधरी। यदि हां, तो क्या इनके अलावा और अन्य ग्राम भी उक्त नदी की बाढ़ से प्रभावित होते हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम कितनोद में बाढ़ से बचाने के लिए आठ ठोकरें बन चुकी हैं और दूसरे ग्राम को उक्त लाभ से वंचित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं ?

(3) क्या भू-संरक्षण विभाग ने उन सभी प्रभावित गांवों और बालोतरा कस्बे को बाढ़ से बचाने के लिये कोई योजना बनाई है ? यदि हां तो उसकी प्रति सदन

Page No 132

(132)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

की मेज पर रखने की कृपा करें? यदि नहीं, तो कब तक योजना बनाकर क्रियान्वित की जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जो अन्य ग्राम प्रभावित हुए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर पेश करदी गई है।

(2) कृषि विभाग द्वारा जो सूचना उपलब्ध की गई है उसके अनुसार ग्राम किटनोद में सन् 63–64 में एक "अग्रिम प्रदर्शन क्षेत्र" चालू किया गया था और इस क्षेत्र के बजट से 6 ठोकरों (Spurs) का निर्माण किया गया था। इनके अलावा सन् 1972–73 में ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 8 ठोकरों की मंजूरी दी गई जिनमें से 4 ग्राम किटनोद के लिए थी एवं 4 ग्राम सराणा के लिए थी। किटनोद में 3 ठोकरें बनाई जा चुकी हैं तथा चौथी का कार्य चालू है। ग्राम सराणा में 4 ठोकरों का काम चालू है।

अन्य ग्रामों में उक्त कार्य न लिए जाने का कारण यह है कि ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत केवल इन दो ग्रामों के लिए ही स्वीकृति दी गई थी।

(3) बाढ से बचाव के लिए योजनाएं बनाने का कार्य सहायता विभाग के दायरे का नहीं है। इस भाग का सम्बन्ध कृषि विभाग से है।

सूची उन ग्रामों की जो बाढ से प्रभावित हुए

क्र.स.	नाम तहसील	नाम ग्राम
1.	बाड़मेर	1–गांधव कलां
		2–सुंपुंदत खुर्द
		3–डाबली
		4–डांगरिया
		5–पादरडी
		6–माखरपुरा
		7–सिन्धासबार हरनिया
		8–सिन्धासवार चौहान
		9–रतनपुरा
		10–गुढा
		11–नगर
		12–गादेनी
		13–बान्टा
		14–भूका
		15–डंडाली
2.	सिवाना	16–मंजल
		17–राखी

क्रम सं. नाम तहसील	नाम ग्राम
	18–खण्डप
	19–भेली
	20–समदडी
	21–सिवाना
	22–इन्दराना
	23–बालियाना
	24–थापन
	25–मूठली
	26–खाखरलाई
	27–कुण्डल
	28–सांवरला
	29–करमावास
	30–कोटरी
	31–खरटिया
	32–मठ खरटिया
	33–सामुजा
	34–बामसिन
	35–रामपुरा
	36–डोढस
पचपदरा	37–खेड
	38 पारलू
	39–जानियाना
	40–टापरा
	41–तिलवाडा
	42–मानाहा
	43–सराना
	44–बालोतरा
	45–जसोल
	46–कानाना
	47–बिठूजा
	48–जागासा
	49–मोंसोतरा
	50–बुडीवाडा
बाडमेर	51–गोलिया

Page No 134

(134)

सहायता प्राप्त संस्कृत शिक्षा शालाओं की बकाया अनुदान की राशि

563. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा विभाग ने गत वर्ष के अर्थात् वर्ष 71–72 में राज्य की सहायता प्राप्त संस्कृत शिक्षा शालाओं की स्वीकृत अनुदान राशि में से दस प्रतिशत अनुदान राशि का भुगतान अब तक नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) संस्कृत शिक्षा के निदेशक के पद पर जिस व्यक्ति की गत अगस्त मास में जो नियुक्ति की गई है क्या वे संस्कृत के विद्वान हैं ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस पद पर किसी योग्य संस्कृत विद्वान को नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो फिर संस्कृत शिक्षा निदेशालय की अलग से क्या उपयोगिता और आवश्यकता है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि गत वर्ष अर्थात् 71–72 में राजकीय सहायता प्राप्त संस्कृत शिक्षण संस्थाओं की स्वीकृत अनुदान राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती की गई थी। अतिरिक्त बजट प्रावधान के उपलब्ध न होने के कारण उसका भुगतान करना संभव नहीं है।

(2) संस्कृत शिक्षा सेवा नियमों में जो योग्यताएं व नियम बने हुए हैं उनके अनुसार ही निदेशक के पद पर नियुक्ति की गई।

परिशिष्ट-5

(ता. प्र. सं. 36 की सूची)

सूची सन् 1973 में क्षेत्रीय सीमेंट अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा राजस्थान को आवंटित सीमेंट :—

		मैट्रिक टन
1.	प्रथम त्रैमास (जनवरी से मार्च, 1973)	1,32,000
2.	अप्रेल से मई, 1973	57,310

जून, 1973 से उपरान्त क्षेत्रीय सीमेंट अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा निश्चित कोटा

1.	जून, 1973	41,000
2.	तृतीय त्रैमास जुलाई से सितम्बर, 78	1,11,000
3.	चतुर्थ त्रैमास अगस्त से दिसम्बर, 78	1,11,500
	स्पेशल कोटा	6,000
4.	प्रथम त्रैमास जनवरी से मार्च, 1973	1,11,000
	स्पेशल कोटा	4,000

		तृतीय तिमाही 1973		चतुर्थ तिमाही 1973	
		आवंटन	प्राप्ति	आवंटन	प्राप्ति
1.	मुख्य अभियंता, भवन व निर्माण	15,000	7,919	10,000	6,661
2.	मुख्य अभियन्ता, सिंचाई	6,000	3,458	10,000	8,314
3.	मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग	6,000	5,203	6,000	2,555
4.	मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर परियोजना	21,000	13,835	24,000	22,680
5.	हाउसिंग कमिश्नर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जयपुर	2,250	उपलब्ध नहीं	2,200	उपलब्ध नहीं
6.	राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल	5,000	2,028	4,000	1,874
7.	राजस्थान वेयर हाउसिंग कारपोरेशन	150	84	1,300	1,100
8.	राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम	850	680	600	467
9.	राजस्थान राज्य परिवहन निगम	—	—	300	300
10.	निदेशक, कृषि विभाग	2,000	—	1,000	1,000
11.	निदेशक, पशुपालन विभाग	—	—	100	100
		58,250	33,207	59,500	45,061

(137)

परिशिष्ट–6

(अता. प्र. सं. 388 की सूची)

रा.मु.जय. आर.पी. फार्म नं. 6

रिपोर्ट इत्तिला अव्वल (प्रथम सूचना)

(नियम 285 रा. पु. रे.)

नं. 2165

(जो काबिल दस्तादाजी पुलिस जुर्म में हस्व दफा 145 जा. फो. आवे पर चाक होती है)

थाना ओ. पी., ए. सी. डी., उदयपुर जिला सी. पी. एस., जयपुर राजस्थान
जुर्म नं. (मुर्क्षी में) 27165 तारीख और वक्त वकुआ सन् 56
20–4–65

तारीख और वक्त जब इत्तिला हुई मय रिपोर्ट नं. रोजनामचा आय	धाय वकुआ और फासला और तिष्त थाने से मय नाम हल्का अगर कोई दूसरा हो	तारीख व वक्त रवानगी थाने से
13–4–65 वक्त 8 ए.एम. रपट नं. 124	मोजा रामनगर जिला बून्दी दिशा पूर्व 225 माइल	13–4–65

नाम व नम्बर हल्का	हल्के में वकुआ अन्दर साल नं.

नाम और सकूनत इत्तिला कुनिन्दा और मुस्तगीस (सूचना देने वाले और अभियोगी का नाम और निवास स्थान)	नाम और सकूनत मुल्जिमान निवास स्थान अपराधी)	मुख्तसिर हालात जुर्म मय दफा और माल अगर कोई गया हो	कार्यवाही तफतीश जो अमल में लाई गई और वजह देरी जो इत्तिला करने में हुई हो	नतीजा मुकदमा
1	2	3	4	5
सरकार	श्री कल्याण जो विद्यार्थी व श्री	विमुक्त जाति संस्था के रकम	सूचना प्राप्त होते ही अभियोग पंजी-	

1	2	3	4	5
	रामेश्वर लाल पारीक वगैरा	की खयानत करना धारा 406 भा. द. सं.	बद्ध किया जाकर अनुसंधान आरम्भ किया	

दस्तखत ओहदा

हस्ताक्षर

उप-अधीक्षक आरक्षी,
भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, उदयपुर।

रिपोर्ट जबानी या तहरीरी (पुरत पृष्ठ)

महोदय जी, श्रीमान अपर महाधिपति आरक्षि राजस्थान, जयपुर को तरफ से आदेश नम्बर 13934 दिनांक 31–8–64 प्राप्त हुआ कि ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछ समय पहले विमुक्त जाति सेवक संघ को रामनगर जिला बूंदी ने स्कूल बनाने के लिये सरकार से 1500/– रुपया ग्रान्ट-इन-एड मिले थे। किन्तु वहां पर कोई स्कूल नहीं बनाया गया और इस पैसे का दुरुपयोग किया गया अत: जांच की जावे।

उपरोक्त आदेशानुसार प्रारम्भिक जांच की गई। जांच से पाया गया कि सरकार द्वारा ग्रांट-इन-एड में दी गई उपरोक्त रकम से रामनगर कोलोनी में कोई स्कूल नहीं बना है। दौराने जांच राजस्थान विमुक्त जाति सेवा संघ की कैशबुक देखी गई देखने से जाहिर हुआ कि इसमें तारीख 29-2-56 को श्री जयसिंह जी एम. एल. ए. को कुल 1000/- रुपये रामनगर कोलोनी स्कूल व पन्डेर पाठशाला भवन निर्माण के लिये देना लिखा हुआ है। झगड़ा इसलिये खड़ा हुआ कि सम्बन्धित कैश वाउचर्स नम्बर 499 दिनांक 29–2–56 पर जो दस्तखत हैं उन्हें श्री जयसिंह ने अपने होना नहीं माना। इसके अलावा यह भी पाया गया कि जो 1500।– रुपये रामनगर कोलोनी स्कूल के निर्माण के लिये बतौर ग्रान्ट-इन-एड दिये गये थे उसमें से एक हजार रुपये का हिसाब श्री कल्याण जी विद्यार्थी को श्री रामेश्वरलाल पारीक रिहेबोलोटेशन वरकर विमुक्त जाति सेवा संघ, रामनगर कोलोनी द्वारा प्राप्त हुआ जांच पर पाया गया कि जिस सामान की खरीद इस एक हजार रुपये के हिसाब से बताई गई वह दरअसल नहीं खरीदा गया और 350।– रुपये 525।– रुपये व 125।– रुपये कुल एक हजार रुपये के फर्जी वाउचर हिसाब में पेश किये गये। इस तरह कुल दो हजार रुपये का हिसाब शंकास्पद है। श्री जयसिंह एम. एल. ए. का यह कहना है कि एक हजार रुपये के वाउचर पर दस्तखत उनके द्वारा किये हुए नहीं हैं। अतः श्री कल्याण जी विद्यार्थी भी खयानत के सन्देह

से मुक्त नहीं माने जा सकते हैं। इन सब हालात में बिना रेग्यूलर तफतीश के यह असलियत जानना कि उपरोक्त दो हजार रुपये कि सस्पेक्टेड, खयानत में किस मुलजिम का कितना हाथ है संम्भव नहीं है। अतः श्रीमान अपर महाधिपति आरक्षी राजस्थान, जयपुर के आदेश संख्या 2420—21 दिनांक 18—3—65 के अनुसार मुकदमा जेर दफा 406 भा. द. सं. श्री कल्याण जी विद्यार्थी व श्री रामेश्वर लाल पारीक वगैरा के खिलाफ कायम किया गया तफतीश होगी।

हस्ताक्षर-उप-अधीक्षक आरक्षी,
भ्रष्टाचार निरोधक विभाग,
उदयपुर।

परिशिष्ट 7

(अता. प्र. सं. 395 की सूची)

LIST 'A'

List of the villages declared electrified during the year 1973-74 (upto Jan. 74) under Dausa Sub-Division in Distt. Jaipur.

S. No.	Name of the village	Tehsil	S. No.	Name of the village	Tehsil
1.	Jeetawala	Bassi	30.	Jayrampura	Dausa
2.	Sri Rampura	-do-	31.	Jeeratha Khurd	-do-
3.	Phalyawala	-do-	32.	Surajpura	-do-
4.	Shonanda	Lalsot	33.	Palawas	-do-
5.	Beharipura	-do-	34.	Padli	-do-
6.	Khanpura	-do-	35.	Mitrapura	-do-
7.	Bas Laxmipura	-do-	36.	Bhagliyoa	-do-
8.	Chhawa	-do-	37.	Maharajpura	-do-
9.	Patti Kishorpura	-do-	38.	Dhapawan Kalan	Baswa
10.	Ralawas	-do-	39.	Karnawar	-do-
11.	Toda Thekla	-do-	40.	Jaipura	-do-
12.	Ladpura	-do-	41.	Pishanpura	-do-
13.	Rohtaspura	Bassi	42.	Ganjipur	Sikrai
14.	Kalyanpura	-do-	43.	Muralipura	-do-
15.	Birajpura	-do-	44.	Sekhpura	-do-
16.	Damodarpura	-do-	45.	Surundua	-do-
17.	Bnajupura	-do-	46.	Chandpur	-do-
18.	Harpampura	-do-	47.	Girdharpura	-do-
19.	Mansorkhedi	-do-	48.	Samora	Baswa
20.	Beharipura	-do-	49.	Manawas	-do-
21.	Beelwa Khurd	-do-	50.	Moradi	-do-
22.	Doodawala	-do-	51.	Pratappura	-do-
23.	Nangal Bhohra	-do-	52.	Pichupara Kalan	-do-
24.	Kishanpura	-do-	53.	Badagaon	-do-
25.	Mathawas	-do-	54.	Pamadi	-do-
26.	Jhatwara	-do-	55.	Bindarwada	Sikrai
27.	Sitapuriya	Dausa	56.	Raipur	-do-
28.	Khuri Khurd	-do-	57.	Maryada	-do-
29.	Jhujwar	Bassi	58.	Goandi	-do-

LIST 'B'

List of villages covered under R. E. C. Schemes of Tehsil (s) Baswa, Dausa & Sikrai in Distt. Jaipur.

S. No.	Name of the Village	Tehsil	S. No.	Name of the village	Tehsil
1	2	3	1	2	3
1.	Haripura	Baswa	31.	Shyampura	Baswa
2.	Antwara	,,	32.	Gudhakatala	,,
3.	Renapara	,,	33.	Jaitpura	,,
4.	Meenapuro	,,	34.	Muhi	,,
5.	Mundghisya	,,	35.	Kolera	Sikrai
6.	Badiyal Kalan	,,	36.	Chhokarwara	,,
7.	Mendi	,,	37.	Nihalpura	,,
8.	Ralawata	,,	38.	Jharna	,,
9.	Mottooka	,,	39.	Achalpura	,,
10.	Lotwara	,,	40.	Gangadwari	,,
11.	Nandera	,,	41.	Gandarwara	,,
12.	Bhedari Gujar	,,	42.	Agwali	,,
13.	Gudha Ashikpura	,,	43.	Shekhpura	,,
14.	Biwai	,,	44.	Tarda	,,
15.	Nangal Jamanwara	,,	45.	Farashpura	,,
16.	Sudhanpara	,,	46.	Bindarwara	,,
17.	Nihalpur	,,	47.	Kalwan	,,
18.	Mau Khurd	,,	48.	Sikrai	,,
19.	Dhagariyabheem	,,	49.	Dhulkot	,,
20.	Keshrisinghpura	,,	50.	Gothara	Dausa
21.	Anandpura	,,	51.	Birasan	,,
22.	Liloj	,,	52.	Deori	Sikrai
23.	Padla	,,	53.	Jhaparawas	,,
24.	Dewara	.	54.	Ranoli	,,
25.	Girdharpura	,,	55.	Gumanpura	,,
26.	Sabdawali	,,	56.	Lanka	,,
27.	Mukarpura	,,	57.	Karauli	,,
28.	Nangwas	,,	58.	Mochangpura	,,
29.	Bayalkhurd	,,	59.	Moroli	,,
30.	Katarwara	,,	60.	Khawa	Dausa

Page No 142

(142)

परिशिष्ट—8

(मता. प्र. सं. 397 की सूची)

सन् 1972-73 में प्राथमिक शाला से उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत शालाओं की सूची :—

जिला जयपुर

क्र.सं.	प्राथमिक शाला का नाम	पंचायत समिति
1.	बाड़ा पदमपुरा	चाकसू
2.	टूमलीवास	,,
3.	बड़लावास	,,
4.	रूपाहेड़ी	,,
5.	चकवाड़ा	,, (पानी)
6.	मोहब्बतपुरा	,,
7.	मंडावरी	,
8.	डाबीच	,,

143

सत्र 1972–73 में नई खोली गई प्राथमिक शालाओं की सूची

जिला : जयपुर

क्रम संख्या	नई प्राथमिक शाला का नाम	पंचायत समिति	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	चिरमेटा	सांगानेर	ग्रामीण क्षेत्र
2.	सवाई जयसिंहपुरा	चाकसू	"
3.	प्रतापपुरा	फागी	"
4.	किशोरपुरा	"	"
5.	हुबसपुरा	दूदू	"
6.	नानड़	"	"
7.	प्रेमपुरा	सांभरलेक	"
8.	कंवर का बास	कोटवाड़ा	"
9.	बुगालिया	"	"
10.	रिसाणी	आमेर	"
11.	ढाणी माखियान	शाहपुरा	"
12.	श्यामपुरा	कोटपूतली	"
13.	ज्ञानपुरा	बैराठ	"
14.	अनूपपुरा	जमवारामगढ़	"
15.	छोटी सामरेड़	"	"
16.	सुजानपुरा	बस्सी	"
17.	गोठड़ा	"	"
18.	शेखपुरा	दौसा	"
19.	खानोलिया	"	"
20.	खेडी बड़ियाल	बान्दीकुई	"
21.	दिगारिया (कालेश्वर)	"	"
22.	गुजरवाड़ा (ढाणी चमारान)	सिकराय	"
23.	टोरडा कला	"	"

1	2	3	4
24.	लाम्बापाडा	लालसोट	ग्रामीण क्षेत्र
25.	लालपुरा खिवास	"	"
26.	हरदरामपुरा	गोविन्दगढ़	"
27.	सुरपुरा	दूदू	"
28.	सीतारामपुरा उर्फ बासडा	"	"
29.	राधाकिशनपुरा	आमेर	"
30.	नांगल प्रोहितान	"	"

शुद्धि-पत्र

बृहस्पतिवार, दिनांक 28 मार्च, 1974

स्तम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
6	नीचे से 12	श्री गुलाबसिंह सक्तावत	श्री गुलाबसिंह शक्तावत
34	,, 12	करन	करने
39	,, 9	बाठ	बाढ़
42	,, 5	श्री रघुनाथ बिश्नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
46	,, 12	वन ये	बनाये
47	,, 7	सम्मानीनय	सम्माननीय
49–50	हैडिंग	अनुपस्थित सदस्यों में	अनुपस्थित सदस्यों के
67	नीचे से 3	वर्ष	वर्ष
84	,, 3	खेलवाड़	खिलवाड़
84	,, 1	दगां–फिसाद	दंगा-फसाद
85	,, 16	सूत्र	सूक्ष्म
92	ऊपर से 1	व्यक्तव्य	वक्तव्य
97–98	हैडिंग	25 मार्च 1974	28 मार्च 1974
97	नीचे से 15	ध्याना कर्षण	ध्यानाकर्षण
97	,, 14	मघाराम	मंघाराम
99से128	हैडिंग	25 मार्च, 1974	28 मार्च 1974
170	नीचे से 4	वसूली	वसूल
	,,	संक्स	टैक्स
201	ऊपर से 11	का	को
202	2	उसको	उसका
213	6	पड़ेगी	पड़ेगा
215	10	फेमीन	फेमिन
	नीचे से 6	,,	,,
219	10	'	—
223	2	इन्हें	उन्हें
224	8	—	हों
234	प्रथम	श्री चुन्नीलाल इंदलीया	निर्माण मंत्री